लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

क्रम सं० 18, सोमवार, 18 मार्च, 1974/27 फाल्गुन, 1895 (शक)

No. 18, Monday, March 18, 1974/Phalguna 27, 1895 (Saka)

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
321क	पांचवीं योजना में गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की योजना	West Bengal Scheme for Drinking Water in Villages in Fifth Plan . . .	1
322क	समाज कल्याण कार्यों पर खर्च की गयी धनराशि	Amount spent on Social Welfare Activities	3
325क	राज्यों की अनाज की मांग और उसकी पूर्ति	Demand and Supply of Foodgrains to States	5
326क	स्पेन से जहाजों की खरीद	Ships from Spain . .	10
328क	मध्य प्रदेश में वन्य पशु शरण स्थलों के विकास का प्रस्ताव	Proposal for Development of Wild Life Sanctuaries in Madhya Pradesh . .	14
	अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
	सरकारी सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रैसीडेंट एस्टेट, नई दिल्ली के एक छात्र की मृत्यु	Death of a Student of Government Co-Educational Higher Secondary School President Estate, New Delhi. . .	15
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
323क	रूस से प्राप्त गेहूं के लिए भंडार सुविधाएं	Storage Facilities for Wheat received from USSR	17
324क	देश के उत्तरी हिस्से में देर से पकने वाली गेहूं की किस्म की बुवाई	Planting of Late Maturing Variety of Wheat in Northern part of the country	18

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव पूछा था।

The Sign† marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
327क	विश्वभारती विश्वविद्यालय की कार्य-पद्धति में परिवर्तन	Changes in working of Vishwa Bharati University	19
329क	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	Central Inland Water Transport Corporation	19
330क	बिहार के गया, हजारीबाग तथा कोडरमा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का कम पाया जाना	Shortage of Foodgrains in Godowns of FCI in Gaya, Hazaribagh and Kodarma in Bihar. .	20
331क	बिलासपुर-डाल्टनगंज सड़क को राष्ट्रीय राजपथ के रुप में स्वीकार किया जाना	Bilaspur Daltonganj Road as National Highway	20
332क	रत्नागिरि (महाराष्ट्र) में हर मौसम में प्रयोग में लाये जाने वाले पत्तन का निर्माण पूरा किया जाना	Completion of all weather Port at Ratnagiri (Maharashtra) . .	20
333क	उचित मूल्य कीं दुकानों में चीनी की घटिया किस्म के लिए अच्छी किस्म के मूल्य वसूल किया जाना	Charging Price of Good quality Sugar for Inferior Quality Sugar at Fair Price Shops	20
334क	भूमि कटाव	Soil Erosion	21
335क	भारतीय खाद्य निगम पर पूर्ण नियंत्रण के लिए राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु का अनुरोध	Request from Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu to have full control over FCI. . . .	22
336क	शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन	Reconstruction of Education System	22
337क	काली तुलसी के पौधे लगाने के लिए भूमि का सर्वेक्षण	Survey of land for Planting Black Basil (Tulsi) Plant	23
338क	प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के साहित्य के प्रकाशन पर खर्च हुई धनराशि	Amount Spent on Production of University Level Literature in Regional Languages	23
339क	शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सुझाव	UGC suggestion for changes in Education System	24
340क	आसाम में चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of Sugar Mills in Assam .	25
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
3379	मध्य प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टरों का आवंटन करने में विलम्ब	Delay in allotment of Tractors to Farmers of M.P.	26
3380	एशिया के देशों में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार	Buffer stock Foodgrains of Asian Countries	27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3381	विभिन्न समुदाये में शिक्षा के प्रसार गति में एक रूपता	Uniformity in intensity of education in various communities . . .	27
3382	केसरी दाल की बिक्री पर रोक	Ban on sale of Kesri Dal	28
3383	कर्नाटक में बंजर भूमि पर भूमिहीन आदि वासियों को वसाना	Settlement of Landless Tribals on Waste Land in Karnataka	28
3384	कनाट प्लेस, नई दिल्ली से अनधिकृत रूप से बिस्कुट बेचने वालों को हटाना	Removal of Unauthorised Biscuit Vendors from Connaught Place, New Delhi .	28
3385.	वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान कर्नाटक को गेहूं की सप्लाई	Wheat to Karnataka during 1972-73 and 1973-74	29
3386	भारतीय पोतों द्वारा माल की ढुलाई	Carrying of Cargo by Indian Ships .	29
3387	केन्द्रीय भेड़, फर्म, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	Central Sheep Farm Shivpuri, Madhya Pradesh .	30
3388	मध्य प्रदेश में अयाक्त विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जोरदार विकास के लिए प्रमुख ग्रामखंड	Intensive Key Village Block under Ayacut Development Programme in M. P. .	30
3389	पश्चिम बंगाल परिवहन का विकास तथा राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण करने के लिए सहायता	Assistance for Development of Transport and Construction of National Highways in West Bengal . .	31
3390.	गत पांच महीनों के दौरान राजस्थान को चीनी की सप्लाई	Sugar to Rajasthan during last five months	32
3391	गत पांच महीनों के दौरान मेघालय को दिया गया चावल	Rice to Meghalaya during last five months . . .	32
3392	गत पांच महीनों के दौरान महाराष्ट्र को चावल की सप्लाई	Rice to Maharashtra during last five months	32
3393.	केरल में गूदा लकड़ी के पेड़ लगाने के विषय में परियोजना रिपोर्ट	Project Report on Plantation of Pulp wood species in Kerala	33
3394	बम्बई और कलकत्ता नगरों को भेजने के लिए दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains to Delhi from neighbouring states for onward Transmission to Bombay and Calcutta .	33
3395	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के फ्लैट	Different types of flats in each group constructed by DDA	33
3396	भारतीय खाद्य निगम के एक कर्मचारी द्वारा दिल्ली में आमरण अनशन	Fast unto death by an employee of FCI in Delhi	34

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3397	दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहरी परिसर के कालिजों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए पुस्तकालयों का खोला जाना	Opening of Libraries for benefit of college students of outer campus of Delhi University . . .	34
3398	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का रख-रखाव और उन्हें सुरक्षित रखना	Maintenance and safe custody of Answer Books by Board of Secondary Education, Delhi	35
3399	बिहार में भूमि अधिगृहीत करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों में बांटना	Land Acquired and Allotted to Scheduled Castes/Tribes landless Agricultural Labourers in Bihar . .	35
3400	वर्ष 1972-73 के दौरान वनस्पति घी का उत्पादन तथा वनस्पति घी की राज्यवार वर्तमान मांग	Vanaspati produced during 1972-73 and present Demand of Vanspati, Statewise	36
3401	दिल्ली में गन्दी बस्तियों की सफाई करने हेतु नियतखर्च में कटौती	Cut in provision for slum clearance in Delhi	37
3402	गांव स्तर की एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्न की वसूली	Procurement of Foodgrains through village level Agency	37
3403	गेहूं की वसूली	Procurement of Wheat .	38
3404	निर्मित बजरों के लिए इंजनों की सप्लाई न करना	Non supply of Engines for Barges Built .	38
3405	स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम का संशोधन	Amendment of Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act	38
3406	सफदरजंग उपरिपुल की दुर्घटना स्वरूप हताहतों को क्षतिपूर्ति	Compensation to victims of Safdarjung Flyover	39
3407	नई दिल्ली में हुआ आदिवासी कल्याण सम्मेलन	Conference of Tribal Welfare held New Delhi	40
3408	कीटनाशक औषधि अधिनियम लागू करने के बारे में भारतीय कीट-नियंत्रित एसोसिएशन के विचार	Views of Indian Pest Control Association on the implementation of the Insecticide Act	40
3409	विकलांगों के पुनर्वास की योजना	Schemes for Rehabilitation of Handicapped . . .	40
3410	काल पात्र के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Prime Minister's Statement on Time Capsule	41
3411	दिल्ली तथा नई दिल्ली को साफ रखने के लिए कार्यवाही	Steps to keep Delhi/New Delhi Clean .	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3412	पांचवीं योजना में पंजाब में चलाये जाने वाले नलकूप	Tube wells energised in Punjab during Fifth Plan	42
3413	दिल्ली में सरकारी कार्यों के लिए अपने वाहनों का प्रयोग न करने वाले इंजीनियर	Engineers not using their Conveyances for official duties in Delhi . . .	43
3414	निर्धनों की सर्दी से रक्षा करने के लिए व्यवस्था	Arrangements for protection to poor from cold	43
3415	राजस्थान में वनस्पति घी का जमा हो जाना	Accumulation of Vanaspati in Rajasthan	43
3416	भेड़पालन तथा चुकन्दर की खेती के लिए रूसी प्रतिनिधि मंडल का दौरा	Russian Delegation for Sheep Breeding and Beet Root Cultivation . .	44
3417	किसानों को प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करने के लिए सहायता देने संबंधी योजना	Scheme to help Farmers to meet Natural Calamities . . .	44
3418	आर० एस० 09 ट्रैक्टरों का अध्यापित मूल्य	Return of price of RS-09 Tractors .	44
3419	यूनियन कार्बाइड इंडिया द्वारा बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण	Survey of Bay of Bengal by Union Carbide	45
3420	भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किए गए उपाय।	Measures for Employment of Landless Labour	45
3421	उड़ीसा में सिचाई प्रयोजनों हेतु भूमिगत जल का विकास	Ground Water Development for Irrigation Purposes in Orissa	46
3422	खाद्यान्नों की तस्करी को रोकने के लिए बिहार को सहायता	Assistance to Bihar to Present Smuggling of Foodgrains	46
3423	पांचवीं योजना में 'सेल्फ कल्टीवेटिंग टेनेंसी लाज' (स्वयं खेती करने संबंधी काश्तकारी विधियां) और स्वेच्छा से जोतने वालों की सुरक्षा के उपाय	Measures for Self Cultivating Tenancy Laws Security for Tenants at Will during Fifth Plan	47
3424	समीपवर्ती राज्यों से दिल्ली में लाते हुए खाद्यान्नों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested on the charge of Smuggling Foodgrains to Delhi from Adjoining States	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3425	केन्द्रीय सचिवालय हिन्द परिषद द्वारा गोष्ठियों का आयोजन	Holding of Seminars by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad . . .	47
3426	पेय जल की अत्यधिक कमी वाले ग्रामों की संख्या	Number of Villages where drinking water is Not Available	48
3427	वर्ष 1973-74 में गुजरात की ट्रैक्टरों की आवश्यकता	Requirement of Tractors in Gujarat during 1973-74	49
3428	कर्नाटक में स्वच्छ पेय जल	Clean drinking water in Karnataka .	50
3429	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों की वसूली	Recovery of Advance made by Delhi State Cooperative Bank to Cooperative Societies . . .	50
3430	सीमांत कृषकों तथा खेतीहर मजदूरों संबंधी परियोजनाओं से लाभ	Benefit from Marginal Farmers and Agricultural Labourer Project .	51
3431	मेसी फरगूसन ट्रैक्टरों का आयात और राज्यों को उनका आवंटन	Import of Massey Ferguson Tractors and their allotment to States .	52
3432	त्रिपुरा के मछली व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयां	Difficulties faced by fish traders of Tripura	52
3433	मध्य प्रदेश को पांचवीं योजना में भू संरक्षण के लिए आवंटन	Allocation for Soil Conservation during Fifth Plan in M.P. .	52
3434	सोवियत संघ से आयात किए गए उर्वरक का मूल्य	Price of Fertiliser Imported from USSR .	53
3435	गत एक वर्ष के दौरान वनस्पति के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि	Percentage of Increase in Vanaspati during last one year . .	53
3436	चौथी योजना में पश्चिम बंगाल में पेय जल के लक्ष्य	Targets for Drinking Water in West Bengal in 4th Plan .	53
3437	बिस्कुट के कारखानों के लिए पश्चिम बंगाल को रवा, मैदा और गेहूं के आटे की सप्लाई की मात्रा	Quantity of Rawa, Maida and Wheat Flour supplied to W. Bengal for Biscuit Factories	54
3438	भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखे जाने के लिये प्रोत्साहन	Promotion of Books in Indian Languages	54
3439	वर्ष 1974 में अधिक कृषि विश्वविद्यालय	More Agricultural Universities during 1974	55
3440	डाक्टरोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए आयु-सीमा	Age Limit for Post Doctoral Scholarships	55

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3441	सिंचाई के लिए पम्प सैटों की खरीद के लिए पश्चिम बंगाल के किसानों को केन्द्रीय ऋण	Central Loan to West Bengal Farmers for purchase of Irrigation Pump Sets .	56
3442	रायचौक, पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने की बंदरगाह की प्रगति	Progress of Fish Harbour at Roychowk, West Bengal . .	56
3443	सामग्री की लागत में मितव्ययिता	Economy in Material Cost	57
3444	सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों (सूट्स) के लिए वर्तमान वर्गों का पुनर्वर्गीकरण	Reclassification of the Present Categories of suites for Government Employees .	57
3445	कृषि वस्तुओं में 'टाक्सिन' का होना	Presence of Toxin in Agricultural Commodities	58
3446	वनस्पति मिलों द्वारा घी के लिये पौलिथीन डिब्बों का प्रयोग	Use of Polythene container for Ghee by Vanaspati Mills .	58
3447	पांचवीं योजना के दौरान हरिजनों तथा आदिवासियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land in Harijans and Adivasis during Fifth Plan . . .	58
3448	राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड द्वारा की गयी प्रगति	Progress made by the Highway Research Board	59
3449	गत छः महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कम पाया गया खाद्यान्न	Foodgrains found Short in FCI Godowns during last six months . . .	59
3450	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नेशनल बुक ट्रस्ट और राष्ट्रीय अकादमियों के पास पड़ी हुई पुस्तकों का स्टाक	Stock of Books lying with Central Hindi Directorate, National Book Trust and National Akademies . . .	59
3451	बीजों की सुधरी हुई किस्मों की सप्लाई के बारे में राष्ट्रीय बीज निगम की असफलता	Failure of National Seeds Corporation to supply improved varieties of seeds	60
3452	एम० ए० सी० टी० भोपाल का कार्यकारण	Functioning of MACT Bhopal	61
3453	फालतू भूमि का वितरण	Distribution of Surplus land	61
3454	मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में नेहरू स्मारक कृषि कालेज की स्थापना	Setting up Nehru Memorial Agriculture College, Alirajpur M.P. . . .	62
3455	कीटों तथा रोगों के कारण फसल को क्षति	Damage to crop due to Pests and Disease	63

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3456	गुजरात में अध्यापकों द्वारा हड़ताल	Strike by Teachers in Gujarat . .	64
3457	गुजरात में हड़ताल के कारण परीक्षाओं का स्थगित किया जाना	Postponement of Examinations due to strike in Gujarat . . .	64
3458	पांचवीं योजना के दौरान समाज कल्याण योजानाएं	Social Welfare schemes during Fifth Plan	65
3459	महाराष्ट्र में बाजरा के खराब बीजों की बिक्री	Sale of Bogus Bajra Seeds in Maharashtra	66
3460	भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि तथा राज्यों में उसका उपयोग	Rise in the level of ground water and its use in States . .	66
3461	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई सफाई मशीनों की लागत और कार्यकरण	Cost and working of cleaning machines purchased by FCI . .	67
3462	मंत्रियों के निवास स्थानों के रखरखाव पर वार्षिक व्यय	Annual expenditure on maintenance of residence of Ministers . .	67
3463	प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ में पक्की सड़कों की लम्बाई	Length of pucca roads on the commencement of First Five Year Plan .	68
3464	हल्दिया में शिपयार्ड	Shipyard at Haldia	69
3465	स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पुस्तकों के संबंध में विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष	Findings of Expert Committee regarding Books prescribed for school students .	69
3466	दूध में मिलावट करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों की गिरफ्तारी	Arrest of officers of Delhi Milk Scheme for adulterating Milk . . .	70
3467	उड़ीसा में कृषि उद्योग निगम तथा कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना	Setting up of Agro Industry Corporation and Agro Service Centre in Orissa .	70
3468	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को स्वायत्ता	Autonomy for Indian Agricultural Research Institute	71
3469	विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण	Reservation in Government jobs for Physically handicapped persons . .	71
3470.	उर्वरक में मिलावट की जांच	Probe into adulteration of fertiliser	71
3471	आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा प्लाटों के विकास की योजना	Scheme for development of plots by HUDCO	72
3473	भूख से मुक्ति अभियान पर खर्च	Expenditure on Freedom from Hunger Campaign	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3474	भारतीय खाद्य निगम दीघा, द्वारा घटिया गेहूं की सप्लाई के बारे में खाद्य तथा नागरिक संभरण निगम की ओर से शिकायत	Complaint from Food and Civil Supply Corporation of Bihar Regarding supply of substandard wheat by FCI Digga .	73
3475	वसूली लक्ष्य कम होने के कारण चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि का प्रस्ताव	Proposal for rise in price of rice and wheat due to below target procurement. .	74
3476	डालडा की कमी	Shortage of Dalda.	74
3477	सुपर बाजार में वनस्पति घी की चोर-बाजार में बिक्री	Sale of vegetable ghee in black market from Super Bazar, Delhi. . .	74
3478	फरवरी के लिए कंट्रोल तथा खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी	Levy and free sale sugar for February.	74
3479	मध्य प्रदेश में मछली पालन के विकास के लिए अधिक धनराशि दिये जाने की मांग	Request for more funds for the development of Fisheries in M.P.. . .	75
3480	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वित्तीय नियतन में कटौती	Reduction in Financial Allocation for National Capital region. . . .	75
3481	पांचवीं योजना में वाणिज्यिक फसल पैदा करने के लिए अतिरिक्त क्षेत्र	Additional area for production of commercial Crop during fifth plan. . .	76
3482	अंधों, वहरों, विकलांगों तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना	Seetting up of National Institutes, for Blind, Deaf, Handicapped and Mental retarded	77
3483	मुरादाबाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिना छत के गोदामों को किराये पर लेना	Open Air Godowns hired by FCI Moradabad	77
3484	उत्तर प्रदेश के नैनीताल में किराये पर लिये गये बिना छत के गोदाम	Open Air Godowns hired in Nainital (U.P.)	78
3485	दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों में यात्रा करते समय जनता को असुविधा	Inconvenience caused to Public While travelling in Private buses operating under DTC . . .	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3486	दिल्ली में पौलीटैकनीक संस्थानों का पुनर्गठन	Reorganisation of polytechnics in Delhi	78
3487	गुजरात में मूंगफली के लिए फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme for groundnut in Gujarat	79
3488	गेहूं की नई किस्म के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और रूसी वैज्ञानिकों के बीच वार्ता	Talks between IARI and Russian Scientist on new wheat variety . . .	79
3489	कोयले की कमी के कारण कुछ राज्यों में चीनी की मिलों का बंद होना	Closure of sugar mills in certain states due to shortage of coal . .	80
3490	हिमालय की घाटी में टेपिओका की खेती	Cultivation of Tapioca in Himalayan Valley.	81
3491	मानव जाति की प्रगति में गेहूं के योगदान के बारे में गोष्ठी	Symposium on the role of wheat in the progress of mankind .	82
3492	साहित्य अकादमी द्वारा वाचनालय का बन्द किया जाना	Closing of reading room by Sahitya Akademi	83
3493	शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण	Educational Survey	83
3494	तटवर्ती नौवहन द्वारा माल के परिवहन के लिए समन्वित कार्यक्रम	Coordinated programme for transportation of Cargo by Coastal Shipping . .	84
3495	विशिष्ट व्यक्तियों को उनके भवनों से फ्लैटों में भेजा जाना	Shifting of VIPs from their mansions to Flats	84
3496	राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारतीय खिलाड़ी दल के साथ जाने के लिये डाक्टर का चयन	Selection of a Doctor to accompany Indian Contingent to Commonwealth Games.	85
3497	वृहद् योजना के अनुसार नगरों का विकास	Development of cities according to Master Plan	85
3498	शिक्षक दिवस मनाना	Celebration of Teachers Day. . .	86
3499	राजस्थान में कृषि कार्यक्रम पर बिजली की कमी का प्रभाव	Effect of Power shortage on Agricultural Programmes in Rajasthan. . .	87
3500	बड़े नगरों में गन्दी बस्तियां हटाने के लिये सहायता	Assistance for Slum Clearance in Big Cities	87
3501	पश्चिम बंगाल के आदिवासी किसानों को राजसहायता	Subsidy to Adivasi Agriculturists of West Bengal	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3502	पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाये गये बांध	Dams constructed under Small Irrigation Scheme in West Bengal . . .	88
3503	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल में लघु सिंचाई पर व्यय	Expenditure on minor irrigation in West Bengal during IV Plan . . .	88
3504	नौकरी करने वाली महिलाओं के बारे में सर्वेक्षण	Survey of working women.	89
3505	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनकपुरी में समान दर पर पानी के शुल्क की वसूली	Recovery of water charges at flat rate by DDA in Janak Puri. . . .	90
3506	अपने स्वयं के मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करना	Allotment to Government Employees who Own Houses	90
3507	संस्कृत के छात्रों को आर्थिक सहायता का बन्द किया जाना	Stopping of Financial Assistance to Sanskrit Scholars.	91
3508	पांचवीं योजना में गुजरात राज्य में पत्तनों का विकास	Development of Ports in Gujarat State in Fifth Plan	91
3509	पांचवीं योजना के दौरान कृषि सेवा केन्द्र तथा बेरोज़गार इंजीनियरों को लाभ	Agro Service Centres during Fifth Plan and benefit to Unemployed Engineers .	91
3510	गुजरात में स्टीमर यात्री सेवा	Steamer Passenger Service in Gujarat .	92
3511	मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद वसूली नीति में परिवर्तन	Change in procurement policy after Chief Ministers' meeting	92
3512	डीज़ल और बिजली की कमी तथा वर्षा न होने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में रबी की फसल का खराब होना	Poor Rabi Crop in U.P. and Bihar due to shortage of Diesel and Power and lack of rain	93
3513	डी० आई० जैड० एरिया नई दिल्ली दुग्ध केन्द्रों का कार्यकरण	Functioning of milk booths in DIZ Area, New Delhi	93
3514	मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली पर पेट्रोल पम्प का निर्माण	Construction of Petrol Pump at Mandir Marg, New Delhi.	94
3515	पाला पड़ने और वर्षा न होने के कारण गेहूं की फसल को हानि	Damage of wheat crop due to Frost and absence of Rain.	94

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3516	खरीफ की फसल के लिये नये पौधे	New Plants for Kharif Crop.	94
3517	गन्ने के अकाल के कारण श्रीरामपुर कोपारगांव की चीनी मिलों का बन्द होना	Closure of Sugar Mills in Shri Rampur Kopargaon due to Cane Famine	95
3518	वर्ष 1973 के दौरान सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलों का दौरा	Visit of Cultural Delegations during 1973	96
3519	उसमानिया विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Osmania University.	96
3520	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में चीनी का उत्पादन	Production of sugar in Public and Private Sector	97
3521	पटना तथा मेनर के बीच राष्ट्रीय राज-पथ नम्बर 30 का टूटा-फूटा होना	Dilapidated condition of National High-way No. 30 between Patna and Maner	97
3522	पटना में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना	Establishment of second Central School at Patna	97
3523	बिकाऊ फालतू चावल की खरीद	Purchase of Marketable surplus of rice.	98
3524	कर्नाटक को मत्स्यपालन के विकास के लिये मंजूरी दिया जाना	Sanction to Karnataka for Development of Fisheries	99
3525	उर्वरकों और खाद्यान्नों का निर्बाध रूप से लाना ले जाना	Free Movement of Fertilizer and Food-grains	100
3526	वर्ष 1973-74 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल को भेजा गया धान अथवा चावल	Paddy or Rice sent to Maharashtra, Karnataka and Kerala during 1973-74	101
3527	खरीफ की चालू फसल के दौरान गुजरात को नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों का आवंटन	Allocation of Nitrogenous Fertilizers to Gujarat during current kharif.	101
3528	सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में नये शिपयार्ड तथा पत्तन बनाया जाना	Building up of new Shipyards and ports in Saurashtra and South Gujarat .	102
3529	कर्नाटक में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अनाज लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध	Inter District ban on movement of Foodgrains in Karnataka . .	102
3530	मैसूर विश्वविद्यालय विधेयक, 1973 पर केन्द्रीय अनमोदन	Central Approval of Mysore Universities Bill, 1973	103

अता० प्रा० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3531	वर्ष 1973-74 के दौरान केरल में छोटे किसान विकास एजेंसी योजन	Small Farmers Development Agency Scheme in Kerala during 1973-74 .	103
3532	चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए केरल राज्य का कृषि उत्पादन लक्ष्य	Target of Agricultural Production of Kerala for Fourth Plan . .	103
3533	केरल को उर्वरकों की कम सप्लाई	Short supply of Fertilizer to Kerala	104
3534	आगामी गर्मियों में दूध की अनुमानित कमी	Expected Shortage of Milk during coming Summer	104
3535	दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की किस्म में सुधार	Improvement in quality of Milk of DMS	105
3536	तिब्बतन लायब्रेरी की सहायता	Assistance to Tibetan library . .	105
3537	राज्यों को दोषी चावल मिलों को नियंत्रण में लेना	Take over of Defaulting Rice Mills in States	106
3538	भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर प्रतिबन्ध	Strikes banned in FCI . . .	106
3539	उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर वनस्पति	Vanaspati to Consumer on Ration Card	106
3540	उर्दू को बढ़ावा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Promotion of Urdu	107
3541	भारतीय खाद्य निगम के अधीन प्राइवेट संग्रहण एजेंटों द्वारा भ्रष्टाचार	Corruption by private storing agents under FCI	107
3542	शान्तिवन, विजयघाट और राजघाट के निर्माण कार्य पर व्यय	Expenditure on Construction Work of Shantivana, Vijayaghat and Rajghat	107
3543	उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों का उर्वरकों का कोटा	Fertilizer Quota of U.P. and other States	108
3544	गेहूं के स्थान पर सरसों की खेती	Shift in cultivation to Mustard from Wheat	109
3545	चीनी का सम्भावित उत्पादन तथा इसके उप-उत्पादकों का उपयोग	Expected Sugar production and use of its by-products	110
3546	आधुनिक बेकरियों को अन्न तथा 'आटे' का नियतन	Allocation of Grain and Atta to Modernised Bakeries	111
3547	वैज्ञानिक भूमि और जल प्रयोग योजना सम्बन्धी प्रवर्तनीय (ओपरेशनल) अनुसंधान परियोजना के लिए राष्ट्रीय ग्रिड	National Grid for Operational Research Project on Scientific Land and Water Use Planning	111

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3548	भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के लिये "मृत्यु लाभ योजना"	Death-Benefit-Scheme for the Employees of Government of India Presses .	111
3549	मद्रास/विशाखापतनम् को अन्तिम पत्तन बनाना	Madras/Vishakhapatnam as a Terminal Port	112
3550	गाद्र के कारण कलकत्ता पत्तन पर संकट	Calcutta Port Facing Crisis due to Work to Rule Basis	112
3552	अन्तर्राष्ट्रीय "बंगला साहित्य सम्मेलन में" भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नामांकन	Nomination of Indian Delegation to International Bangla Sahitya Sammelan	112
3553	बंगलादेश के कलाकारों और साहित्यकारों को निमंत्रण	Invitation to Men of Art and Literature from Bangladesh. . .	115
3554	भारत-बंगला सांस्कृतिक समिति की स्थापना	Setting up of Indo Bangladesh Cultural Committee	117
3555	देश में सप्लाई किये जा रहे माइलो की किस्म के विरुद्ध	Protests against Quality of Milo being supplied in the country . . .	117
3556	भारत और विदेशों का दौरा करने के लिये संस्कृति-विद् व्यक्ति का चयन करने हेतु समिति	Committee to select Man of Culture to visit India and abroad. . .	118
3557	निर्यात में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग पर नियंत्रण लगाये जाने का प्रस्ताव	Proposal to impose Curbs on Consumption of Essential Consumer Goods to step up Exports	119
3558	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के माध्यम से राज्यों को ऋण	Loan to states through Central Inland Water Transport Corporation . .	119
3559	दिल्ली में तेल और तिलहनों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in price of oil and oil seeds in Delhi.	120
3560	कृषि आर्थिक अध्ययनों का परिणाम	Results to Agro-Economic Studies.	120
3561	उत्पादन में शीघ्र वृद्धि करने हेतु क्षेत्रों का अध्ययन	Study of areas for Food Production as short term measure	121
3562	हरिजन तथा निर्धन लोगों के लिये कम लागत वाले मकान	Low cost houses for Harijans and Poor .	122
3563	कच्ची पटसन के मूल्यों में वृद्धि के लिये कृषि मूल्य आयोग को दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines to Agric ultural Price Commission to increase raw Jute prices . . .	122

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3564	वर्ष 1974-75 के लिये पश्चिम बंगाल से उर्वरक के बारे में अनुरोध और इसका अन्य राज्यों को आवंटन Request from West Bengal for Fertiliser and its allotment to other States for 1974-75	126
3565	सहकारी क्षेत्र में उर्वरक के दाने बनाने वाला एकक Fertilizer Granulation Units in Cooperative Sector	127
3566	दिल्ली परिवहन निगम के पास चलने योग्य बसें Serviceable Buses with DTC. . .	128
3568	1971-72 और 1972-73 के दौरान एफ० सी० आई० द्वारा हानि के लिये जिम्मेवारी निर्धारित करना Responsibility fixed for loss by FCI during 1971-72 and 1972-73. . . .	128
3569	महाराष्ट्र में विदेशी पशु नस्ल सुधार फार्म स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध Request for Central Assistance for Establishment of Exotic Cattle Breeding Farm in Maharashtra. . . .	128
3570	महाराष्ट्र में पूर्व निर्मित्त आवास कारखाना स्थापित करना Setting up of prefabricated Housing Factory in Maharashtra. . . .	129
3571	दिल्ली में नये कालेजों और शैक्षिक संस्थाओं का खोला जाना Opening of New Colleges and Educational Institutions in Delhi. . . .	129
3572	चालू वर्ष में सार्वजनिक वितरण के लिये अनाज की अतिरिक्त आवश्यकता Additional Requirement for Public Distribution System during Current Year.	130
3573	उड़ीसा में पारादीप पत्तन के विकास कार्यक्रम Development programmes of Orissa at the Paradeep port . .	130
3574	एफ० सी० आई० के कार्य में परिवर्तन Change in Rule of FCI .	131
3575	सस्ते क्वार्टरों का नमूना Model of cheap Quarter .	131
3576	वारानी खेती करने और रेतीली भूमि को खेती योग्य बनाने सम्बन्धी योजना Scheme of Dry Land Farming ond Desert Reclamation .	131
3577	गेहूं के व्यापार के नियंत्रण में लिये जाने का प्रभाव तथा खाद्य उत्पादन बढ़ाना Effect of take over of Wheat Trade and Boosting Food Production . .	132
3578	सरकारी कर्मचारियों के लिये सामाजिक आवास योजना और उनके लिये उपयुक्त डिजाइन Suitable Scheme and Design for Social Housing Scheme for Govt. Employees	133
	बिहार की स्थिति के बारे में Re. Situation in Bhiar.	133
	सभा पटल पर रखे गए पत्र Papers Laid on the Table . . .	134
	सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति Leave of Absence from the Sittings of the House	135
	दिल्ली के अस्पतालों में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य Statement re. Junior Doctors' Strike in Delhi Hospitals	137

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh. .	137
गुजरात बजट, 1974-75	Gujarat Budget, 1974-75.	138
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented . . .	138
अनुदानों की मांगें अनुपूरक (गुजरात) 1973-74	Supplementary Demands for Grants (Gujarat) 1973-74 .	138
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	138
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377—	
गुजरात विधान सभा को भंग किया जाना	Dissolution of Gujarat Assembly	138
सामान्य बजट, 1974-75-सामान्य चर्चा	General Budget, 1974-75- Gerenal Discussion	139
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M.S. Sanjeevi Rao . . .	139
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty . .	140
श्री विश्वनाथ राय	Shri Vishwanath Roy . .	142
डा० महिपत राय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta	143
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo. .	145
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul . .	145
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa. .	147
श्री नानूभाई एन० पटेल	Shri Nanubhai N. patel .	148
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bisht	149
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	150
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin .	151
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai . .	152
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	Shri R.V. Swaminathan.	153
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishr. . .	154
श्री निंबालकर	Shri Nimbalkar . .	154
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	155
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	157
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	158
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari . . .	158
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra. .	160
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh. . . .	161
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar. . .	161
राज्य विधान सभा भंग करने के गुजरात के गवर्नर के आदेश के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Order of Gujarat Governor Dissolving the Assembly . .	162
श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit. .	162
आधे घन्टे की चर्चा .	Half-an-hour discussion. . . .	164
उर्वरकों का उत्पादन तथा आयात	Production and Import of Fertilisers.	164
श्री समर गुह	Shri Samar Guha. . .	164
श्री शाहनवाज़ खां	Shri Shahanawaz Khan.	167

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 18 मार्च, 1974/27 फाल्गुन, 1895 (शक)
Monday, March 18, 1974/Phalguna 27, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवीं योजना में गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की योजना

*321क. **श्री ए० के० एम० इसहाक:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान समस्या-प्रधान गांवों तथा अन्य गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने सम्बन्धी कोई योजना सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री): (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गम तथा समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए योजना आयोग को, 35 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे थे, इसके अतरिक्त राज्य सरकार ने अन्य ग्रामों में ग्रामीण जलपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था । योजना आयोग ने, संसाधनों पर दबाव समेत सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना के दौरान, पश्चिम बंगाल के दुर्गम तथा समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल के लिए अनन्तिम रूप से 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के ग्राम सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं:—

(i) ऐसे ग्राम जिनका यथोचित दूरी (अर्थात् 1.6 कि०मीटर) तक पेय जल का कोई निश्चित स्रोत नहीं है ।

(ii) ऐसे ग्राम जिनके जलपूर्ति के स्रोत हैजे तथा नहरुआ कृमि जैसे जल जन्य स्थानिकमारी से ग्रस्त हैं, अथवा

(iii) ऐसे जल स्रोत जिनमें लवण, लोहा अथवा फ्लोराइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है । विशिष्ट जलपूर्ति कार्यक्रम/परियोजना बनाते समय ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता दी जायेगी जहां समाज के कमजोर वर्ग, अर्थात् जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोग बसे हों ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना के लिये 45 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन केवल 29 करोड़ रुपये दिये गये हैं । क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र के कई स्थानों तथा आसन-सोल क्षेत्र में पांच, छः अथवा दस मील तक भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता और कभी-कभी तो पानी 2 रुपये प्रति बाल्टी की दर से मिलता है ? यदि वहां यह स्थिति है तो 45 करोड़ रुपये की इतनी कम राशि की भी व्यवस्था क्यों नहीं की गयी और यह निर्णय लेने के लिये किस बात को प्राथमिकता दी गयी है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : पश्चिम बंगाल सरकार ने 45 करोड़ रुपये की मांग की थी जिसमें से अस्थायी तौर पर अभी 29 करोड़ रुपये दिये गये हैं । इस प्रयोजनार्थ मापदण्ड ये हैं: (क) वे गांव जिनमें 1.6 किलोमीटर की दूरी तक पेय जल उपलब्ध नहीं है, (ख) वे गांव जिनके जल स्रोतों में हैजे जैसी जल से पैदा होने वाली बिमारियों से प्रभावित हैं; और (ग) वे गांव जिनमें लवणता, लोहा अथवा फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो । इन श्रेणियों के गांव सहायता के पात्र होते हैं ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । उन्होंने उचित फासले की बात की है । उसके अनुसार एक व्यक्ति को पानी लाने के लिये 1.6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । क्या सरकार इसे एक उचित फासला समझती है ? क्या एक व्यक्ति को पानी लाने के लिये 1.6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा ?

दूसरी बात यह है कि यह आश्वासन दिया गया था कि समाज के कमजोर वर्ग वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, लेकिन अनुभव बताता है कि जल के लिये जब भी कोई व्यवस्था की जाती है तो समाज के सबल वर्ग को ही जल मिलता है । इन वायदों को सार्थक बनाने के लिये तथा समाज के निर्बल वर्गों को लाभान्वित करने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : राज्य सरकारों से बार-बार यह अनुरोध किया जाता है कि इस मामले में समाज के निर्बल वर्गों को प्राथमिकता दी जाये ।

श्री कृष्णचन्द हाल्दर : बर्दवान जिले के दुर्गापुर सब-डिवीजन तथा बांकुरा और पुरूलिया जैसे पिछड़े जिलों में पेय जल की बहुत कमी है । क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के नेपाली भाषी लोगों के लिये, जो उपरोक्त क्षेत्रों में रहते हैं; पीने के पानी के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था की है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : जहां तक स्थानों के चयन का सम्बन्ध है, यह काम राज्य सरकार करती है और इस बारे में यह बेहतर होगा कि माननीय सदस्य इन क्षेत्रों को चुनने के लिये राज्य सरकार को लिखें ।

श्री शक्ति कुमार सरकार: पहले यह नीति थी कि 400 की जनसंख्या वाले गांव को पीने के पानी हेतु एक नलकूप दिया जाय । क्या उनके द्वारा अभी बतायी गयी नीति पहले की नीति के विलकुल विपरीत नहीं है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 400 लोगों के लिए नलकूप देने की नीति किसने बनाई थी ।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या 29 करोड़ रुपये की राशि का नियतन कुछ योजनाओं के लिये किया गया है अथवा इसका नियतन अस्थायी तौर पर किया गया है और यदि कुछ अधिक योजनायें हैं तो क्या और अधिक राशि का नियतन किया जायेगा ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: विवरण से प्रतीत होता है कि जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों जैसे कमज़ोर वर्गों वाले गांवों को प्राथमिकता देने का सरकार ने निर्णय लिया है । पानी की सप्लाई के बारे में क्या नीति है ? क्या पानी विकसित तथा अर्द्ध-विकसित दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लिये अनिवार्य नहीं है ? मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता का पता आप कैसे लगा सकते हैं ।

श्री भोला पासवान शास्त्री: जल न्यूनतम आवश्यकता की श्रेणी के अन्तर्गत आता है और जहां तक कमज़ोर वर्गों का सम्बन्ध है, सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि इस प्रकार के लोगों को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन्: पश्चिम बंगाल के कुल कितने गांवों में पेय जल की व्यवस्था नहीं है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री: पश्चिम बंगाल में ऐसे गांवों की संख्या 38,530 है । इनमें से जल सप्लायी की दृष्टि से 13,837 कठिन क्षेत्र हैं और 12,000 गांव कठिन क्षेत्र नहीं हैं ।

समाज कल्याण कार्यों पर खर्च की गयी धनराशि

*322क. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72, 1972-73 में और जनवरी, 1974 तक समाज कल्याण कार्यों पर कुल कितना धन खर्च किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 6449/74]**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी: विवरण से पता चलता है कि सरकार ने हर बजट में राशि में वृद्धि करके समाज कल्याण कार्यों को बढ़ाया है । मंत्री महोदय बतायें कि इन कार्यों का समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर हरिजनों, सन्थालों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उनके सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास में क्या-क्या लाभ पहुंचा है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा त्रिपुरा में पिछड़े वर्गों के लोगों को खेलकूद तथा अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का किस सीमा तक लाभ हुआ है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : श्रीमन्, पिछड़े वर्गों का विषय समाज कल्याण विभाग से गृह मंत्रालय को अन्तरित कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल राशि पूछी है । आप उसका पहले ही उत्तर दे चुके हैं ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैंने विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया है । सामान्य निर्देश ये हैं, जैसे कि विशेष पोषाहार कार्यक्रम के बारे में कि उन बस्तियों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये जिनमें समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग बस्ते हैं जैसे कि वस्तियों में हरिजन होता है या आदिवासी क्षेत्रों के लोग रहते हैं ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिये राज्य सरकरों के सहयोग से कोई विशेष पोषाहार कार्यक्रम लागू किया जा रहा है या कि केन्द्र सरकार स्वयं इस कार्यक्रम को चला रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने प्रश्न को देखें तो आपने यही पूछा है कि समाज-कल्याण कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि स्वयं मंत्री महोदय ही असंगत बातें करना शुरू कर दें तब ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को केवल केन्द्र सरकार ही चला रही है या कि राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग कर रहीं हैं ? मुझे पता है कि कुछ राज्य सरकारें भी इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहीं हैं ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : गरीबी से नीचे के स्तर का जीवन व्यतीत करने वाली 30 प्रतिशत जनसंख्या में से 20 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अधिसूचित आदिवासी जातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोग हैं । जब भी कोई वित्तीय संकट खड़ा होता है तो वह इन कमज़ोर वर्गों के लोगों पर आता है । उन्हें ही सर्वाधिक हानि पहुंचती है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में वित्तीय संकट का कमज़ोर वर्गों के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी यह मांगी गई थी कि कितनी राशि खर्च की गई है । यदि आपने ब्यौरा मांगा होता तो बेहतर था । इसका सम्बन्ध विभिन्न मंत्रालयों से है ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : वित्तीय संकट के समय समाज कल्याण कार्यक्रम ही सर्वाधिक कुप्रभावित होते हैं । तो क्या वह यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में समाज कल्याण कार्यों पर वित्तीय संकट का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न को राशि में सम्बद्ध करके उत्तर दे सकते हैं । यह तो आपके और माननीय सदस्य के बीच की बात है ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री: मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता लगता है कि मद्य निषेध पर वर्ष 1973-74 के दौरान कोई राशि नहीं खर्च की गई । क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार ने मद्य-निषेध की नीति का परित्याग कर दिया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन: यह तो वर्ष के केवल एक भाग के लिए है, क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न जनवरी, 1974 तक की अवधि से सम्बन्धित है । अनुदान तो वित्त वर्ष के अन्तिम भाग में दिया जाता है ।

श्री डी० बसुमतारी: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए नियत निधियों को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि इन जातियों के विकास के सम्बन्ध में पेय जल आदि के लिये अपेक्षित धनराशि समाज के सम्पन्न तथा सुशिक्षित वर्ग के लिये खर्च की जा रही है। सरकार के पास इसका सुनिश्चय करने के लिये क्या व्यवस्था है कि इन जातियों के लिये नियत राशि उन्हीं के विकास पर खर्च की जाये ?

प्रो० एस० नुरुल हसन: यह प्रश्न गृह मंत्रालय से पूछा जाये ।

†राज्यों की अनाज की मांग और उसकी पूर्ति

*325क. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री मधु लिमये :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 से जनवरी, 1974 तक प्रत्येक राज्य ने केन्द्रीय सरकार से महीनेवार कुल कितने अनाज की मांग की, और

(ख) जनवरी, 1973 से जनवरी, 1974 तक प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय स्टाक से महीनेवार कुल कितनी मात्रा में अनाज का आवंटन किया गया तथा वास्तव में उन्हें कितनी सप्लाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6450/74]**

श्री ज्योतिर्मय बसु: हालांकि "इकनोमिक सर्वे" के नवीनतम संस्करण में उन्होंने वर्ष 1973-74 में असन्तोषजनक स्थिति का रुख बदल जाने की बात कही है, फिर भी कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा था कि जबकि 17,259 टन की मांग की गई थी परन्तु केवल 9,410 टन की ही सप्लाई की गई । इस तथ्य की दृष्टि से, क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि 17,259 टन की मांग के बदले उन्होंने केवल 9,410 टन की ही सप्लाई क्यों की जबकि वे **इकनोमिक सर्वे** के रुख में परिवर्तन की बात कर रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: यह सही है कि राज्य सरकारों की समूची मांग को पूरा करना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि जैसा कि विवरण में ही बताया गया है, राज्य सरकारों ने लगभग 180 लाख टन मांगा था हम केवल 100 लाख से 110 लाख टन तक ही दे सके । राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की सप्लाई किसी मानदण्ड के अनुसार की जाती है । ये मानदण्ड भण्डारों की स्थिति के वार्षिक प्रतिवेदनों, राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली मांगों, ऋतुओं की स्थिति, फसल के मूल्यांकन

राज्यों में उपलब्ध स्टाक तथा बाजार की तत्कालीन स्थिति के आधार पर नियत किये जाते हैं। अन्य मानदण्द वर्तमान वितरण के स्तर तथा वास्तविक रूप में उठाये गये माल के आधार पर तय होते हैं। ये मानदण्ड हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: सप्लाई वास्तविक मांग से आधी ही क्यों होती है। क्या ऐसा कम वसूली के कारण हैं? इसका क्या कारण है कि वसूली भी केवल 50 प्रतिशत ही होती है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: : क्या माननीय सदस्य किसी राज्य विशेष का जिक्र कर रहे हैं?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं समूची स्थिति के बारे में कह रहा हूं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: राज्य सरकारें अपनी मांगें अपने मूल्यांकन के अनुसार भेजती हैं। हम उनको आवंटन अपने स्टाक की स्थिति, उनकी उत्पादन सम्भाव्यता के बारे में अपने मूल्यांकन, उपभोग पद्धति, उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई तथा अनेक अन्य मानदण्डों के आधार पर करते हैं जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। मांग तथा आवंटन में कुछ अन्तर रहता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मांग और सप्लाई का सम्बन्ध वसूली से बहुत होता है, जिसके बारे में सरकार बुरी तरह असफल रही है। इसका क्या कारण हैं ? इसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया ?

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करेगी ? इस विचार से कि कुछ राज्य नक़दी फसलों का उत्पादन करते हैं तथा काफी विदेशी मुद्रा कमाते हैं, क्या सरकार एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करेगी ताकि खाद्य पदार्थों के रूप में उसे इसके स्थान पर, एक उचित विकल्प मिल जाये। दूसरे, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सरकार खाद्य के बारे में भी राजनैतिक हथकण्डे अपना रही है। उत्तर प्रदेश के मामले में अक्तूबर मास के लिए, जब मांग 114,000 टन की थी तो सप्लाई 27,000 टन की की गई, अगले महीने मांग 80,000 टन थी तो सप्लाई केवल 22,000 टन की की गई। ज्योंही चुनाव नज़दीक आये 114,000 टन की मांग के लिए सप्लाई बढ़ाकर 50,000 टन कर दी गई, वास्तविक सप्लाई तो इससे भी अधिक थी। ऐसा कैसे हुआ कि उत्तर प्रदेश में चुनावों के निकट आते ही सारी स्थिति बदल गई ? जबकि अन्य राज्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और बिगड़ गई। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करेंगे ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: माननीय सदस्य ने कई टिप्पणियां की हैं। जहां तक राष्ट्रीय खाद्य बजट का सम्बन्ध है, इस पर पहले तो श्री वैंकटापैया के अध्यक्षता में खाद्यान्न नीति जांच समिति ने विचार किया था। उसमें कुछ अन्य अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने इस प्रस्ताव की राज्य सरकारों से सिफारिश की। सरकार ने भी गहनता से विचार करके यह पाया कि इसे क्रियान्वित करना बड़ा कठिन होगा और इसे एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं पाया गया।

इसके बाद माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या हम नकदी फसलों का उत्पादन करने वाले राज्यों को सप्लाई करेंगे। सभापटल पर रखे गये विवरण में उल्लेख है कि हमारी सप्लाई का सबसे बड़ा भाग पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा केरल---यह दूसरी बात है कि उक्त सप्लाई पूरी पड़ती है या नहीं--- की जाती है जो कि नकदी फसलें पैदा करते हैं। केन्द्रीय पूल से उन्हें सर्वाधिक सप्लाई मिल रही है। हमारी नीति इन राज्यों को सहायता देने की है जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है।

मैं माननीय सदस्य के इस कथन पर आपत्ति करता हूं कि खाद्य का आवंटन राजनैतिक आधार पर किया जाता है। मैं इसका पूरी तरह खण्डन करता हूं। वस्तुतः यदि वह सभापटल पर परखे गये विवरण को ध्यान से देखें—सभा से कुछ भी नहीं छिपाया गया है—तो वह पायेंगे कि सब जगह उत्तर प्रदेश में भी मांग तथा सप्लाई में अन्तर रहा है। यहां तक कि फरवरी, मार्च या जनवरी महीनों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश क्रमशः 80,000 टन, 114,000 टन तथा 114,000 टन की मांग करता रहा और हमारी सप्लाई 25,000 टन से 50,000 टन तक रही है। उत्तर प्रदेश के मामले में भी मांग और सप्लाई में अन्तर हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: विवरणानुसार सितम्बर में मांग 1,14,000 टन, आवंटन 25,000 टन और पूर्ति 27,200 टन थी। अक्तूबर और नवम्बर में भी यही स्थिति थी परन्तु दिसम्बर में मांग 1,14,000 टन और पूर्ति 50,000 टन थी जो जनवरी में भी वही थी। पूर्ति के सितम्बर से नवम्बर तक के मुकाबले दिसम्बर और जनवरी में दुगुने होने के क्या कारण हैं? क्या इसलिए कि दिसम्बर और जनवरी चुनाव के अधिक निकट थे? मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं। वह सदा राजनीति को खाद्य से जोड़ते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपके प्रश्न में भी राजनीति घुली हुई है। आपके प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे तो दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैंने आंकड़े दिए हैं। चुनाव से दो मास पूर्व उन्होंने पूर्ति बढ़ा दी, इस पर हमें आपत्ति नहीं है, परन्तु अन्य राज्यके लिए उन्होंने क्या किया है... (**व्यवधान**)

Shri Jagannath Mishra: The disparity between demand and Supply by the Centre is apparent from the figures. It is also clear that in Bihar against previous Supply of 90 to 110 thousand tonnes, only 20 to 30 thousand tonnes were Supplied which has aggravated the food Situation there and it has became very difficult for the Government to tackle the problem. What the hon. Minister has to Say in this regard?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: बिहार के मुख्य मंत्री से हाल ही में मेरी और खाद्य मंत्री महोदय की बात हुई है और हमारा प्रयास राज्य सरकार की उचित मांग को यथासंभव अधिक से अधिक सीमा तक पूरा करने का है।

Shri Jagannath Mishra: Sir, my question remains unanswered. Why the Supply has come down to 20-30 thousand from 90-110 thousand tonnes? Who is responsible for deterioration in the Situation as a result thereof ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: आशा है सदस्य महोदय यह बात भी समझेंगे कि राज्य सरकारों को भी अनाज वसूली का प्रयास करना चाहिये क्योंकि दोनों सरकारों के लिये मिले-जुले प्रयासों से ही खाद्य समस्या हल हो सकती है। हमारे नियतन वसूली पर ही तो निर्भर हैं। आशा है वह यह बात समझेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी: मैं मंत्री महोदय की इस बात की सराहना करता हूं कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं जहां वाणियिज्क फसलें बोई जाती हैं परन्तु यदि वह अपना सभा-पटल पर रखा गया विवरण पढ़े तो देखेंगे कि उक्त दोनों राज्यों को ऐसी कोई सुविधा कभी नहीं दी गई है। तो क्या वह उन राज्यों को वहां तक विशेष सुविधा प्रदान करेंगे जहां तक

कि वे केन्द्रीय सरकार को विदेशी मुद्रा कमा कर देते हैं? दूसरे क्या चाय बागान मालिक संघ ने पृथक आवंटन करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मचारियों को अनाज रियायती दरों पर देना पड़ता है? यदि यह व्यवस्था नहीं की जाएगी तो उनकी प्रशासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसाकि मैं कह चुका हूं, हो सकता है कि केन्द्रीय आवंटन से राज्य सरकारें संतुष्ट नहीं हों। मैंने जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार हमने गत वर्ष लगभग 100 से 110 लाख टन अनाज का वितरण किया जिसमें से लगभग 40 लाख टन पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को दिया गया। इससे स्पष्ट है कि हमने न्याय किया है या नहीं। जहां तक चाय बागानों की बात है पहले तो चाय-बागान अपना प्रबन्ध स्वयं करते थे परन्तु अब यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अतः उन्हें केन्द्रीय आवंटन में से भी अनाज देना चाहिये। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने हमें ये कठिनाइयां बताई हैं और हम सभी संभव सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण के अनुसार केरल की 1,31,000 से 1,35,000 टन की मांग के मुकाबले उसे दिसम्बर और जनवरी में क्रमशः 73,000 और 80,000 टन अनाज दिया गया। अब दिए गए वक्तव्य के अनुसार अपनाई जाने वाली नई प्रक्रिया में दक्षिणी खाद्य क्षेत्र भी शामिल है, तो क्या केरल ने केन्द्र से इसके बावजूद उसे चावल की कुछ मात्रा सप्लाई करते रहने की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया है? उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : चावल के लिए दक्षिणी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह सुझाव दक्षिणी राज्यों को भेजा गया है। यदि सभी राज्य सहमत हो गए तो केन्द्र को कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु सदस्यों की यह धारणा कि यह क्षेत्र बन जाने पर सरकारी वितरण व्यवस्था नहीं रहेगी, ठीक नहीं है और हम चाहेंगे कि केरल में यह व्यवस्था जो बहुत पुरानी और आवश्यक है, बनी रहे और हम केरल सरकार को यह दायित्व निभाने में सहायता करेंगे।

श्री दिनेश चन्द्र : विवरण के सम्बन्ध में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। जैसे, बिहार की मांग अप्रैल में 1,50,000 टन की, मई में अचानक 70,000 टन की और जून में पुनः 1,50,000 टन की थी जबकि पूर्ति क्रमशः 24.6, 46.2 और 56.4 हज़ार टन थी। मांग और पूर्ति में इस उतार-चढ़ाव के क्या कारण हैं?

अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह बात सभी को बता देना चाहूंगा कि अन्ततः केन्द्र द्वारा सप्लाई स्टाक पर निर्भर होती है जो आगे वसूली पर आधारित है। पहले पहले नियतन उदार रहा है और दो वर्षों तक तो हमने राज्यों की मांग के अनुसार ही पूर्ति की, तब नियतन का कोई प्रश्न ही नहीं था। बाद में स्टाक के अनुसार नियतन स्वाभाविक रूप से करना ही पड़ा और इससे विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का ख्याल रखा गया।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : अप्रैल की अपेक्षा मई में मांग आधी रह जाने के क्या कारण है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बिहार के बारे में क्योंकि जुलाई में वर्षा नहीं हुई, अतः राज्य सरकार ने सोचा कि जनता के मन में भय है, इसलिए मांग हठात बढ़ा दी गई।

Shri Phool Chand Verma: According to the hon. Minister's statement, the Supply to U.P. was much more than to other State. Perhaps, because U.P. is a very big State. But what about M.P. which is the next biggest State. Looking at the demand, allotment and Supply figures, you would find that in July against a demand for 38,000 the

allotment was 20,000 and Supply was only 5,000 tonnes. I want to know why 40,000 tonnes of foodgrain was not supplied to M.P. as promised in lieu of the Supply diverted to Gujarat and Maharashtra during transport strike in July, 1973 on Centre's request? Is the Centre prepared to supply this quantity to M.P.? If so, when?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खेद है कि उत्तर प्रदेश का फिर उल्लेख हुआ है । शायद सदस्य महोदय जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 10 करोड़ है और वहां गेहूं खाया जाता है। दिसम्बर, जनवरी और फरवरी गेहूं सप्लाई की मंदी के मास हैं। उसे जो भी गेहूं दिया जा रहा है, उसी द्वारा की गई वसूली में से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ गड़बड़ी हुई है जो हमारे बस में नहीं था, परन्तु वास्तव में सप्लाई राज्य की वसूली में से ही की जानी थी क्योंकि यह राज्य देश में काफी अतिरिक्त खाद्य उत्पादन करता है। इसलिए इसे अपनी आवश्यकता पूर्ति के अलावा अन्य पड़ौसी राज्यों का भी ध्यान रखना चाहिये। मेरा सदस्य महोदय से निवेदन है कि वह वसूली में सहयोग दें ताकि हम न केवल मध्य प्रदेश की अपितु अन्य राज्यों की खाद्य समस्या भी हल कर सकें।

Shri Phool Chand Verma: I want a clarification. What he has to say about the promised Supply of 40,000 tonnes of foodgrains which was diverted by M.P. to Gujarat and Maharashtra at the Centre's request?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पता नहीं सदस्य महोदय का संकेत किस ओर है। गेहूं की सप्लाई के बारे में राजस्थान के साथ कुछ समझौता हुआ था और यह समायोजन राज्य सरकारों के बीच का है। राज्य सरकार और हमारे बीच कोई भ्रांति नहीं है।

श्री नारायण चन्द पराशर : खाद्य के मामले में हिमाचल प्रदेश कमी वाला राज्य है। इस अवधि में 121.5 टन के मुकाबले आवंटन 81 टन का था और पूर्ति 47 टन हुई। क्योंकि यह राज्य गेहूं की कमी वाला राज्य है, इसलिए क्या केन्द्र इस राज्य के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाएगा क्योंकि गेहूं के लिए उर्वरा घाटियां राजस्थान जैसे राज्यों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए बांध बनाने से जलमग्न हो गई हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को एक टन गेहूं देने को कहा था परन्तु केन्द्र ने मना कर दिया। यह अन्याय क्यों किया गया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यदि खपत के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि इस राज्य और जम्मू-काश्मीर राज्य में प्रति व्यक्ति खपत सबसे अधिक है। केन्द्र इन राज्यों की भरसक सहायता करने का प्रयास करता है। हां, यदि कोई विशिष्ट बात हमारे ध्यान में लाई जाए तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री समर गुह : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पंजाब से पश्चिम बंगाल को भेजे जाने वाले गेहूं में कंकड़ और रेत बहुत होती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न किस्म के बारे में न होकर मात्रा के बारे में है।

श्री समर गुह : उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के जनवरी से दिसम्बर तक के मांग और पूर्ति के आंकड़ों में इतनी अधिक वृद्धि क्यों हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो पूछा जा चुका है। आप उस समय आए नहीं थे।

श्री समर गुह : मैं यहीं था। यह वृद्धि बहुत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी भी तो सुनें। जब आप नहीं आए थे तभी श्री बसु ने यह प्रश्न पूछा था।

श्री समर गुह : मैं यहीं था। यह वही प्रश्न नहीं है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, पहले के कुछ मासों में पूर्ति 12,000, 7,000, 14,000 और 17,000 टन थी परन्तु चुनाव से पहले के मास में पूर्ति केवल 6,000 से 8,000 थी। आप आंकड़े देख लें..... (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : कुल मांग 2,70,000 टन और पूर्ति 8,600 टन थी। ऐसा क्यों ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरा निवेदन है कि चुनाव परिणाम खुशी से स्वीकार कर लेने चाहिये ।

श्री समर गुह : हमारा यहां पर चुनाव परिणामों से कोई मतलब नहीं है। खाद्य और राजनीति का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने नवम्बर के आंकड़े बताए जबकि मैंने दिसम्बर और जनवरी का उल्लेख किया था। मैंने पूछा था कि एक मास में ही मांग और पूर्ति में 5–10 गुना वृद्धि कैसे हुई ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री समर गुह : उन्होंने नवम्बर और दिसम्बर के बारे में बताया है जबकि मैंने पूछा है कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में दिसम्बर और जनवरी मास में मांग और पूर्ति में 5–10 गुना वृद्धि क्यों हुई ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कुल मिलाकर पूरे देश में दिसम्बर, जनवरी और फरवरी गेहूं के मामले में मंदी के मास होते हैं। इनमें से कुछ राज्यों के सम्बन्ध में कुछ समायोजन किया जाता है..... (**व्यवधान**)। हम 1,40,000 टन गेहूं पश्चिम बंगाल को दे चुके हैं। यदि उड़ीसा को 6,000 से 10,000 टन तक दिया भी गया तो क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। 45 मिनट में हम केवल तीन ही प्रश्न निपटा पाये हैं, जब कि सूची में 20 प्रश्न हैं ।

स्पेन से जहाजों की खरीद

*326क. **श्री बसन्त साठे :** †

श्री निहार लास्कर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पैन से जहाजों की खरीद के बारे में बातचीत की है;

(ख) क्या भारतीय व्यापारिक बेड़े के लिए स्पेन के शिपयार्डों में और अधिक जहाजों के निर्माण के लिए भारत और स्पेन के बीच करार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सामान्यतः सरकार जहाज नहीं खरीदती। तीन जहाजी कम्पनियों ने स्पेन में छः जहाजों का आर्डर दिया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोगेन्द्र झा : श्रीमन्, मैं बार-बार खड़ा होता हूं परन्तु आप मुझे प्रश्न पूछने का अवसर ही नही देते ।

अध्यक्ष महोदय : आपके दल को अवसर मिला था। मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं और मंत्री महोदय उत्तर दे चुके हैं। सामान्यतः मैं सभी दलों को अवसर देने का प्रयत्न करता हूं परन्तु यह आवश्यक नहीं जो कोई भी खड़ा हो जाये उसे अवसर दिया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि आप चाहते हैं तो मैं खड़ा ही रहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या भविष्य में अध्यक्षपीठ के साथ ऐसा व्यवहार किया जायेगा क्योंकि एक सदस्य कहते हैं "क्योंकि मैंने उन्हें अवसर नहीं दिया इसलिए वे चिल्लाते रहेंगे"। प्रत्येक सदस्य को अवसर देने के लिये मैं बाध्य नहीं हूं।

यदि सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो बहुत कठिनाई पैदा हो जायेगी। 525 सदस्य हैं। मैं उन सभी को प्रसन्न नहीं कर सकता। कभी-कभी 50 सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं।

श्री पीलू मोदी : 525 अभी तक पूरे नहीं हुये हैं। अभी तक 520 हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपने लिये नहीं कह रहा हूं। क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात उठायी है उन्हें उसका उत्तर मिलना चाहिए। अबसे किसी को भी केवल इसलिए अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया जायेगा कि वह पांच दस मिनट खड़ा रहता है। दूसरे अगला प्रश्न ले लिये जाने पर किसी को भी पिछले प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि आप इसका स्पष्टीकरण करें तो मैं बैठ जाता हूं।

Shri Phool Chand Verma ; Sir, If you allow him to ask his supplementary you will have to allow Mr Berwa also. He is also from Rajasthan. I seek your ruling. This is not the way.

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले चुका हूं और मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ कर दिया था ।

श्री भोगेन्द्र झा : आप इस पर अपना निर्णय दे सकते हैं और सदन को इसे मानना चाहिये अर्थात् किसी सदस्य को भी पांच दस मिनट तक खड़े रहने के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया जायेगा। कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सदैव खड़े हुये दिखाई पड़ते हैं। दूसरे, अगला प्रश्न ले लिये जाने पर पिछले प्रश्न पर किसी सदस्य को भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : केवल खड़े हो जाने के कारण ही कोई सदस्य प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त करने की अनुमति का अधिकारी नहीं हो जाता। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : परन्तु आप तो ऐसा ही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिये :

श्री भोगेन्द्र झा : मैं यह बात जानना चाहता हूं। मैं आपकी बात मानता हूं।

श्री पीलू मोदी : अध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय दिया है कि वह समय-समय पर वही करेंगे जो वह करना चाहते हैं। अब माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये।

श्री भोगेन्द्र झा : जब माननीय मित्र अध्यक्ष बनें तब ऐसा विनिर्णय दे सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है अतः मै आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य से अनुरोध कर सकता हूं कि अब वह बैठ जायें।

श्री भोगेन्द्र झा : अब से नया प्रश्न ले लिये जाने पर किसी सदस्य को भी पिछले प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कृपया आप इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री पीलू मोदी : निरर्थक ।

अध्यक्ष महोदय : किसी को अभी इस प्रकार अनुमति नहीं दी गई है।

श्री भोगेन्द्र झा : बहुत बार ऐसा हुआ है। इसलिए मैं यह बात जानना चाहता हूं। आप कोई मापदन्ड निर्धारित कीजिये और उसको प्रयोग में लाइये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पीलू मोदी : कोई कठोर नियम नही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब तक किसी सदस्य को अगला प्रश्न ले लिये जाने पर पिछले प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है ?

श्री भोगेन्द्र झा : ऐसा कई बार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य ऐसा कोई एक भी उदाहरण दें तो मैं अपनी भूल सुधार सकता हूं।

यदि कोई सदस्य यह कहता है कि मंत्री महोदय ने उसके प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया है तब ऐसे मामले में मैं कभी-कभी अगला प्रश्न पूछने वाले सदस्य से थोड़ी प्रतीक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : कम से कम भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री वसंत साठे : मैं इसका विरोध करता हूं। मेरे प्रश्न का समय लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री भोगेन्द्र झा को बताना चाहता हूं कि वह मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं जानता हूं वह सच्चे भी हैं। इस मामले में मैंने श्री चन्द्रप्पन को अवसर दिया और उसके पश्चात् मैंने अगला प्रश्न लिया है।

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रश्न 326 का उत्तर दें।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : प्रश्न 326 का उत्तर निम्नलिखित है :

(क) सामान्यत: सरकार जहाज़ नहीं खरीदती । तीन जहाजी कम्पनियों ने स्पेन में 6 जहाजों का आर्डर दिया है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वसंत साठे : मैं मंत्री महोदय का ध्यान 22 फरवरी के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें बताया गया है :

"आज स्पेन के नरेश डानजुआन कैरलोस ने भारतीय व्यापारी बेड़े, जिसका मार्च 1979 तक 86 लाख जी० आर० टी० तक विस्तार निश्चित किया गया है, के लिए स्पेन के शिपयार्ड में बनाये जा रहे और अधिक जहाज़ों के भविष्य के सम्बन्ध में नौवहन और परिवहन उपमंत्री श्री प्रणव कुमार मुखर्जी से बातचीत की ।

भारत ने स्पेन को 6 जहाजों का आर्डर दिया है । उनमें से पांच अगले वर्ष प्राप्त होंगे जबकि छठा वर्ष 1976 में ।

मंत्री महोदय के साथ यह समझौता अथवा बात-चीत हुई । क्या यह सच है ? मंत्री महोदय इस बात को सपष्ट करें ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में पहले ही बता चुका हूं कि तीन जहाज़ी कम्पनियों ने स्पेन शिपयार्ड को 6 जहाजों का आर्डर दिया है । वास्तव में 22 फरवरी को जब स्पेन नरेश भारत आये थे तो मेरी उन से बात-चीत हुई थी । मैंने उनसे भेंट की और उनके साथ अपनी समस्याओं पर बात-चीत की । पहली बात तो यह है कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है स्पेन के शिपयार्ड ने अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है । यह सीमा 110 लाख अमरीकी डालर तक सीमित है । दूसरे, एस०डी०एफ०सी० द्वारा दी गई गारन्टी को उन्होंने गारन्टी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इन दो बातों का उन्होंने स्पष्टीकरण किया था। हमने अपनी स्थिति बताई। स्पेन के विदेश मंत्री भी बात-चीत के दौरान उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि वे मामले को देखेंगे। जहां तक किसी औपचारिक समझौते की बात है, दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। स्पेन सरकार के साथ सामान्य व्यापार तथा वाणिज्य करार है और करार के भाग के रूप में ही हम उनसे कुछ जहाज़ खरीद रहे हैं। हमारी जहाज़ी कम्पनियां उनसे सीधी वार्ता करती हैं। उन्होंने कुछ आर्डर भी दिये हैं। वास्तव में स्पेन से रत्नाकर जहाज़ी कम्पनी ने दो जहाज़ खरीद भी लिये हैं और दो के लिये आर्डर दिया हुआ है। दामोदर बल्क कैरियर ने एक साथ भारी मात्रा में माल ढोने वाले जहाज़ के लिये आर्डर दिया है। मुगल लाइंस ने तीन जहाजों का आर्डर दिया है। कुल आंकड़े इस प्रकार हैं।

श्री वसंत साठे : क्या यह समाचार ठीक है कि हमने स्पेन के साथ इसलिये करार किया है कि कुछ पूर्व योरोपीय देश भारत को ठेके के निर्धारित मूल्य पर जहाज देना नहीं चाहते और उन्होंने मूल्य वृद्धि की मांग की है? इस प्रकार मूल्य कुल मिला कर 130 लाख डालर बनता है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जब हम विदेशी शिपयार्डों से जहाजों की खरीद के लिये करार करते हैं तब कभी कभी-करार में मूल्य वृद्धि के लिये भी व्यवस्था होती है। बहुत से अन्य देशों के साथ करार में मूल्य वृद्धि के लिये व्यवस्था नहीं की जाती। इसके परिणामस्वरूप, कुछ पूर्व योरोपीय देशों ने, जिन्हें हमारी जहाजी कम्पनियों ने ऋयादेश दिये थे, कहा है कि कच्चे माल आदि के मूल्य बढ़ जाने के कारण क्या हम जहाजों की मूल्य वृद्धि की उनकी मांग पर विचार करेंगे। इन बातों पर विचार किया जा रहा है।

Proposal for Development of wild life sanctuaries in Madhya Pradesh

*328.क **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have forwarded a proposal to the Central Government for development wild life sanctuaries in the State; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya): (a) Yes. Sir. The Government of India have received from the Government of Madhya Pradesh proposals for the Kanha and Bandhavgarh National Parks; for the Kutru Wild buffallo Sanctuary and for the Kunu Valley as a tiger reserve.

(b) The Government of India have approved the two Central Sector Schemes of Rs. 40,605 lakhs for the Kanha Tiger Reserve, and Rs. 7.66 lakhs for the Bandhavgarh National Park. It was decided not to have a Tiger Reserve under Project Tiger in Kunu, and a detailed scheme in respect of the Kutru Sanctuary is called for from the Government of Madhya Pradesh and is awaited.

Shri Phool Chand Verma: The Home Minister in reply to part (a) of the Question has said that they have received proposals regarding the development of a wild life sancturay in Kunu Valley but the Government has decided not to have a sanctuary in Kunu valley. But in his reply to part (b) the home Minister says that the Government has invited proposals from Madhya Pradesh Government regarding the development of Kunu valley as Tiger Reserve. I want a clarification in this regard.

I would also like to know the main features of the proposal received from Madhya Pradesh Government regarding development of Kunnu Valley as Tiger Reserve project Tiger. White lions in our country are found in Madhya Pradesh. May I know whether Government propose to formulate any specific scheme for preserving and rearing white tigers and whether there is any proposal to grant funds for the said scheme?

Shri B.P. Maurya: Sir, the policy of the Government of India is to have one sanctuary in our State. I have aleady said in my reply that the Government have approved the scheme to have a Tiger Reserve in Kanha. As regards Kutru sanctuary, Madhya Pradesh Government have demanded a sum of Rs 7.43 lakhs but they have not submitted any blue print or detailed scheme in this regard. We had asked for this detailed scheme as for back as in July last year. The matter will be considered on receipt of the detailed schemes.

Shri Phool Chand Verma: I have asked about white lions.

Shri B. P. Maurya: We have approved a Tiger Reserve in Kanhta and in that we will Consider the susggestion made by the Hon. member.

Shri Phool Chand Verma: Sir, I have asked about white lions not about Tigers.

Shri B. P. Maurya: Sir, I have given specific reply. A Tiger reserve has been approved in Kanha. As regards hon. Members Suggestion regarding white lions, we will definitely consider it. We will see as to what can be done?

Mr. Speaker: He is asking about white lions and you are replying about Tigers.

Shri Phool Chand Verma: White lions are found in Rewa.

Shri B.P. Maurya: Sir, I have said that the Government have approved a Tiger Reserve in Kanha and a sum of Rs. 40,605 lakhs has been year marked for that. The hon. Member has made a suggestion about white lions. We will consider it. There is no reference to white lions in the original question. The Government would see as to what can be done.

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

सरकारी सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रेजीडेन्ट्स एस्टेट, नई दिल्ली के एक छात्र की मृत्यु

अ०प्र० संख्या 2. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेजीडेंट्स एस्टेट, नई दिल्ली में सरकारी सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 16 वर्षीय छात्र श्री मोहम्मद शबी की, जिसे लाइन तोड़ने के कारण अध्यापक ने दण्ड दिया था, सन्देहास्पद परिस्थितियों में 1 मार्च, 1974 को मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि अधिकारीगण और पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (घ): सरकारी सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रेजीडेन्ट्स एस्टेट, नई दिल्ली के एक छात्र, मोहम्मद शबी की 1 मार्च, 1974 को मृत्यु हो गई थी। शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जांच तथा दिल्ली पुलिस द्वारा की गई विस्तृत तहकीकात के अनुसार, मिर्गी के दौरे के कारण हृच्छ्वसन के रुक जाने के परिणामस्वरूप लड़के की मृत्यु हो गई थी, जो उसे स्कूल में रिसेस पीरियड के दौरान पड़ा था। यह ठीक नहीं है, जैसाकि कुछ समाचार पत्रों में आरोप लगाया गया था कि लड़के की मृत्यु लाइन तोड़ने के कारण अध्यापक द्वारा दन्ड देने के परिणामस्वरूप हुई थी। रिसेस पीरियड अथवा उसके पहले पीरियड के दौरान ऐसी कोई लाइन नहीं थी, जिसमें उस लड़के को खड़ा कराया गया था। रिसेस पीरियड अथवा उसके पहले के पीरियड में अध्यापक द्वारा उसे कोई दन्ड नहीं दिया गया था। शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जांच भी इस आरोप को सिद्ध नहीं करती कि मृत्यु से पूर्व उक्त लड़के को स्कूल के किसी अध्यापक द्वारा उसे दण्ड दिया गया था। इस सम्बन्ध में, लड़के के पिता ने भी पुलिस को इस आशय का एक लिखित बयान भी दिया है कि मृत लड़का कुछ समय से मिर्गी से बीमार था और उसकी मृत्यु दौरा पड़ने के कारण हो गई। पुलिस भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि लड़के की मृत्यु में किसी प्रकार के कपटाचरण का सन्देह नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुछ कारणों से इस बारे में बहुत से लोगों के मस्तिष्क में चिन्ता बनी हुई है। पहली बात यह है कि वह लड़का एक कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का सबसे छोटा लड़का था, दूसरे वह अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का था और तीसरे यह कि यह घटना प्रेजीडेंट्स एस्टेट स्कूल में हुई। इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ने की शिकायतें थीं और क्या इस सम्बन्ध में कोई लिखित सबूत है। दूसरे, क्या यह सच है कि लड़का गम्भीर कुपोषण का शिकार था और क्या मृत्यु के समय उसके वमन में रक्त आया था और जब उसकी मृत्यु सन्देहास्पद स्थिति में हुई तब शवपरीक्षा क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री डी० पी० यादव : श्रीमन् छात्र के अभिभावक के वक्तव्य से माननीय सदस्य तथा सम्मानित सदन को स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। उसने कहा है :

> "मेरे लड़के मुहम्मद शबी का स्कूल राष्ट्रपति भवन, माध्यमिक विद्यालय में आज दिनांक 1-3-74 को दिन के 1 बजे देहान्त हो गया है। मेरा लड़का 6-7 साल से बीमार था और उसको महीने दो महीने में दौरा पड़ता रहता था। स्कूल में आज उसको दौरा पड़ा और उसका देहान्त हो गया।
>
> मैं इसकी मौत पर किसी पर भी शक नहीं करता।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि क्या उनके पास इस सम्बन्ध में कहीं कोई लिखित सबूत है कि छात्र उस बीमारी से ग्रस्त था जो उन्होंने बतायी है। उन्होंने बड़ी सावधानी से इस बात को छोड़ दिया है। यदि वह इस बात का उत्तर दें तो मैं उनका आभारी हूंगा। हम तिल का पहाड़ नहीं बनाना चाहते। हम घटनात्मक तथ्य चाहते हैं।

श्री डी पी० यादव : क्या अभिभावक के शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण और कोई सबूत हो सकता है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है : संवाददाता ने बहुत से अभिभावकों से साक्षात्कार किया और उन्होंने यह शिकायत की कि छात्र को पीटने का केवल यही मामला नहीं है क्यों कि इस स्कूल में शिक्षक छात्रों को पीटते ही रहते हैं। अतः मैं स्पष्ट तथा सही उत्तर चाहता हूं कि क्या इस शिक्षक विशेष के विरुद्ध छात्र को पीटने के सम्बन्ध में कभी किसी अभिभावक की कोई शिकायत है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : मैंने स्वयं यह प्रश्न शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन से पूछा था और उन्होंने जांच के बाद बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल से किसी ने भी शिक्षकों द्वारा छात्रों के पीटे जाने की शिकायत नहीं की है और मुझे यह भी बताया गया कि सामान्यतः अपने पड़ौस में इस स्कूल की अच्छी प्रतिष्ठा है।

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : क्या अब ऐसी स्थिति में मृत्यु होती है जैसा कि माननीय सदस्य ने बतायी है तब नियमित परिपाटी के अनुसार शव परीक्षा कराने की सामान्य प्रथा नहीं है ?

श्री डी० पी० यादव : लड़के के माता-पिता तथा अभिभावक ने इस बात पर बल दिया कि क्योंकि लड़के के शरीर पर किसी चोट का चिह्न नहीं है अतः उसका शरीर उन्हें दिया जाना चाहिये और इन परिस्थितियों में मृतक का शरीर उन्हें दे दिया गया।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह बात समझ में नहीं आती है अथवा क्या सरकार की विचारधारा इसके विपरीत है कि जब इस प्रकार की घटना होती है और एक लड़के की मृत्यु हो जाती है, तब माता पिता की इच्छानुसार कार्य न करके, चाहे यह अच्छा है अथवा बुरा, यह बात सुनिश्चित करायी जाये कि मृत्यु के कारण का पता लगाने के सम्बन्ध में सभी नियमों तथा परम्पराओं का पालन किया गया है, और यदि हां, तो प्राधिकारियों द्वारा शव परीक्षा क्यों नहीं कराई गयी ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : सर्व प्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक पुलिस की कार्यवाही का सम्बन्ध है, मैं पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही सूचना दे रहा हूं और यदि कोई बात और है, तब मैं अपने साथी गृहमंत्री के सहयोग से अतिरिक्त जांच करा सकता हूं। मेरे पास पुलिस की रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध है। उन्होंने उन लोगों से पूछताछ करके पता लगाया जिन्हें इस घटना के बारे में पता हो सकता था और जो वहां पड़ोस में ही रहते हैं। पुलिस ने बच्चों से भी पूछताछ की उन्होंने बच्चों से घटना के विषय में उनके विचार पूछे। उन्होंने बहुत से लोगों से ऐसी पूछताछ की और जानकारी एकत्र की.....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा है कि लोग चाहे जो कहें, ऐसे मामलों में शव-परीक्षा करायी जानी चाहिये क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक मैं प्रक्रिया समझ सका हूं यदि पुलिस इस बात से संतुष्ट है कि कोई संदेहास्पद बात नहीं है तब वे शव-परीक्षा पर जोर नहीं देते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

रूस से प्राप्त गेहूं के लिये भण्डार सुविधाएं

*323क. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा भारत को भेजे गये गेहूं को भण्डार में रखने के लिये सरकार गोदामों का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं कर सकी;

(ख) क्या रूस द्वारा भेजा गया कुछ गेहूं, जो केरल में एलेप्पी पत्तन पर उतारा गया था समुद्रतट पर खुले स्थान पर रखा गया और उसमें से कुछ गेहूं चोरी चला गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से प्राप्त गेहूं के भंडारण के लिए पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) सफाई करते समय स्टाक को ढक कर और सुरक्षित रखा जाता है। एलेप्पी बन्दरगाह पर कोई चोरी नहीं हुई थी।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

देश के उत्तरी हिस्से में देर से पकने वाली गेहूं की किस्म की बुवाई

*324क. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने सुझाव दिया है कि लम्बी अवधि के बुवाई मौसम का लाभ उठाने के लिये उत्तर भारत में देर से पकने वालीं गेहूं की किस्म की बुवाई होनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने नई दिल्ली में 19-2-1974 को आयोजित मानव जाति की प्रगति में गेहूं का योगदान विषय पर सम्मेलन में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा था :

प्रचलित सिफारिशों के अनुसार देश के उत्तरी क्षेत्र में गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को बोने का अनुकूल समय नवम्बर के मध्य को माना गया है। हमारी आजकल की अधिक उपज देने वाली किस्में उन वातावरणीय दशाओं में भी 135 से 145 दिन के अन्दर पक जाती हैं जहां गर्म सूखे मौसम का फसल को जल्दी पकाने पर कोई असर नहीं पड़ता। जब वे दिसम्बर के अन्त में बोई जाती हैं तो उन्हें पकने में 100 दिन से ज्यादा नहीं लगते। गेहूं के मुख्य क्षेत्र से और दक्षिण या पूर्व में जाने पर आजकल की किस्में अपना जीवन चक्र लगभग 100 दिन में या उससे पहले ही पूरा कर लेती हैं।

भारत में गेहूं की उपज को जलवायु संबंधी दो मुख्य कारक नियंत्रित करते हैं :

(1) सितम्बर-अक्तूबर के दौरान उच्च तापमान होने से अगेती बोआई नहीं हो सकती और इस तरह मानसून के एकदम बाद के आदर्श मौसम का फायदा नहीं उठाया जा सकता आजकल की अधिक उपज देने वाली किस्में इस मौसम में जल्दी वो देने पर (जब हवा का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सें० से अधिक होता है) अंकुरण में कमजोर रह जाती हैं पौध मर जाती है और अच्छी कायिक वृद्धि के बिना ही जनन अवस्था में पहुंच जाती हैं। इससे फसल कमजोर होती है, दोजियां कम निकलती हैं, बालियां छोटी रह जाती हैं और जल्दी पकने से अन्त में उपज भी कम रह जाती है।

(2) मार्च-अप्रैल के दौरान उच्च तापमान और सूखे वायु मण्डल की वजह से फसल पक जाती है और इस तरह फसल का मौसम सीमित हो जाता है। अगर गर्म मौसम बालियों में दाने बनने से पहले ही शुरू हो जायें तो दानों के सिकुड़ने की वजह से उपज में भारी कमी हो जाती है।

अक्तूबर में गेहूं की बोआई के लिए काफी बड़ा क्षेत्र उपलब्ध होता है और बोआई की दृष्टि से मिट्टी में नमी की दशा इस समय अच्छी रहती है। अगर प्रजनन के द्वारा ऐसी किस्म विकसित की जा सकें तो जल्दी बोने पर आरंभिक तापमान को सहन कर सके और उनके लिये उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके तो गेहूं की पैदावार काफी हद तक बढ़ायी जा सकती है।

निश्चय ही ऐसी किस्में विकसित करने की आवश्यकता है जिनको मौसम के भिन्न-भिन्न चरणों में बोया जा सके क्योंकि खरीफ की फसल से मौसम में जल्दी सभी खेत खाली नहीं होते। पिछेती बोआई

के लिए गेहूं की ऐसी किस्म ही उपयुक्त हो सकती है जो जल्दी पकती हो कम अवधि की हो और साथ ही कम तापमान वाली दशाओं में भी तेजी से अंकुरित हो और पौधे की बढ़वार अच्छी हो। अगर दाने बनने की अवस्था में उच्च तापमान और वायुमण्डलीय सूखे को सहन किया जा सके तो फसल की औसत अवधि भी बढ़ेगी और बाद में लगाई फसल की उपज की संभावना में भी सुधार होगा। मौसम में बाद में आकर उच्च तापमान से पौधों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए उपयुक्त कृषि विधियां विकसित करने की गुंजाइश भी है और जरूरत भी।

उत्तर पश्चिमी भारत में किसान कल्याण सोना जैसी किस्मों को समय पर बोयें इसके लिए सभी राज्यों को किसानों को गेहूं की बोआई समय पर करने की सिफारिश की गयी थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना में महा-निदेशक के द्वारा सुझाये गये तरीकों पर भी अनुसंधान कार्य चल रहा है।

Changes in working of Vishwa Bharati University

*327A. **Shri Shrikrishna Agrawal:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to make changes in the present system of working of Vishwa Bharati University;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the time by which it is proposed to be implemented?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) to (c) Government have appointed a Committee under the Chairmanship of Mr. Justice S.A. Masud, Judge, Calcutta High Court, to determine the lines on which Visva Bharati may develop and to recommend guidelines for amendment of Visva Bharati Act. The report of the Committee is awaited.

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम

*329. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को गत कुछ वर्षों से हानि हो रही है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी हां।

(ख) बेड़े में भारी मरम्मतों के कारण पुराने बेड़े की परिचालन लागत में वृद्धि तथा कलकत्ता से असम और बंगला देश से कलकत्ता को यातायात की कमी के कारण भी नदी सेवाओं के परिचालन में हुए घाटे के मुख्य कारण हैं।

(ग) निगम के बेड़े की पुनःस्थापित करने तथा अधिक यातायात उपलब्ध करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

Shortage of Foodgrains in Godowns of F.C.I. in Gaya, Hazaribagh and Kodarma in Bihar

*330A. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the actual quantity of foodgrains in the godowns of the Food Corporation of India in Gaya, Hazaribagh and Kodaama in Bihar was found to be far less than the quantity that ought to have been there, during the last six months;

(b) if so, whether anybody has been found guilty in this connection; and

(c) the action taken against the guilty persons?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) It has been reported that on peripheral counting of bags conducted recently in Gaya depot by the Food Corporation of India no shortage has been noticed. As regards Kodarma depot, a check about the receipts and issues was conducted in the first week of February, 1974. In the case of foodgrain received since 11-10-1973 and not issued completely till the 1st February, 1974 it was found that there was a total shortage of 2,663 quintals on 37,887 bags (weighing 35,025 quintals). One of the depot officials is being placed under suspension and departmental inquiry is being instituted in the matter. There is no godown of the F.C.I. at Hazaribagh.

Bilaspur-Daltonganj Road as National Highway

*331A. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether in Madhya Pradesh the road from Bilaspur (Madhya Pradesh) to Daltonganj (Bihar) has been approved as a National Highway; and

(b) if so, the number of places on the said road at which culverts and rabbets are to be constructed?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamlapati Tripathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रत्नगिरी (महाराष्ट्र) में हर मौसम में प्रयोग में लाये जाने वाले पत्तन का निर्माण पूरा किया जाना

*332क. **श्री निम्बालकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने से पहले महाराष्ट्र में रत्नगिरि में हर मौसम में प्रयोग में लाये जाने वाला पत्तन बन कर पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : चतुर्थ योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित रत्नगिरि का प्रथम चरण विकास पूरा हो गया है। केन्द्रीय प्रायोजित छोटे पत्तनों की योजनाओं के लिए पांचवीं योजना में प्रस्तावित व्यवस्था केवल आगे लाई गई योजनाओं तक ही सीमित है और नयी परियोजनाओं के लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य सरकार को राज्य योजना के भाग के रूप में रत्नगिरि के और विकासार्थ व्यवस्था करनी होगी।

Charging price of good quality sugar for inferior quality of sugar at fair price shop

*333A. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether inferior quality of sugar is sold by the fair price shops but prices of good quality of sugar are charged from the consumers; and

(b) if so, whether any action has been taken so far against such shopkeepers in this regard?

The Minister of State in the Minister of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) & (b) No such complaint has been received by the Central Government. However, the State Governments, who are responsible for local distribution arrangements, have been advised from time to time for tightening and streamlining the distribution machinery, prohibiting sale of free sale sugar by fair price shops etc. with a view to removing the scope for malpractices by the ration/fair price shopkeepers.

भूमि कटाव

334क **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में भूमि-कटाव खतरनाक समस्या बन गई है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान देहरादून स्थित भूमि संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा हाल में ही किये गये अध्ययन की ओर दिलाया गया है;

(ग) इस खतरे का सामना करने के लिये उक्त केन्द्र ने क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं; और

(घ) भूमि-कटाव पर और अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) यह सत्य है कि देश में भूक्षरण सर्वव्यापी है। अनुमान लगाया गया है कि भूक्षरण से 1350 लाख हैक्टर भूमि को क्षति पहुंच रही है।

(ख) जी हां।

(ग) मृदा तथा जल संरक्षण विषयक देहरादून केन्द्र ने हाल ही में यांत्रिक तथा जैविक उपायों के माध्यम से भू-खलन के नियंत्रण तथा स्थिरीकरण के संबंध में अध्ययन किये हैं। पांचवीं योजना के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इन परिणामों से लाभ उठाएंगी।

(घ) एक केन्द्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड तथा 10 भूमि संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करके मृदा तथा जल संरक्षण का देश-व्यापी कार्यक्रम प्रथम योजना में संगठित तथा वैज्ञानिक ढंग से प्रारंभ किया गया था। देश में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत मृदा संरक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य सरकारें करती हैं। इनमें मुख्यत: कृषि तथा वन भूमि का मृद तथा जल संरक्षण प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के ग्रवण-क्षेत्रों का संरक्षण, ऊबड़ खाबड़ भूमि का सुधार तथा स्थिरीकरण और लवणीय क्षारीय एवं जलग्रस्त तथा अन्य बेकार भूमि का सुधार तथा विकास करना शामिल है। चौथी योजना के अंत तक 346.97 करोड़ रुपये के विनियोजन से भूक्षरण के कुल 1350 लाख हैक्टर क्षेत्र में से संभवत: लगभग 170 लाख हैक्टर भूमि का उपचार किया गया है। पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को गतिमान किया जायगा और लगभग 80 लाख हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र का उपचार करने का विचार है। इसके लिए योजना के प्रारूप में 292.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

भारती खाद्य निगम पर पूर्ण नियन्त्रण के लिए राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु का अनुरोध

*335क. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तत्संबंधी अनुमति दे दी गई है ; और

(घ) क्या गुजरात और तमिलनाडु राज्यों ने भी ऐसी ही अनुमति मांगी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। तथापि भारतीय खाद्य निगम के कार्यों को लेने के लिए राजस्थान गुजरात या तमिलनाडु से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन

336क. **श्री विक्रम महाजन :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की प्रारुप योजना तैयार हो गई है तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित हो गई है, यदि हां, तो सलाहकार बोर्ड ने कब अनुमोदत किया था

(ख) उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है और इस मामले में कब तक अन्तिम निश्चय होने की संभावना है, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं कि 1974-75 के शैक्षिक वर्ष के शुरु से ही इस योजना को लागू करने की सरकार अनुमति दे दें ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) पांचवीं आयोजना अवधि के दौरान शैक्षिक पद्धति का पुननिर्माण करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पेश किए गए उन प्रस्तावों को जो सितम्बर 1972 में तैयार किए गए थे योजना आयोग तथा राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित पांचवीं पंच-वर्षीय आयोजना के दृष्टिकोण में की गई चर्चाओं और दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों को संशोधित किया गया और जून 1973 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। यद्यपि योजना आयोग ने स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रस्तावों को मोटे रूप से स्वीकार कर लिया गया था तथापि पोषण आहार को छोड़ कर पांचवीं पंच

वर्षीय आयोजना प्रारूप में शिक्षा क्षेत्र के लिए रखे गए कुल आवंटन को घटाकर 1726 करोड़ रुपये कर दिया था। पांचवीं आयोजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। फिर भी उनमें से अनेक कार्यक्रमों को 1974-75 वर्ष के दौरान शुरु करने के प्रस्ताव हैं तथा उन्हें वर्ष की वार्षिक आयोजना में शामिल कर लिया गया है।

Survey of land for Planting Black Basil (Tulsi) Plant

*337A. **Shri Rana Bhadur Singh:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether some scientists have discovered that the stems and leaves of the black basil (Tulsi) plant can be used for perfuming oil, confectionaries, food and dental creams;

(b) If so, whether Government have formulated a scheme for carrying out survey for suitable land therefore so as to boost its production; and

(c) if so, the main features thereof?"

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) Oil from Indian Basil (Tulsi) has been of interest to the pharmaceutical and flavour industry. Oil from European Basil is well known for its use as a flavouring agent for confectionery, backed goods, tomato ketchup, spiced meats, sausages, etc. It is also used for scenting dental and oral preparations and in certain Perfumery articles. It also possesses certain medicinal properties. As compared to the European Basil, Indian Basil oil has been reported to lack the same extent of fine odour, a factor which may in part explain why it has not been used on any appreciable scale.

(b) No scheme has been formulated to carry out a survey of land suited for cultivation of Indian Basil. The plant is, however, known to be capable of growing in most parts of the country.

(c) Question does not arise.

प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के साहित्य के प्रकाशन पर खर्च हुई धन राशि

338क. **श्री वयालर रवि :**

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत एक करोड़ रुपये की धनराशि में से प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के साहित्य के प्रकाशन पर राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई;

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान तथा पांचवीं योजना के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी राशि उपलब्ध होगी; और

(ग) संबंधित संस्थाओं को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, ताकि वे अपने उन दायित्वों को पूरा कर सकें जो उन्होंने पूरा करने का वचन दिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) 1968 में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968, के संकल्प के अनुसरण में हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण की एक केन्द्रीय प्रायोजित

योजना शुरू की थी, जिससे विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी हो गई। इस योजना का अभिप्राय राज्यों द्वारा पुस्तकों का निर्माण शुरु करना मात्र था और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने भाग लेने वाले 15 राज्यों में से प्रत्येक राज्य को एक-एक करोड़ रुपये तक की राशि उपलब्ध की थी जो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रयोग की जा सकती थी। एक बार विश्वविद्यालय अध्ययन के लिए आवश्यक प्रादेशिक भाषाओं में न्यूनतम संख्या में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें उपलब्ध हो जाएं और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को वास्तविक रूप से लिया जाए, जैसा कि कुछ राज्यों में हो चुका है, तो यह आशा की जाती थी कि राज्य सरकारों के अपने प्रयासों से और साथ में उनके प्रकाशन में पुस्तक व्यवसाय की बढ़ती हुई रुचि से ऐसी पुस्तकों की और अधिक आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा।

हालांकि यह योजना मूल रूप से 18 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विनिधान से शुरु की गई थी, किन्तु इस योजना के लिए चौथी योजना में 12 करोड़ रुपये का वास्तविक विनिधान इस अनुमान पर किया गया था कि राज्य सरकारें वास्तविक रूप से इससे अधिक राशि का उपयोग नहीं कर सकेंगी। यह अनुमान तथ्यों पर आधारित है। भाग लेने वाले राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष (1972-73) के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत केवल 373.23 लाख रुपये खर्च किये हैं। आशा की जाती है कि चौथी योजना के अन्त तक इन राज्यों का कुल खर्च 6 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

यह परिकल्पना नहीं की गई थी कि यह योजना चौथी पंच वर्षीय योजना के बाद भी जारी रहेगी। तथापि, तबसे राज्य सरकारों द्वारा अच्छी प्रगति की गई है जिन्होंने 31-10-1973 तक कुल मिलाकर 2189 पुस्तकों का निर्माण किया है। इन राज्य सरकारों को अनुदान देने के लिये 500 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ताकि पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता जारी रखी जा सके। इस योजना के अन्तर्गत इन राज्यों को अनुदान देने के लिये वर्ष 1974-75 में 48 लाख रुपये की बजट व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार, इस योजना में भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा पहले से किये गये अनुबंध के दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करेगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि योजना में इस बात की पहले से ही व्यवस्था है कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित्त पुस्तकों की बिक्री से होने वाली आय फिर से इसी योजना में लगा दी जाए और इस प्रकार एक आवर्ती निधि बनायी जाए। भाग लेने वाली राज्य सरकारों को अब तक 569.32 लाख रुपये के अनुदान दिये जा चुके हैं। ऐसा मालूम पड़ा है कि इन सब राज्य सरकारों ने मिलकर, अभी तक लगभग 129 लाख रुपये की धनराशि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित्त पुस्तकों की बिक्री से वसूल की है और उन्हें आशा है कि वे निधि की अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे।

U.G.C. Suggestion for changes in Education system

*339A. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will be Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the University Grants Commission has suggested certain changes in the education system; and

(b) if so, main points thereof and the progress made in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b) A statement giving some major programmes initiated by the University Grants Commission for improving the present educational system is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) and (b) The University Grants Commission has initiated the following major programmes for improving the present educational system:

(1) The Commission has recently circulated a note to the Universities on the criteria, guidelines and pattern of assistance to autonomous colleges. An autonomous college would enjoy freedom in framing its courses of study, devising its methods of evaluation and conduct of examinations, its principles of admission, its procedures for selection of teachers, etc. This would encourage experimentation with desirable educational ideas and initiate a process for broadening the frame work of courses and instruction to make them more meaningful and relevant in the context of local and regional requirements for skilled workers.

(2) The Commission has circulated to all the Universities and Colleges in the country a "Plan of Action" for examination reform for implementation. The Commission has requested the various Universities to submit proposals for assistance on programmes for question bank development, promotion of internal assessment, and organising of workshops and seminars. The Commission has also selected 12 Universities for implementing the examination reform programmes in close collaboration with the U.G.C. Implementation Committee on Examination Reform.

(3) The Commission is initiating coordinated programmes for development of post-graduate education.

(4) The Commission is implementing a programme for the improvement of Science Education in selected colleges. It has also been decided to introduce similar programmes for humanities and social sciences.

(5) Efforts are being made to develop collaborative and inter-disciplinary programmes of courses and research involving several departments.

(6) Attempts are being made to re-structure courses of study so as to make them relevant to local and regional needs including those of rural areas and also introduce work experience as part of college education.

(7) Programmes have been initiated to check the growth in enrolment in formal education and to divert a considerable proportion of students to benefit from correspondence courses, evening classes and part-time courses.

(8) A beginning has been made to provide direct support for research in Universities and also to build up the necessary infrastructure required for sustained research.

आसाम में चीनी मिलों की स्थापना

340क. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री एम० सुदर्शनम:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम में चीनी मिल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये मिल कहां कहां स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से निम्नलिखित स्थानों पर सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक 1250 मीटरी टन दैनिक पिराई क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जो कि सरकार के विचाराधीन हैं :—

(1) गोईपानी, जिला डिब्रूगढ़

(2) बोर बोरी, जिला कामरुप

(3) कामपुर, जिला नवगोंग

(4) सरुमागिया करचुनलाला, जिला दांरग

(5) चुतियांला, जिला मीकीर हिल

(6) बाह्मलपुर, जिला गोलपारा

(7) दोलोहाट, जिला लखीमपुर

(ग) इन सात प्रस्तावित चीनी मिलों की कुल वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता 84,000 मीटरी टन है ।

Delay in Allotment of Tractors to Farmers of M.P.

3379. Shri G.C. Dixit: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the farmers of Madhya Pradesh have to wait for longer periods for the allotment of tractors for their farms than their counterparts in other States;

(b) the total number of tractors allotted in Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73; and

(c) the steps taken to ensure more timely allotment thereof during this period?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The distribution and sale of tractors is governed by the provisions of the Tractors (Distribution and sale) Control Order, 1971, according to which tractors are supplied strictly in the order of registration of applicants with the State Agro-Industries Corporations in the case of imported tractors or with the various Dealers in the case of indigenous tractors. The farmers have, therefore, to wait till their turn comes in accordance with the dates of registration.

(b) The total number of imported tractors allotted to Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73 is given below:-

1971-72 .	. 746 Nos.
1972-73 .	. 332 "
Total	. 1078 Nos.

Information regarding indigenous tractors is not readily available.

(c) Immediately, after the allocations are made by the Government of India, Tractors are distributed to the various applicants by the Agro-Industries Corporations strictly in the order in which their names are registered with them after completing procedural formalities.

एशिया के देशों में खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार

3380. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एशिया के देशों में खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा की गई पहल की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर एशिया के देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने इस संबंध में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया है लेकिन यह पता चला है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एशियन चेम्बर ऑफ कामर्स तथा इण्डस्ट्री संघ को संबोधित करते समय एशियाई देशों के लिए बफर स्टाक रखने की उपयोगिता का उल्लेख किया था ।

विभिन्न समुदायों में शिक्षा की प्रसार-गति में एकरूपता

3381. **श्री अम्बेश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विभिन्न समुदायों में शिक्षा की प्रसार-गति में एकरूपता लाने की दृष्टि से सरकार का भारत में विभिन्न समुदायों में शिक्षा के नियोजित विकास के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : शैक्षिक नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अवसरों में समानता लाना है। अतः सरकार ने शैक्षिक अवसरों को समान बनाने और लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े अथवा समाज के कमजोर वर्गों के बीच शिक्षा का बहुत ही तेजी से प्रसार करने के पर्याप्त प्रयत्न किये हैं और करती रहेगी। यह कार्य इस प्रकार करने का प्रस्ताव है :—

(1) देश के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का संतुलित विकास ।

(2) लड़कियों और महिलाओं में शिक्षा के विकास पर विशेष बल तथा कार्यक्रम ।

(3) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा के लिये विशेष बल तथा कार्यक्रम ।

(4) समुदाय के कमजोर वर्ग तथा समाज के आर्थिक पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल तथा कार्यक्रम ।

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सभी शैक्षिक संस्थाओं में छात्र वृत्तियों, वृत्तिकाओं, निशुल्क वस्त्र, पाठ्य पुस्तकों तथा रियायती छात्रावास सुविधाओं, आश्रम स्कूलों के खोलने तथा स्थानों का आरक्षण जैसी अन्य विशेष सुविधाओं पर विशेष बल तथा कार्यक्रम ।

Ban on sale of Kesri Dal

3382. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1188 on the 19th November, 1973 regarding ban on sale of Kesri Dal and state:

(a) Whether Government have collected information from Himachal Pradesh and other States in regard to ban on the sale of Kesri Dal;

(b) if not, the reasons for delay keeping in view the interest of the public; and

(c) the reaction of Government in regard to the use of Kesri Dal?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c): The required information has been collected from most of the State Governments. A few State Governments have not replied yet which is the reason for the delay. As per available information the sale of Kesri dal has been prohibited under rule 44A of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 in the following States and Union Territories: (1) Andhra Pradesh (2) Assam (3) Harayana(4) Himachal Pradesh (5) Kerala (6) Maharashtra (7) Karnataka (8) Nagaland (9) Orissa (10) Punjab(11) Rajasthan (12) Tamil Nadu (13) Tripura(14) Uttar Pradesh (15) Andaman & Nicobar Islands (16) Dadra and Nagar Haveli (17) Delhi (18) Pondicherry.

The reason for banning the sale of kesri dal is that its continued use causes lathyrism in human beings.

कर्नाटक में बंजर भूमि पर भूमिहीन आदिवासियों को बसाना

3383. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में भूमिहीन आदिवासियों की संख्या कितनी है तथा उक्त राज्य में कितनी परती अथवा बंजर भूमि है; और

(ख) उक्त राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि पर भूमिहीन आदिवासियों को बसाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली से अनधिकृत रूप से बिस्कुट बेचने वालों को हटाना

3384. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के प्रवर्तन दस्ते ने कनाट प्लेस, नई दिल्ली में अनधिकृत रूप से बिस्कुट बेचने वालों के बिस्कुटों को नष्ट कर दिया था;

(ख) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा करने का अधिकार नहीं था;

(ग) यदि हां, तो गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) जिन बिस्कुट विक्रेताओं के बिस्कुट नष्ट कर दिए गए थे, उन्हें कितना मुआवजा दिया गया ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका का एक हाकर रेड यूनिट है जो नगरपालिका की भूमि पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले अनधिकृत फेरीवालों को हटाता है। ऐसे कुल खाद्य पदार्थों को, जिन पर धूल पड़ सकती है तथा मक्खियां बैठ सकती हैं और जो स्वास्थ्य के लिये ख़तरनाक हैं, हटा दिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। यह कार्यवाही, नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में, पंजाब नरगपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 173(2) के उपबन्धों के अधीन नियमित रूप से की जा रही है।

वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान कर्नाटक को गेहूं की सप्लाई

3385. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान कर्नाटक को केन्द्रीय पूल में से कितना गेहूं सप्लाई किया गया है; और

(ख) क्या कर्नाटक के लिए वर्ष 1972-73 की तुलना में वर्ष 1973-74 के दौरान गेहूं का आंवटन बहुत कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कर्नाटक को 1972-73 और 1973-74 के दौरान केन्द्रीय पूल से सप्लाई किए गए गेहूं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1972-73 (अप्रैल से मार्च)	239.6 हजार मीटरी टन
1973-74*	200.7 हजार मीटरी टन

*(अप्रैल, 1973 से जनवरी, 1974 की अवधि में की गई सप्लाई और फरवरी और मार्च, 1974 में किए गए आवंटन को बताता है)

(ख) आवंटन में कुछ कमी हुई है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता, कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता, मूल्य स्थिति और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास आवंटन किए जाते हैं।

भारतीय पोतों द्वारा माल की ढुलाई

3386. **श्री के० मालन्ना** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारतीय मालवाहक जहाज आस्ट्रेलिया से भारत को 50 प्रतिशत खाद्यान्न ला रहे हैं; जबकि दूसरी ओर भारतीय पोतों द्वारा काले सागर के पत्तनों से केवल 10 प्रतिशत भारतीय माल उठाया जाता है ?

(ख) क्या जापान को लोह-अयस्क ले जाने वाले जहाज वापसी पर पूरे लदे हुए नहीं आ सकते और इस लिए उन्हें अन्य देशों से माल उठाने के लिए अन्य पत्तनों को भेज दिया जाता है; और

(ग) क्या भारत यह महसूस करता है कि यदि भारतीय जहाज केवल भारतीय माल ही ले आते हैं, तो अन्य देशों के जहाज भी या तो भारतीय माल उठाने से इंकार करके अथवा अधिक भाड़ा वसूल करके बदले की कार्यवाही कर सकते हैं और यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियों में किन-किन वैकल्पिक उपायों के बारे में सरकार को विचार करना होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) जापान को लौह-अयस्क ले जाने वाले जहाज कभी-कभी निर्धारित यात्रा के लिए भाटकित किये जाते हैं और जो लदे हुये लौटते हैं । कभी-कभी वे दूसरे देशों से भी आयातित माल लाते हैं।

(ग) स्वयं अपने जहाजों के लिये माल का आरक्षण लाभप्रद नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य देशों के साथ देश के समुद्र पारीय व्यापार में, आवक माल की अपेक्षा अधिक जावक माल या विलोमतः हो सकता है । चूंकि नौवहन एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग है, अतः जहाजों के लिये माल की उपलब्धता अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके लिये प्रतियोगिता करने वाले मालिकों की क्षमता पर निर्भर करता है । परन्तु लाइनर माल के संबंध में प्रायः यह आशा की जाती है कि राष्ट्र अपने समुद्रपारीय लाइनर व्यापार का 40 से 50 प्रतिशतअपने ही जहाजों में वहन करेगा । इसलिये राष्ट्रीय टनभार में वृद्धि आवश्यक है और इस संबंध में प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Central Sheep Farm Shivpuri, Madhya Pradesh

3387. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agiculture** be pleased to state :

(a) Whether Government of Madhya Pradesh proposed to set up a Central Sheep farm near Shivpuri with a view to strengthen wool shearing and marketing on a large scale and the State Government have sought financial assistance from the Central Government for the purpose; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : **(a) & (b)** : Yes, Sir, there is a proposal to set up a Central Sheep Farm at Shivpuri in Madhya Pradesh. The site at Shivpuri has been inspected by a Central Team and some additional information has been called for from the State.

मध्य प्रदेश में आयाक्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जोरदार विकास के लिए प्रमुख ग्रामखण्ड

3388. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973–74 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अयाक्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जोरदार विकास करने के लिये पांच प्रमुख ग्राम खण्ड खोले जाने का भी प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Assistance for Development of Transport and Construction of National Highways in West Bengal

3389. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance given by the Central Government to the Government of West Bengal during the last two years for development of transport and construction of National Highways; and

(b) the amount of financial assistance sought by the State Government for the purpose during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) The Government of India has not given any grant or other financial assistance to Government of West Bengal for development of Road Transport except contribution by the Ministry of Railways to the Capital of North Bengal State Road Transport Corporation in the field of Highways, the Government of India are mainly concerned with National Highways which are a Central subject. The entire expenditure on their development and maintenance is, therefore, being met by the Government of India. Central financial assistance by way of loan is also given for some projects including *inter-alia* selected State roads/bridges of inter-States or economic importance. Further, money is also provided for some special roads under some other schemes. The table below indicates the funds given to the Government of West Bengal for National Highways and other projects;

	1971-72	1972-73
	(In lakhs of Rupees)	
(i) Development and construction of National Highways.	231.52	363.52
(ii) Special Roads	7.64	12.68
(iii) Central Road Fund	47.78	57.68
(iv) Loan assistance for development of State Roads of Inter-State or Economic Importance	0.90	66.64
(v) Central non-plan loan assistance for construction of a second Brigde over the river Hooghly.	—	50.00
(vi) Advance Action for 5th Plan in respect of National Highways.	2.50	7.50

(b) the amount asked for by the Government of West Bengal during 1974-75 is as follows:—

	(in lakhs of Rupees)
(i) Development and construction of National Highways. . .	779.00
(ii) Special Roads . . .	9.50
(iii) Central Road Fund.	87.18
(iv) Loan assistance for development of State Roads of Inter-State or Economic Importance.	92.50
(v) Central non-plan loan assistance for construction of second Bridge over the river Hooghly	1274.40

Sugar to Rajasthan during last Five Months

3390. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of Sugar supplied to Rajasthan by the Centre during the last five months;

(b) the quantity thereof demanded by the State during this period; and

(c) the reasons for which full quota was not supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) The following quantities of levy sugar were allotted to Rajasthan during the last five months:—

	Tonnes
November, 1973	8906
December, 1973	8906
January, 1974	9386
Feburary, 1974	9386
March, 1974	9386

(b) & (c) No communication for increasing the monthly quota has been received from the Government of Rajsthan during this period. In any case, the basis monthly quotas of levy sugar for various States/Union Territories including Rajasthan, have been fixed on a rational basis, taking into account the population figures as recorded in 1971 census,and the past pattern of consumption. Actual monthly allotments are, however, adjusted marginally in relation to the total release of levy sugar for each month.

Rice to Meghalaya during last Five Months

3391. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice given by the Central Government to Meghalaya during the last five months.

(b) the quantity of rice asked for by the State Government from the Central Government during this period; and

(c) the reasons for not giving full quota of rice to the State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) Allotments of foodgrains including rice are made to different State Governments/Union Territories every month, keeping in view the overall availability of foodgrains in the Central pool, the relative needs of deficit States, market availabilities and other relevant factors. Against the demand of 26.0 thousand tonnes of rice, Meghalaya Government was supplied 16.1 thousand tonnes of rice during the last five months *i. e.* October, 1973 to Feburary, 1974.

Rice to Maharashtra during last Five Months

3392. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice given by the Central Government to Maharashtra during the last five months;

(b) the quantity of rice asked for by the State Government from the Central Government during this period; and

(c) the reason for not giving full quota of rice to the State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) Allotments of foodgrains including rice are made to States from the Central pool every month keeping in view the overall availability in the Central pool, the relative needs of other deficit States, market availabilities and other relevant factors. Against 135 thousand tonnes of rice demanded by Maharashtra Government during October, 1973 to Feburary, 1974, they were supplied 73 thousand tonnes of rice from the Central pool.

केरल में गूदा लकड़ी के पेड़ लगाने के विषय में परियोजना रिपोर्ट

3393. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि** मंत्री केरल में यूकल्पिट्स पेड़ लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में 17 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4917 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में वर्तमान कम आर्थिक महत्व के मिले-जुले वनों के स्थान पर गूदा लकड़ी के पेड़ लगाने के विषय में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) केरल राज्य में कम आर्थिक महत्व के मिले-जुले वनों के स्थान पर गूदा देने वाली किस्म के पेड़ लगाने के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

बम्बई और कलकत्ता नगरों को भेजने के लिये दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से खाद्यान्नों की तस्करी

3194. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बम्बई तथा कलकत्ता जैसे स्थानों पर आगे भेजने के विचार से पड़ौसी राज्यों से नियमित रूप से तस्करी कर के हजारों टन खाद्यान्न दिल्ली में लाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों की इस गैर-कानूनी आमद को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिये विभिन्न प्रकार के फ्लैट

3395. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा जनता ग्रुप के लोगों के लिये राजधानी में निर्मित फ्लेट भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है;

(ग) क्या एक ही ग्रुप में भिन्न-भिन्न प्रकार के फ्लेटों के मूल्य में भी अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) कालोनियों में अनम्यता तथा एक रूपता की नीरसता को दूर करने तथा कुछ सीमा तक एक ही वेतन वर्ग की विभिन्न रुचियों की तुष्टि के लिये विभिन्न प्रकार के टाइप, डिजाइनों को अपनाया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मूल्य में अन्तर, मुख्यता कुरसी क्षेत्र, विशिष्टियां, भूमि के मूल्य तथा निर्मित मंजिलों की संख्या में अन्तर होने के कारण है ।

भारतीय खाद्य निगम के एक कर्मचारी द्वारा दिल्ली में आमरण अनशन

3396. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन के एक कर्मचारी ने दिल्ली में 18 फरवरी, 1974 को आमरण अनशन आरम्भ किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां । भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के उस अधिकारी को, जोकि 18-2-74 से भूख हड़ताल पर था 24-2-74 को गिरफ्तार कर लिया गया था । तथापि प्रबन्ध के साथ तथा भारत सरकार से विचार विमर्श करने के बाद 26-2-74 को आन्दोलन समाप्त कर दिया गया था जबकि अधिकारी ने अपना व्रत भी खत्म कर दिया था ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहरी परिसर के कालिजों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए पुस्तकालयों का खोला जाना

3397. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहरी परिसर के कालेजों के विद्यार्थियों के लाभ के लिये दो पुस्तकालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा ये पुस्तकालय कब तक खुल जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं । जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय अपना खुद का पुस्तकालय स्थापित नहीं करता, तब तक दक्षिण दिल्ली के विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये एक पुस्तकालय स्थापित करने अथवा स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव था । दक्षिण दिल्ली की बजाय शाहदरा में इस प्रकार का एक पुस्तकालय खोलने का सुझाव भी किसी समय दिया गया था । तबसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक दक्षिण दिल्ली में और दूसरा शाहदरा में स्वयं दो पुस्तकालय स्थापित किये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का रख-रखाव और उन्हें सुरक्षित रखना

3398. **श्री रानेन सेन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों संबंधी (एक) सामान्य मामलों में और (दो) विवादग्रस्त मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं तथा अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों के रख-रखाव और उनको सुरक्षित रखने के लिये क्या प्रतिक्रिया निर्धारित की गई है तथा क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ख) बोर्ड द्वारा ये दस्तावेज अपने पास रखे जाने की निर्धारित अवधि क्या है;

(ग) वर्ष 1973 से संबंधित इन दस्तावेजों की क्या स्थिति है; और

(घ) क्या निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने को सुनिश्चित करने के लिये कोई नियंत्रण रखा जाता है; और यदि हां, तो किसके द्वारा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों तथा विनियमों की नियम-पुस्तिका की धारा 2, अध्याय 7 के नियम 10(8) के अनुसार "सचिव, प्रयुक्त पुस्तिकाओं को नष्ट कर सकता है, अथवा अन्य किसी प्रकार से उनका निबटान कर सकता है । इन उत्तर पुस्तिकाओं में संबंधित परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन महीने बाद आवेदन पर जांची गई उत्तर पुस्तिकाएं भी शामिल हैं ।" अन्य संबंधित दस्तावेजों को भी उक्त तीन महीने की अवधि के लिए उनके साथ ही सुरक्षित रखा जाता है।

(ख) संबंधित परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन महीने।

(ग) मार्च, 1973 से संबंधित प्रयुक्त उत्तर-पुस्तिकाओं आदि को अब समाप्त कर दिया गया है।

(घ) जी, हां। इस कार्य-पद्धति का सख्ती से पालन करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उपयुक्त नियंत्रण रखा जाता है ।

बिहार में भूमि अधिगृहीत करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों में बांटना

3399. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कितनी भूमि अधिगृहीत करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों में बांटी गई तथा चौथी पंच-वर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितनी भूमि आवंटित की जायेगी; और

(ख) बिहार में वर्ष 1972-73 के दौरान जिला-वार कितनी भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के व्यक्तियों में बांटी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1972-73 के दौरान वनस्पति घी का उत्पादन तथा वनस्पति घी की राज्यवार वर्तमान मांग

3400. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान देश में कितने वनस्पति घी का उत्पादन हुआ; और

(ख) इस समय देश में वनस्पति घी की राज्यवार मांग कितनी है तथा वनस्पति घी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार का विचार निकट भविष्य में क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 5.80 लाख मीटरी टन।

(ख) 1973-74 के दौरान सार्वजनिक खपत (राज्यवार) और सुरक्षा सप्लाई के लिए अनुमानित मांग संलग्न विवरण में दी गई है।

क्योंकि देश में वनस्पति तैयार करने की पर्याप्त क्षमता है, बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वनस्पति के उत्पादन में वृद्धि करना अधिकांश विधायन के लिये पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रयत्नशील है।

विवरण

1973-74 के दौरान सार्वजनिक खपत (राज्यवार) और सुरक्षा सप्लाई की अनुमानित मांग

(मीटरी टन)

(i)	**सार्वजनिक खपत के लिए**	
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,700
2.	असम	11,900
3.	बिहार	45,900
4.	गुजरात	37,000
5.	हरियाणा	28,400
6.	हिमाचल प्रदेश	7,200
7.	जम्मू और कश्मीर	5,600
8.	कर्नाटक	10,000
9.	केरल	3,600
10.	मध्य प्रदेश	31,500
11.	महाराष्ट्र	66,000
12.	मणीपुर	100
13.	उड़ीसा	7,000
14.	पंजाब	76,200

		मीटरी टन
15.	राजस्थान	34,400
16.	तमिलनाडु	16,200
17.	त्रिपुरा	100
18.	उत्तर प्रदेश	1,33,600
19.	पश्चिमी बंगाल	49,300
20.	अन्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह	200
21.	चण्डीगढ़	1,700
22.	दिल्ली	42,700
23.	गोआ, दमन और दीव	900
24.	पाण्डिचेरी	300
(ii)	**सुरक्षा सप्लाई के लिए** (अखिल भारत)	27,600
	जोड़	6,50,000

Cut in provision for slum clearance in Delhi

3401. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate at an early date a scheme in regard to slum clerance in Delhi;

(b) whether Government have affected any cut this year in provision for the development of slum areas; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) The Slum Clearance/Improvement Scheme formulated in 1956 is already in operation in Delhi.

(b) & (c) The provision originally made for the Central Scheme for Environmental Improvement in Slum Areas has been later on reduced on account of the financial stringency.

Procurement of foodgrains through village level agency

3402. **Shri Chandra Bhal Mani Tewari** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to procure foodgrains through agency at village level; and

(b) if so, the outlines of this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Public agencies doing procurement are already utilizing the services of village co-operatives wherever possible. State Governments have also been advised to organise committees at different levels to mobilize public support for procurement.

Procurement of Wheat

3403. Shri Chandra Bhal Mani Tewari : Will the Minister of **Agricultrure** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to procure greater quantity of wheat than procured last year;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) whether the price of imported wheat wiil be much more than the procurement price of the indigenous wheat ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The price and procurement policy for the 1974-75 marketing season will be finalised shortly. The price of wheat in the world market are ruling higher than procurement prices currently in force.

निर्मित बजरों के लिए इंजनों की सप्लाई न करना

3404. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बजरा निर्माताओं ने शिकायत की है कि उन्हें एक वर्ष से अधिक से कोई भी इंजन नहीं मिल रहा है जबकि उन्होंने क्रयादेश समय पर दे दिये थे, जबकि निर्मित्त बजरों के, जिनमें इंजनों को लगाया जाना है, संबंध में उन्हें रखने संबंधी प्रभारों, पत्तन न्यास किराया, कर्मचारियों की मंजूरी के रूप में भारी खर्च उठाना पड़ रहा है, जो सब मिलाकर प्रति बजरा 2,000 रुपये की दर से अधिक बैठता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उनकी समस्याओं को हल करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम का संशोधन

3405. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में समाज स्वास्थ्य संघ द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम का संशोधन करने का विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो इस संघ तथा दूसरों द्वारा कौन-कौन से सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) संसद में संशोधन विधेयक कब तक पेश किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) अनैतिक पण्य दमन (स्त्रियों और लड़कियों में) अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के बारे में

विभिन्न संस्थाओं में, जिनमें भारत में समाज स्वास्थ्य संघ भी शामिल है, प्राप्त सुझावों पर विचार किया जा रहा है। इस संघ ने बताया है कि कुछ और सुझाव तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ही वे प्राप्त होंगे, उनकी जांच की जायेगी और अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव किया जायेगा।

सफदरजंग उपरिपुल की दुर्घटना स्वरूप हताहतों को क्षतिपूर्ति

3406. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कुछ मास पूर्व नई दिल्ली में सफदरजंग उपरिपुल के निर्माण स्थल पर हुई दुर्घटना में मरने वालों को यदि कोई क्षतिपूर्ति दी है तो क्या;

(ख) क्या सरकार ने दुर्घटना स्थल पर मरने वाले इंजीनियर द्वारा ऊंचे दर्ज की कर्त्तव्यपरायणता दिखाने और अपने जीवन पर जोखम उठाने के एवज में उसकी सराहना की है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या इनाम देने की सिफारिश की जा रही हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इंजीनियर की युवा पत्नी को दिल्ली में अध्यापिका अथवा किसी अन्य पद का प्रस्ताव किया है जिससे कि परिवार अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ बन सकें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने दुर्घटना ग्रस्त लोगों के परिवारों को निम्नलिखित क्षतिपूर्ति दी हैं :—

(1) मृतक कनिष्ठ इंजीनियर श्री बख्शी के परिवार को

(1)	अनुग्रह पूर्वक अदायगी	1,000 रुपये
(2)	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की कल्याण निधि से . .	2,000 रुपये
(3)	कर्मकार मुआवजा अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए श्रम आयुक्त दिल्ली के पास जमा की गई राशि . . .	10,000 रुपये

(2) मृतक श्रमिक के परिवार को

(1)	अनुग्रह पूर्वक अदायगी	500 रुपये
(2)	कर्मकार मुआवजा अधिनियम के अधीन क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए श्रम आयुक्त दिल्ली के पास जमा की गई राशि . . .	7,000 रुपये

(3) घायल व्यक्तियों को

घायल व्यक्तियों को अनुग्रह पूर्वक 200 रुपये का भुगतान किया गया था।

(ख) तथा (ग) नहीं ।

(घ) जी, हां। नई दिल्ली नगर पालिका ने उसे अध्यापिका के पद की नियुक्ति के लिए पेशकश की है।

नई दिल्ली में हुआ आदिवासी कल्याण सम्मेलन

3407. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :**]

श्री एम० एस० मूरती :

क्या कृपि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 5 फरवरी, 1974 को आदिवासी कल्याण सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 6451/74]

(ग) यद्यपि सरकार सहकारी सोसायटियों के माध्यम से आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के बारे में इस सम्मेलन की सिफारिशों में अन्तर्निहित सामान्य पहुंच से आमतौर पर सहमत है, किन्तु कुछ विशिष्ट सिफारिशों, विशेष रूप से वे जो आदिवासी सहकारी सोसायटियों को वित्तीय सहायता देने के बारे में है, की संबंधित प्राधिकरणों/संगठनों की सलाह से संवीक्षा करने की जरूरत है।

कीटनाशक औषधि अधिनियम लागू करने के बारे में भारतीय कीट नियंत्रण एसोसिएशन के विचार

3408. **श्री बसंत साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कीट नियंत्रण एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि (एक) कीट-नाशक औषधि अधिनियम लागू करने के लिये अधिकांश राज्य सरकारों को न सौंपा जाए तथा समूचे देश में लागू करने के कार्य में एकरुपता सुनिश्चित करने हेतु कीट संबंधी नियंत्रण कार्य केंद्र के हाथ में होने चाहिए (दो) आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कीटाणुनाशक तथा कीटनाशक औषधियां देश में निर्मित की जायें और (तीन) कीटाणुनाशक तथा कीटनाशक कार्यक्रमों संबंधी सरकारी परियोजनाओं में गैर-सरकारी संस्थाओं के भाग लेने तथा व्यैक्तिगत रूप से भाग लेने को बढ़ावा देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विकलांगों के पुनर्वास की योजना

3409. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं के विस्तार, संगठनों को छात्रवृत्तियां, अनुसंधान और अनुदान देने की उनके मंत्रालय की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु पांचवीं योजना में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) जी, हां।

(ख) पांचवीं आयोजना के मसौदे में इन योजनाओं के लिए 720 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(ग) एक विवरण पत्र, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय संस्थान

चार राष्ट्रीय संस्थानों, नेत्रहीन व्यक्तियों, बधिर व्यक्तियों, अपांग व्यक्तियों तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए एक-एक को विकसित करने का विचार है। इन संस्थानों में अनुसंधान, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, साहित्य को तैयार करने तथा राष्ट्रीय आवश्यकता की कुछ सेवाओं की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

छात्रवृत्तियां

नेत्रहीन, बधिर और अपांग छात्रों को नवीं कक्षा से साधारण शिक्षा तथा तकनीकी अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस योजना को पांचवीं आयोजना में भी जारी रखा जाएगा।

अनुसंधान

राष्ट्रीय संस्थानों में अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के लिए विशेष सहायक यन्त्रों तथा उपकरणों के विकास हेतु अनुसंधान किए जाने को भी बढ़ावा दिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

अनुदान

समाज कल्याण विभाग विकासात्मक गतिविधियों के लिए विकलांग व्यक्तियों से संबन्धित स्वयं-सेवी संगठनों को सहायता देता है। उन्हें 75% खर्च तक की सहायता दी जाती है। इस योजना को पांचवीं आयोजना के दौरान और भी बड़े पैमाने पर जारी रखा जाएगा।

Prime Minister's Statement on time Capsule

3410. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister did not appreciate the idea of Time Capsule in a Press Conference in Delhi in December last;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the names of the persons responsible for mooting and giving a shape to this idea ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) At the Press Conference held by the Prime Minister, a correspondent traised the question on the controversy about the Time Capsule. In reply, the Prime Minister remarked "Between you and me I do not think that the Capsule idea was a very bright one. This is just a secret. Please do not broadcast it. I think this is much ado about nothing....." The observation was evidently made in a light vein.

(c) The decision to have the Capsule embedded at the Red Fort was Government's.

दिल्ली तथा नई दिल्ली को साफ़ रखने के लिये कार्यवाही

3411. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 में आयोजित किये गये सफाई सप्ताह के बावजूद दिल्ली नगर पालिका और नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्रों में सफ़ाई की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों सहित सफ़ाई कर्मचारियों की संख्या उचित रूप से बढ़ाई जायेगी; और

(ग) क्या शहर को साफ़ रखने के लिए रिहायशी मकानों के निकट सार्वजनिक कूड़ादान रखे जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन के अधीन क्षेत्रों में सफ़ाई की स्थिति में निश्चय ही सुधार हुआ है ।

(ख) सफ़ाई कर्मचारी बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दोनों स्थानीय निकायों ने, इस बारे में प्रयास किये हैं। इस प्रयोजन के लिए, दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में नये डिज़ाइन के कूड़ेदान लगाये गये हैं।

पांचवीं योजना में पंजाब में चलाये जाने वाले नलकूप

3412. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि में पंजाब में कितने नलकूप चलाये जाने हैं;

(ख) क्या केन्द्र ने पंजाब के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जैसाकि राज्य सरकार के पांचवीं योजना के प्रारूप में सुझाव दिया गया है, पांचवीं योजना के दौरान लगभग 2,500 गहरे नलकूपों और एक लाख उथले नलकूपों के लगाये जाने और उनके शक्ति-चालित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) चालू पद्धति के अनुसार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता पूरी वार्षिक योजना के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदान के रूप में दी जाती है, न कि विकास की अलग-अलग योजनाओं के लिए। विभिन्न योजनाओं के लिए जिसमें कि सिंचाई की सुविधायें भी शामिल हैं, धनराशि का आवंटन राज्य सरकार अपने विवेक से करती है। इसलिए विकास की विशिष्ट स्कीमों के लिये केन्द्रीय धनराशि की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में सरकारी कार्यों के लिये अपने वाहनों का प्रयोग न करने वाले इंजीनियर

3413. **श्री बाबू नाथ सिंह :**

श्री नारायण चन्द्र पराशर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या दिल्ली में इंजीनियरों ने सरकारी कार्यों के लिए अपने वाहनों का प्रयोग बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जनवरी, 1974 के प्रारम्भ में, दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कई इन्जीनियरों ने विभाग के प्रमुख इंजीनियर को सूचित किया कि वे 1 फरवरी 1974 से सरकारी कार्य करने के लिये सरकारी वाहनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें स्वीकृत किया गया सवारी भत्ता पर्याप्त नहीं है, विशेषकर इस लिए कि पैट्रोल तथा मोटर वाहनों के रख-रखाव की लागत में अत्यधिक वद्धि हो गयी है।

(ग) पैट्रोल की कीमत बढ़ जाने के कारण सवारी-भत्ते की अपर्याप्तता के समान्य प्रश्न पर सरकार गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रही है।

निर्धनों की सर्दी से रक्षा करने के लिये व्यवस्था

3414. **श्री बी० एम० मूर्ति :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्धनों की सर्दी से रक्षा करने के लिये राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : राज्य सरकारें निर्धनों को सर्दी से बचाने के लिए गंदी बस्ती/उन्मूलन सुधार योजना के अधीन, रैन बसेरे बनाने के लिए सक्षम हैं, राज्य सरकारों को राज्य योजना स्कीमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता "समेकित ऋणों" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है।

Accumulation of Vanaspati in Rajasthan

3415. Shri Bhagirath Bhanwar :
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether vanaspati ghee worth 30 lakhs of rupees got accumulated in Rajastan;

(b) whether there is no control over such cases during this economic crisis and conditions of scarcity;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) to (d) The Government of India have not placed any restrictions on the inter-State movement of vanaspati, and it is not known if Rs. 30 lakhs worth of vanaspati has got accumulated in Rajasthan and, if so, in what circumstances. The State Government have been addressed in the matter and a statement will be laid on the Table of the House as soon as their reply is received.

Russian Delegation for Sheep Breeding and Beet Root Cultivation

3416. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a Russian delegation has come to India to advise the country on sheep-breeding and beet root cultivation;

(b) if so, the number of members in this delegation; and

(c) the gist of the advice given by them for their development ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasheb P. Shinde): (a) and (b). Yes, Sir. A delegation of six Russian Experts with a representative of State Committee for Foreign Economic Relations arrived in India on 11th March, 1974, to discuss with the Government possibilities of collaboration on setting up projects on sheep breeding, goat breeding and sugar beet cultivation.

(c) The delegation is visiting various places and would stay for nearly three weeks. No advice or suggestions have been made by them at this stage.

Scheme to help farmers to meet Natural Calamities.

3417. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the main features of the scheme being formulated by Government to help the farmers in case of natural calamities like fire and damage to crop keeping in view the rise in price and scarcity conditions ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : The provision of relief to farmers following the occurrence of any natural calamity is primarily the responsibility of the States. Government of India do not provide any assistance direct to the farmers who have been affected by natural calamities.

आर० एस० 09 ट्रैक्टरों का अध्यर्पित मूल्य

3418. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी जर्मनी के ट्रैक्टरों के अध्यर्पित करने पर जो मूल्य प्राप्त हुआ था वह किसानों द्वारा अदा किये गये मूल्य के 50 प्रतिशत से भी कम था; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने किसानों द्वारा अदा किया गया सारा मूल्य लौटा दिया था और हानियों और मूल्य ह्रास का वहन सम्बद्ध राज्यों के कृषि औद्योगिक निगमों द्वारा वहन किया गया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

यूनियन कार्बाइड इण्डिया द्वारा बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण

3419. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के मत्स्य उद्योग में यूनियन कार्बाइड इण्डिया की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्यक्रम बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पास दो ट्रालर हैं जिन्हें काम में लाया जा रहा है। ये ट्रालर 1970 में आयात किए गए थे। देश में तट से दूर और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 91 नौकाएं और तटों के निकट कार्य करने वाली 9000 से अधिक यंत्रीकृत नौकाओं से कार्य लिया जा रहा है। इस फर्म ने 1973 में 72.67 लाख रु० की कीमत के 206.68 मीटरी टन समुद्रीय उत्पादों का निर्यात किया है जब कि इस वर्ष कुल 79.25 करोड़ रु० की कीमत के 48,306 मीटरी टन उत्पादों का निर्यात हुआ है।

इस फर्म ने 30 नौकाओं के आयात के लिए 1968 में शुरू की गई योजना के अंतर्गत चार और नौकाओं के आयात के लिए आवेदन पत्र दिया है। किन्तु बाद में फर्म ने अपना आवेदन पत्र वापिस ले लिया था। इस फर्म ने जून, 1973 में सरकार द्वारा अधिसूचित 50 नौकाओं की आयात संबंधी योजना के अंतर्गत 8 नौकाओं के आयात के लिये भी आवेदन पत्र भेजा था। बाद में फर्म ने यह प्रार्थना-पत्र भी वापिस ले लिया था।

(ख) तथा (ग) तट के निकट समुद्रीय मात्स्यकी संसाधनों का सर्वेक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है जब कि समुद्र तट से दूर और गहरे समुद्र में सर्वेक्षण कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा जा रहा है। मछली पकड़ने के लिए बंगाल की खाड़ी का सर्वेक्षण करने के संबंध में भारत सरकार को मैसर्ज यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

Measures for employment of Landless Labour

3420. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the measures taken during the last three years, year-wise, to remove the unemployment prevalent among landless labour; and

(b) the number of labourers State-wise, who were thus benefited during these years?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b). A crash, scheme for rural employment was taken up for implementation in April, 1971 for a period of three years. The scheme envisaged to provide employment to atleast 1,000 persons in every district of the country. Labourers are employed on the works for varying periods. Information is therefore collected in terms of mandays of employment provided and not the number of persons benefited. Assuming that the persons are employed, on an average, for 150 days in the year, number of persons benefited would be about 1,500 persons per district during 1971-72 and to about 2,500 persons per district during 1972-73.

During the current year, over 1,800 persons are likely to be provided employment per district. A statement showing (State-wise) the number of labourers benefited is placed on the Table of the House. [Placed in library. See No. LT 6452/74]

The Drought Prone Areas Programme, (formerly known as Rural Works Programme), started in 1970-71, continued to be implemented during the last three years. Designed primarily for strengthening the agricultural infrastructure, the works also provide employment to the labour force in rural areas. Complete details of the employment generated have not been reported by the States. However, a total employment of over 1,300 lakh mandays was reported to have been generated with the implementation of various schemes under the programme.

Under the Marginal Farmers and Agricultural Labourers Agencies, implemented since the beginning of the Fourth Plan, greater employment opportunities are provided to the landless agriculturalists through such rural works as help in the maximum exploitation of the agricultural potential in the area.

उड़ीसा में सिंचाई प्रयोजनों हेतु भूमिगत जल का विकास

3421. **श्री गजाधर मांझी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तर के अधिकारियों के एक दल ने जनवरी, 1974 में सिंचाई प्रयोजनों हेतु भूमिगत जल के बिकास के व्यापक कार्यक्रम की उड़ीसा सरकार की योजना पर विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य विषयों पर बातचीत हुई तथा उन पर क्या निर्णय किये गये और उड़ीसा राज्य के विकास के लिए जिलावार कितनी राशि आवंटित करने के लिए कहा गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) उड़ीसा सरकार ने राज्य में भूमि [illegible] जल विकास के लिए एक परियोजना तैयार की है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकारियों ने केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर 1973 में विचार-विमर्श किया था।

(ख) इस प्रस्ताव के अनुसार 48.045 करोड़ रुपये के परिव्यय से 61,456 खुले कुओं, 4,834 उथले नलकूपों और 1,033 गहरे नलकूपों का निर्माण किया जाना है और इससे 6.56 लाख एकड़ खरीफ फसलों और 4.3 लाख एकड़ रबी फसलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। 20 परियोजना क्षेत्रों में 48.045 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। ये परियोजना क्षेत्र सारे राज्य में फैले हुए हैं। चूंकि ये कार्यक्रम संस्थागत स्रोतों से क्रियान्वित किया जाना है, इसलिए इसके लिए कोई केन्द्रीय धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

Assistance to Bihar to present Smuggling of Foodgrains

3422. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have taken the assistance of the Central Reserve Police to seal the borders of the State with a view to preventing smuggling of foodgrains; and

(b) if so, the suggestions made by the Central Government to prevent the smuggling of foodgrains from Bihar State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) In January, 1974 the Government of Bihar asked for four companies of the Central Reserve Police for deployment at checkposts etc. for preventing smuggling of foodgrains. However, these could not be made available on account of other preoccupations.

(b) As a part of the general instructions issued to all State Governments, the Government of Bihar was advised to enforce their food control orders vigorously, to organise raids and to intensify anti-smuggling measures etc.

पांचवीं योजना में 'सेल्फ कल्टीवेटिंग टेनेंसी लाज' (स्वयं-खेती करने सम्बन्धी काश्तकारी विधियां) और स्वेच्छा से जोतने वालों की सुरक्षा के उपाय

3423. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमींदारी खत्म करके और स्वयं खेती करने सम्बन्धी काश्तकारी करने और जोतने वालों को भूमि देने, स्वेच्छा से जोतने वालों की समय अवधि की सुरक्षा, गैर-कानूनी सूदखोरी को समाप्त करने जैसे उपायों सहित पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आमूल कृषि सुधार सम्बन्धी उपायों को लागू करने में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ में इस योजना में निरुपित मूल-भूत भूमि सुधारों को लागू करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Persons arrested on the charge of smuggling foodgrains to Delhi from Adjoining States

3424. Shri Chandra Bhal Mani Tewari : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons arrested on the charges of smuggling foodgrains to Delhi from adjoining States during the last three months;

(b) the quantity and the varieties of foodgrains seized from their possession; and

(c) the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture ((Shri Annasahib P. Shinde): (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Holding of Seminars by Kendriya Sachivalya Hindi Parishad

3425. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad has prepared outlines for holding seminars on scientific and technical subjects;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the Government's role in the implementation thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c). The Kendriya Sachivalya Hindi Parishad requested the Government in 1972 for financial assistance for their project under which the Parishad proposed to arrange lectures in Hindi and, where necessary, in regional languages also, by technical officers and eminent scholars on technical and scientific subjects, and to hold seminars. The lectures and proceedings of the seminars were proposed to be taperecorded, edited and printed in the form of books. With a view to assisting the Parishad in this Project, the Government sanctioned to it a grant of Rs. 38,000/- in December, 1972.

Number of villages where drinking water is not available

3426. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri P. Narasimha Reddy :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of villages in 1950, 1960 and 1970 separately where drinking water is not available; and

(b) the number of such villages, State-wise separately at present ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) A survey of villages without adequate water supply was taken up only in 1962 and therefore no complete data is available for 1950 and 1960 for villages without adequate water supply.

According to information compiled by the Special Investigation Division for Rural Water Supply there were 1.52 lakhs villages in the country where water sources were not available within a depth of 50 feet or within a distance of one mile or where the existing source suffered from public health hazards, at the beginning of the Fourth Plan *i. e.* 1969-70.

(b) The number of such villages at the end of the Fourth Plan are given State-wise in the statement annexed.

STATEMENT

Sl. No.	State/Union Territory	No. of villages left without water supply at the end of IV Plan (Estimated)
1	2	3
1.	Andhra Pradesh.	2893
2.	Assam	7459
3.	Bihar	34100
4.	Gujarat	2000
5.	Haryana	3891
6.	Himachal Pradesh	6944
7.	Jammu & Kashmir	2466
8.	Kerala	714
9.	Madhya Pradesh	7020
10.	Maharashtra	3233

1	2	3
11.	Meghalaya	3081
12.	Mysore	7252
13.	Nagaland	278
14.	Orissa	4419
15.	Punjab	1954
16.	Rajasthan	3256
17.	Tripura	2896
18.	Tamil Nadu	2385
19.	Uttar Pradesh	12307
20.	Manipur	1100
21.	West Bengal	12051
22.	Andaman & Nicobar	56
23.	Arunachal Pradesh	2051
24.	Chandigarh	—
25.	Dadra & Nagar Haveli	—
26.	Delhi	61
27.	Goa, Daman & Diu	68
28.	Laccadive, Minicoy Islands	—
29.	Pondicherry	50
30.	Mizoram	660
	TOTAL	1,24,645

Out of the above 1,24,645 villages, about 10,000 villages are estimated to be covered by the end of the IV Plan, under the Central Accelerated Rural Water Supply Programme, leaving about 1,14,000 villages in this category at the beginnig of the V Plan.

वर्ष 1973-74 में गुजरात को ट्रैक्टरों की आवश्यकता

3427. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने ट्रैक्टरों की आवश्यकता के सम्बन्ध में वर्ष 1973-74 के दौरान कोई प्रस्ताव भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस आवश्यकता के बदले आज तक कितने ट्रैक्टर सप्लाई किये गये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) 1973-74 की अवधि में गुजरात कृषि उद्योग निगम को 300 ट्रैक्टर सप्लाई किए गए हैं।

कर्नाटक में स्वच्छ पेय जल

3428. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में चौथी योजना के दौरान अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल के लिये कितना धन व्यय किया जाना था ; और

(ख) राज्य नें जिलावार अब तक कितना धन व्यय किया है और अब तक किन जिलों में कोई काम नहीं किया गया है ?.

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों की वसूली

3429. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य सहकारी बैंक द्वारा लगभग 1500 सहकारी समितियों को 60.78 लाख रुपये के दिए गए ऋणों की वसूली को "संदिग्ध" समझा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) व (ख). दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की वर्ष 1971-72 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षकों द्वारा 60.78 लाख रु० की वसूली को "संदिग्ध" समझा गया था। इस राशि में ये शामिल हैं —

	(लाख रुपयों में)
1. हिस्सों में लगाया गया धन . .	0.02
2. ऋण . . .	12.50
3. नकदी ऋण लेखे	2.32
4. परिसमापन के अन्तर्गत सोसायटियां .	25.00
5. दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड .	20.00
6. फुटकर देनदार	0.88
योग	60.78

बैंक की बिगड़ती हुई स्थिति से चिंतित होकर एक उप-समिति गठित की गयी थी। इसने उपभोक्ता भण्डारों की ओर के बकायों के संबंध में स्थिति सुधारने के लिए उपायों का सुझाव देना था। इस उप-समिति की सिफारशें विचाराधीन हैं। दिल्ली प्रशासन के सहकारिता विभाग का वसूली सेल उन बिकायों

की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है, जो परिसमापन के अन्तर्गत की सोसायटियों के बारे में हैं। इसके अलावा, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक से अनुरोध किया है कि वह संदिग्ध ऋणों की वसूली और अपनी ऋणदायी नीतियों तथा पद्धतियों को सरल तथा कारगर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि इस प्रकार की स्थिति दुबारा उत्पन्न न हो।

सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों सम्बन्धी परियोजनाओं से लाभ

3430. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों सम्बन्धी परियोजनाओं को धन देने सम्बन्धी विशेष योजनाएं कौन-कौन सी हैं ;

(ख) उक्त योजनाओं के अधीन कितने परिवारों को लाभ पहुंचा और राज सहायता के रूप में उन्हें कुल कितनी धनराशि मिली ; और

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए कोई नये प्रस्ताव हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमांत कृषकों और कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें ऋण तथा अन्य सेवाओं के जरिए सहायता देने के लिए देश भर में सीमांत कृषक श्रमिक विकास एजेंसियों के अंतर्गत 41 परियोजनायें शुरू की गई हैं। प्रत्येक सीमांत कृषक और कृषि विकास एजेंसी के अंतर्गत सामान्यरूप से 2.5 एकड़ सिंचित या 4 से 5 एकड़ तक असिंचित भूमि की जोतों वाले लगभग 15,000 सीमांत कृषकों और आवास-स्थल रखने वाले तथा कृषि मजदूरी से 50% से अधिक आय प्राप्त करने वाले लगभग 5,000 कृषि श्रमिकों के आने की सम्भावना है। इस योजना के अंतर्गत पशु-पालन संबन्धी क्रिया-कलापों पर जोर दिया जाता है ताकि कृषि से होने वाली आय को बढ़ाया जा सके। सीमांत कृषकों और कृषि श्रमिकों को मौसमेतर रोजगार देने के लिए इसमें ग्रामीण निर्माण-कार्य भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा सीमांत कृषक सारे देश में 46 परियोजनाओं में लघु कृषक विकास एजेंसी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत भी आते हैं।

(ख) दिसम्बर, 1973 तक इन योजनाओं से 5,52,252 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। अभिज्ञात लाभानुभोगियों और सहकारी संस्थाओं को राज सहायता देने और एजेंसियों का प्रशासनिक खर्च पूरा करने के लिए प्रारम्भ से दिसम्बर, 1973 तक सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक विकास एजेंसियों को 1613.83 लाख रुपये का अनुदान निर्मुक्त किया गया है।

(ग) जी हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुसार लघु कृषक विकास एजेंसियां/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के कार्यक्रम पांचवीं योजना में जारी रहेंगे और इनके अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाया जायेगा और वर्तमान परियोजनाओं को मिलाकर इन परियोजनाओं की संख्या की 160 तक बढ़ाया जाएगा। ये परियोजनाएं संहत किस्म की होंगी और इनके अंतर्गत छोटे और सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक दोनों आयेंगे। पांचवीं योजना की अवधि में 160 परियोजनाओं में इन कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत अनंतिम रूप से 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

Import of Massey Ferguson Tractors and their allotment to States

3431. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Massey Ferguson tractors imported during the last three years, year-wise;

(b) the basis on which these are allotted to the States and the agency through which they are distributed;

(c) whether any special priority is given to the farmers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who are unable to purchase tractors in black market; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) 1,000 Nos. of Massey Ferguson MF-135 tractors were imported during 1971. No Massey Ferguson MF-135 tractors were imported during 1972 and 1973.

(b) The tractors are allotted to the State Agro-Industries Corporations for distribution on the basis of pending registrations with them.

(c) & (d) No special priority is given to the farmers belonging to Scheduled Castes and Schedule Tribes. The distribution and sale of tractors is governed by the provisions of the Tractor (Distribution and Sale) Control Order, 1971, according to which tractors are supplied to applicants strictly in the order in which their names are registered with the Agro-Industries Corporations.

त्रिपुरा के मछली व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयां

3432. **श्री बोरेन दत्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मछली व्यापारियों ने बंगलादेश के साथ व्यापार के बारे में एक ज्ञापन भेजा है ;

(ख) उनकी कठिनाइयों का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) त्रिपुरा के मछली व्यापारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि नवम्बर, 1973 में मत्स्यजीवी समव्यय समिति लिमिटेड, त्रिपुरा द्वारा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को भेजे गये एक पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है, जिसमें बंगलादेश से कछुओं और हरे कछुओं के आयात पर सीमा-शुल्क की छूट देने का अनुरोध किया गया था। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Allocation for Soil Conservation during Fifth Plan in M. P.

3433. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated to Madhya Pradesh for soil conservation during Fifth Plan; and

(b) facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b). A tentative outlay of Rs. 30.00 crores in the State Sector has been approved for Soil Conservation Programme in Madhya Pradesh during the Fifth Plan. Besides, Soil Conservation Programme would be taken up in the State, under Central and Centrally-sponsored Schemes, during the Fifth Plan. The funds to be allocated under this Programme would depend on the details of Schemes to be received from the State.

Price of Fertilisers Imported from U.S.S.R

3434. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the price at which fertiliser from Soviet Union will be made available to farmers; and

(b) the rate including freight and price at which the fertiliser will be supplied by Soviet Union to India ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Urea, Ammonium Sulphate and Muriate of Potash are imported from Soviet Union as also from certain other countries. The prices at which these three fertilisers are made available to farmers are uniform throughout the country regardless of the country from which they are imported. The maximum retail prices of Urea and Ammonium Sulphate are statutorily fixed and are Rs. 1,050 and Rs. 600 per metric tonne respectively. The retail price of Muriate of Potash which is only imported has been fixed at Rs. 680 per metric ton.

(b) It will not be in public interest to disclose the details of the prices at which fertilisers are imported from various countries.

Percentage of increase in Vanaspati during last one Year

3435. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the percentage of increase registered in the prices of Vanaspati ghee during the last one year ; and

(b) the reasons for which the prices have been increased recently ?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed): (a) 27-29% in the different zones.

(b) The recent increase in prices, effective from the 1st February 1974, was necessitated mainly by the steep rise in the price of edible oils in the first fortnight of January 1974 and partly by a rise in packing costs as well.

चौथी योजना में पश्चिम बंगाल में पेय जल के लक्ष्य

3436. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के अभावग्रस्त ग्रामों तथा दूसरे ग्रामों का पेय जल की व्यवस्था करने के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को यह आशा है कि योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग). राज्य योजना के अन्तर्गत चौथी योजना के शुरू में 216 ग्रामों के लिए नल द्वारा जल पूर्ति की 27 अधिनीत योजनाओं पर कार्य चल रहा था। चौथी योजना में नल द्वारा जलपूर्ति की एक नयी योजना और शामिल की गई है। 1972-73 तक, 23 ग्रामों की 6 योजनाओं के पूर्ण हो जाने की सूचना मिली थी। इसके अतिरिक्त, चौथी योजना में 40 लाख की आबादी के लिए कुएं तथा हैण्ड पम्पों के 10,000 जल स्रोत बनाने का लक्ष्य था। अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक, कुएं तथा हैण्ड पाइप पम्पों के 26,315 जल पूर्ति स्त्रोत पूरे कर लिये जाएंगे। इस में (105.20 लाख की आबादी वाले) ग्रामीण जलपूर्ति के केन्द्रीय त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये स्त्रोत भी शामिल हैं।

ग्रामीण जलपूर्ति के केन्द्रीय त्वरित कार्यक्रम के अधीन, 1972-73 में राज्य सरकार को 105 लाख रुपये की राशि दी गई थी तथा राज्य सरकार ने इस बारे में सूचित किया था कि 6,725 ग्रामों में 6,725 जल स्त्रोतों के निर्माण पर 139.69 लाख रुपये खर्च किये। 1973-74 में, राज्य सरकार को 70 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1973 तक 1,342 जल स्त्रोत इतने ही ग्रामों में बनाने पर 46.47 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

बिस्कुट के कारखानों के लिये पश्चिम बंगाल को रवा, मैदा और गेहूं के आटे की सप्लाई की मात्रा

3437. **श्री ए० के० एम० इसहाक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिस्कुट के कारखानों के उपयोग के लिए पश्चिम बंगाल को प्रतिवर्ष कितना रवा, मेदा और गेहूं का आटा सप्लाई किया गया; और

(ख) बिस्कुट के प्रत्येक कारखाने के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिन्दे): (क) और (ख). केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों/प्रशासनों को सरकारी वितरण प्रणाली और राज्यों के अन्दर स्थापित रोलर फ्लोर मिलों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए गेहूं के आवंटन मासिक आधार पर किये जाते हैं। गेहूं और गेहूं के पदार्थों के आन्तरिक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/प्रशासनों की होती है।

भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखे जाने के लिये प्रोत्साहन

3438. **श्री सी० जनार्दनन:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय भाषाओं, विशेषकर मलयालम में पुस्तकें लिखे जाने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा भाषा-वार अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं;

(ख) पुस्तकों के अनुवाद के लिए पारिश्रमिक देने का क्या आधार है और क्या भिन्न भिन्न भाषाओं के लिए शुल्क देने में कोई भेदभाव किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या असमिया और मलयालम भाषा अनुभागों के लिए कोई सम्पादक नहीं है और साथ ही अन्य भाषाओं के लिए अनर्ह सम्पादक हैं, यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग): अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

1974 में अधिक कृषि विश्वविद्यालय

3439. **श्री सत्येन्द्र नारायण [सिन्हा** : क्या **कृषि** मंत्री बह यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1974 में देश में और अधिक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां और कब तक खोले जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का विशेषाधिकार राज्य सरकारों को है। केन्द्रीय सरकार अपने आप कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं करती है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के जरिए राज्य सरकारों की मदद करती है।

नये कृषि विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मदद तभी दी जा सकती है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित कर दिया जाय कि ये मदद प्राप्त करने के योग्य हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सूचना दी है कि फैजाबाद और कानपुर में दो और कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित करने का इरादा है। जम्मू और कश्मीर की सरकार का राज्य में एक कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित करने का इरादा है। कर्नाटक की सरकार धारवाड़ में एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस प्रकार से सन् 1974 में तीन या चार और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना होने की संभावना है।

डाक्टरोत्तर छात्रवृत्तियों के लिये आयु-सीमा

3440. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में अनुसंधान तथा विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सेवा कर रहे अनुभवी व्यक्तियों को डाक्टरोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिए कोई आयु-सीमा निश्चित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशेष योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए इस आयु-सीमा को नरम करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख): विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, जो कि साधन परीक्षणों की शर्त पर केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ही है, उत्तर डाक्टर अनुसंधान/विशिष्ट/प्रशिक्षण के लिए 1974-75 के दौरान 12 छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। उम्मीदवार को पास विषय क्षेत्र में डाक्टर की डिग्री होनी चाहिए तथा अनुसंधान अथवा अध्यापन अथवा उद्योग में कम-से-कम पांच वर्ष का अनुभव होना

चाहिए। आयु की सीमा 1 अक्तूबर, 1974 को 33 वर्ष निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु में तीन वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।

सिंचाई के लिए पम्प-सैटों की खरीद के लिये पश्चिम बंगाल के किसानों को केन्द्रीय ऋण

3441. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को किसानों को ऋण के रूप में वितरित करने के लिए 3.69 करोड़ रुपये दिये हैं ताकि वे सिंचाई के लिए पम्प-सैट खरीद सकें;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इस धन राशि का उपयोग किस प्रकार किया;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों का उल्लंघन करते हुए पश्चिम बंगाल के कुछ मंत्रियों ने बड़े निर्माताओं से एक विशेष 'ब्रांड' के पम्प-सैटों की खरीद को प्रोत्साहन दिया; और

(घ) क्या सरकार या कृषि उद्योग निगम या बैंकों द्वारा ऋण के साथ वितरित पम्प-सैट कई मामलों में किसानों के लिए लाभदायक न रह कर भार बन गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रायचौक, पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने की बन्दरगाह की प्रगति

3442. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **कृषि** मंत्री रायचौक, पश्चिम बंगाल में गहरे पानी में मछली पकड़ने की परियोजना के बारे में 17 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5026 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायचौक, साऊथ, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित गहरे पानी में मछली पकड़ने के बन्दरगाह के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) निर्माण-कार्य ठीक-ठीक कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्त ने सरकार को सूचित किया है कि मछली पकड़ने के बन्दरगाह रायचौक, में अब तक कुछ प्राथमिक तथा सुरक्षात्मक कार्य किये गये हैं; निर्माण-कार्य के लिए पहले मांगे गए टेंडर प्राप्त हो गये हैं और टेंडर समिति द्वारा इनकी जांच की जा रही है। उनके अनुसार टेंडरों को अन्तिम रूप देने में लगभग 3 से 4 महीने तक का समय लगेगा और उसके बाद निर्माण-कार्य शुरू होगा।

(ख) यदि योजना का कार्य कार्यक्रम के अनुसार चलता रहा तो मछली पकड़ने के बन्दरगाह का निर्माण-कार्य 1976 के शुरू में पूरा हो सकता है।

सामग्री की लागत में मितव्ययिता

3443. **श्री बसंत साठे**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'मैटीरियल मैनेजमेंट एसोसिएशन' ने सामग्री के कुशल प्रबन्ध द्वारा सामग्री लागत को कम करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव की जांच की गई है तथा उसे स्वीकार्य पाया गया है; और

(ग) सामग्री लागत में मितव्ययिता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा इसमें कितनी बचत होने की संभावना है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग): नेशनल एसोसिएशन आफ मैटीरियल मैनेजमेंट द्वारा कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया है। तथापि, सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा एसोसिएशन के सचिव के साथ बातचीत करने के फलस्वरूप, उक्त एसोसिएशन के साथ मिल कर इस बारे में कतिपय कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकानों (सूट्स) के लिये वर्तमान वर्गों का पुनर्वर्गीकरण

3444. **श्री बसंत साठे**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संशोधित वेतनमानों को देखते हुए विभिन्न वेतनमानों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों (सूट्स) के वर्तमान वर्गों का पुनर्वर्गीकरण करने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं;

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी कर्मचारियों को अधिक तेजी से तथा अधिक रिहायशी सुविधाएं देने को सुनिश्चित करने के लिए और कौनसी कार्यवाही की गयी है और कितने प्रतिशत कर्मचारियों को लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अनुसार उन कर्मचारियों को रिहायशी सुविधायें दी जायेंगी जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य पूल में और अधिक मकानों के निर्माण का कार्य, निधियों, भवन-निर्माण सामग्री आदि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस समय यह नहीं बता सकता कि योजना अवधि के दौरान कितने प्रतिशत कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

(घ) जी नहीं। किन्तु सरकार की यह नीति है कि संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत कम-से-कम समय में अधिक से अधिक कर्मचारियों को आवास स्थान दिये जायें।

कृषि वस्तुओं में 'टाक्सिन' का होना

3445. **श्री बसंत साठे :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि दैनिक उपयोग की कृषि वस्तुओं में 'एफलाटाक्सिन' नामक विषैले अंश होते है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एफलाटाक्सिन को रोकने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के अलावा, सरकार खाद्य सामग्रियों में एफलाटाक्सिन के नियंत्रण के लिए उपलब्ध अनुसंधान के परिणामों के प्रयोग करने संबंधी कार्यक्रमों को लागू कर रही है।

Use of Polythene container for Ghee by Vanaspati Mills

3446. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Vanaspati Mills in the country have started using polythene container for ghee as a result of which the consumers have to pay more than they had to pay in case of tin containers;

(b) if so, whether these mills have consulted the Government about such containers; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) to (c). The use of high-density polythene containers of 1 kg and 2 kg net capacity for packing vanaspati has been permitted by the Government. The price of vanaspati packed in polythene containers is substantially lower than that packed in tin containers of equivalent capacity—the advantage in the case of a 2 Kg pack being as much as 55 paise.

Allotment of Land to Harijans and Adivasis during Fifth Plan

3447. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the total acreage of agricultural land proposed to be allotted to Harijans and Adivasis during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, the State-wise figures ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahebs P. Shinde): (a) and (b). The national guidelines on ceiling on land holdings laid down that while distributing surplus land, priority should be given to the landless agricultural workers, particularly those belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. All the

land ceiling legislations enacted or revised in the light of these guidelines have given high priority to landless agricultural workers belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The extent of land likely to be available for distribution can be ascertained only in course of the implementation of the laws.

In the distribution of other agricultural lands, many State Governments have given high priority to landless agricultural workers belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

In addition, in the Tribal Development Agency Projects, the Plan target for reclamation of government waste land for the purpose of settling the landless tribals is as follows:

(1) Ganjam, Orissa	5,000 acres.
(2) Koraput, Orissa	2,000 acres.
(3) Srikakulam, Andhra Pradesh . .	2,500 acres.
(4) Singhbhum, Bihar	775 acres.

राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड द्वारा की गयी प्रगति

3448. **श्री फतह सिंह गायकवाड़** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड ने अप्रैल, 1973 से इसके गठन के बाद से क्या प्रगति की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सभी सड़कों का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। भारत सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत या अन्यथा किसी राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड की स्थापना नहीं की है।

परन्तु इंडियन रोड्स कांग्रेस, जोकि एक निजी संस्था है, ने अक्तूबर, 1973 में अपने तत्वाधान में एक राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की है।

3449. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains found short or missing during the last six months from the godowns of the Food Corporation of India indicating the names of those 10 godowns where maximum shortage was discovered; and

(b) the action taken by Government in this connection and the number of guilty persons against whom legal action was taken ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Stock of Books lying with Central Hindi Directorate, National Book Trust and National Akademies

3450. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the value of the stock of books lying unsold at present with Central Hindi Directorate, National Book Trust, Sahitya Akademi, Lalit Kala Akademi separately; and

(b) the arrangements being made by Government for the sale of these books ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri D.P. Yadav) : (a) & (b). A statement is attached.

Statement

The value of the stock of books with the Central Hindi Directorate, National Book Trust, Sahitya Akademi and Lalit Kala Akademi is Rs. 18.60 lakhs, Rs. 53 lakhs, Rs. 25 lakhs and Rs. 9.10 lakhs respectively.

The Central Hindi Directorate is promoting sales of its publications through 8 wholesale agents and 90 retail agents and by participating in book fairs and exhibitions.

The National Book Trust has appointed sole distributors for sale and distribution of its books and is now arranging to appoint field representatives for this purpose.

The Sahitya Akademi has sale arrangements at its offices at New Delhi, Bombay, Calcutta and Madras, and it also utilises the services of Chief agents and book sellers to whom special discounts are offered. The Akademi proposes to organise book exhibitions and to advertise its publications with a view to sale promotion.

The Lalit Kala Akademi, apart from utilising the services of book sellers, participates in book fairs and exhibitions.

Failure of National Seeds Corporation to Supply Improved Varieties of Seeds

3451. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the National Seeds Corporation failed to supply improved varieties of seeds of wheat, Jowar and Maize to farmers according to their requirements ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number of the latest varieties of seeds of Wheat, Jowar, cotton and vegetables developed by the corporation so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b). The State Governments are primarily responsible for organising, production of improved seeds and their distribution to the farmers. All-India Seed Producing Organisations like the National Seeds Corporation, the State Farms Corporation of India and the Tarai Development Corporation also produce improved seeds of hybrids and high yielding varieties of various crops of all-India importance. Cooperative agencies and private seed producing organisations also undertake production of improved seeds. The programme of seed production of the National Seeds Corporation is based on indents received from State Governments and also on the assessment of requirements of seed made by the Corporation through their dealers and sale outlets throughout the country. There has been progressive increase in the quantities of wheat, jowar and maize seeds distributed by the Corporation as will be observed from the following table:—

Name of Seed	Year	Quantity distributed in quintals
Maize	1971-72	14476.39
	1972-73	24581.88
	1973-74 (upto Dec.)	7459.27

Name of Seed	Year	Quantity distributed in Quintals
Jowar	1971-72	1462.27
	1972-73	6985.27
	1973-74 (upto Dec).	3632.49
Wheat .	1971-72	46885.95
	1972-73	62071.35
	1973-74 (upto Dec,)	93084.57

(c) The Coporation arranges the multiplication of seed of varieties of crops of all-India importance developed by the Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Universities and other research organisations. At present, the Corporation handles 200 varieties of seeds of different crops like Hybrid Maize, Hybrid Sorghum, Hybrid Bajra, Paddy, Wheat, Oilseeds, Vegetables, Fodder etc.

एम०ए०सी०टी० भोपाल का कार्यकरण

3452. **श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल स्थित मौलाना आजाद कालेज आफ टेकनोलोजी के कार्यकरण में केन्द्रीय सरकार का कोई नियंत्रण है जबकि केन्द्रीय सरकार उनके 75 प्रतिशत बजट से अधिक का भुगतान कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल एक शासी मण्डल द्वारा प्रशासित है जिसमें 15 सदस्य हैं। मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज सोसाइटी की संस्था के ज्ञापन में की गई व्यवस्था के अनुसार इस मण्डल में केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि शामिल हैं। वित्त समिति कालेज के बजट प्रस्तावों की जांच करती है और शासी मण्डल को अपनी सिफारिशें पेश करती है। मण्डल की सिफारिश प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार उन प्रस्तावों की जांच करती हैं तथा कालेज के लिए बजट व्यवस्था करती है। मंत्रालय का क्षेत्रीय अधिकारी भी वित्त समिति का सदस्य है।

(ख) सोसायटी शासी मण्डल का गठन क्षेत्रीय इंजीनियरी कालजों को स्थापित किये जाने की अनुमोदित योजना के अनुसार है।

Distribution of Surplus Land

3453. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Jagnnathrao Joshi:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 657 on the 25th February, 1974 regarding surplus land available in States and state :

(a) the number of families among whom surplus land likely to be available, as a result of implementation of new ceiling laws, is to be distributed in each State and the period within which it is proposed to be distributed; and

(b) the percentage among them of Harijan families ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The extent of surplus land likely to be avialable as a result of the implementation of the land ceiling laws can be precisely ascertained only in course of their implementation. Yet some State Governments have furnished tentative estimates. They have furnished similar estimates of the number of beneficiaries likely to be assigned surplus land. A statement is attached. The actual number of beneficiaries will depend, apart from the availability of land, on the location of such land and the unit of land fixed per assignee. The percentage of likely beneficiaries belonging to the Harijan families cannot be ascertained at this stage. However, all the State laws and the rules framed thereunder accord high priority to the Harijan landless agricultural workers in the distribution of surplus land.

In the nature of things, implementation of land ceiling laws is a time-consuming process; the extent of time to be taken at every phase of the process cannot be foreseen. Therefore, it cannot be stated precisely what time would be needed in the distribution of surplus land.

Statement

State/Union Territory	No. of persons/ families
Bihar	2,50,000
Haryana	35,000
Madhya Pradesh	10,000
Maharashtra	50,000
Karnataka	80,000
Orissa	2,00,000
Tamilnadu	50,000 to 60,000
Uttar Pradesh	1,00,000
West Bengal	5,00,000
Delhi	1,500
Goa Daman & Diu	1,400

Setting up Nehru Memorial Agriculture College, Alirajpur, M.P.

3454. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the scheme to set up Nehru Memorial Agriculture College at Alirajpur, Jhabhu District in Madhya Pradesh was taken up long ago and if so, the progress made in this regard so far;

(b) whether the Maharaja of Alirajpur has intimated to the Central Government and the Government of Madhya Pradesh in writing of his decision to donate some land to the said institution; and

(c) if so, the time by which this scheme is likely to be completed and the cost involved in this Scheme ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c). Setting up Agricultural Colleges in States is the prerogative of the State Governments. The Central Government has no information with regard to the Nehru Memorial Agriculture College at Alirajpur, Jhabhua District, Madhya Pradesh.

कीटों तथा रोगों के कारण फसल को क्षति

3455. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या इस वर्ष कीटों तथा रोगों के कारण कृषि फसल को काफी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितनी क्षति हुई है तथा अनुमानतः कितने मूल्य की हानि हुई है;

(ग) क्या केरल में एक विशेष प्रकार की पीली मक्खियों ने फसल को काफी हानि पहुंचाई है; और

(घ) यदि हां, तो केरल तथा समूचे देश में इन कीटों को नष्ट करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) चालू कृषि वर्ष में बिहार, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कीटों तथा रोगों का प्रकोप महामारी के रूप में हुआ। कीटों अथवा रोगों से प्रभावित विभिन्न फसलों, अनुमानित प्रभावित क्षेत्र और क्षति के अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	कीट अथवा रोग का नाम	सूचित किया गया प्रभावित क्षेत्र (हैक्टर में)	कीट अथवा रोग के कारण अनुमानित क्षति
1	2	3	4
केरल	धान पर भूरा होपर	1,34,000	विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 75 प्रतिशत। संभाव्य हानि का परिमाण बता सकना संभव नहीं है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब	गन्ने पर पाईरिला	9,11,000	——
राजस्थान . .	गेहूं पर भूरा किट्ट	8,000	1200 एकड़ क्षेत्र में भारी क्षति।
बिहार	चने पर फली बेदक रोग	39,000	5 से 20 प्रतिशत तक।
महाराष्ट्र .	ज्वार पर मशकजातीय कीट	8,90,000	25 प्रतिशत तक।

केरल में फसलों पर पीली मक्खियों ने आक्रमण नहीं किया था।

कीटों तथा रोगों से फसलों की क्षति का मूल्यांकन करना अत्यधिक जटिल समस्या है और वित्तीय दृष्टि से या अन्यथा इनसे क्षति का पूरा या सही अनुमान लगा सकना कठिन है।

उपर्युक्त सभी मामलों में कीटों और रोगों की महामारी फैलने की सूचना मिलते ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों संयुक्त सर्वेक्षणों का प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के लिए और इन पर नियंत्रण पाने के लिए व्यवस्था की गई थी।

इन सर्वेक्षणों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन पर काबू पाने के उपाय शुरू किये गये थे।

गुजरात में अध्यापको द्वारा हड़ताल

3456. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के कालेजों और विश्वविद्यालयों में संबंधित लगभग 800 अध्यापकों ने 18 फरवरी, 1974 से कक्षाएं पढ़ानी शुरू कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने तथा शांतिपूर्ण जलूस निकालने और प्रदर्शन करने की मांग करते हुए 3 फरवरी, 1974 से हड़ताल कर दी थी;

(ग) क्या नवनिर्माण युवक समिति के इस निर्णय के कारण स्थिति और खराब हो गई है कि वे तब तक आन्दोलन जारी रखेंगे जब तक विधान सभा को भंग नहीं कर दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

गुजरात में हड़ताल के कारण परीक्षाओं का स्थगित किया जाना

3457. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आन्दोलन के कारण राज्य की सभी शैक्षिक संस्थाएं बन्द हैं तथा वहां सभी परिक्षाओं को भी स्थागित कर दिया गया है ;

(ख) शैक्षिक संस्थाओं के कार्य को सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) सभी वर्गों की परीक्षाएं कब होंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विश्वविद्यालय और कालेज बन्द है। जिन क्षेत्रों में आन्दोलन नहीं है उन क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खुले है। माध्यमिक स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा को अप्रैल 1974 के प्रथम सप्ताह तक स्थगित करना

पड़ा था । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा निर्धारित तिथि के अनुसार 12 मार्च, 1974 से शुरू है ।

(ख) और (ग) नवीनतम घटनाओं को देखते हुए यह आशा की जाती है कि शैक्षिक संस्थाएं फिर से सामान्य रूप से कार्य करना आरम्भ कर देंगी और परीक्षाएं यथा शीघ्र आयोजित की जाएंगी ।

पांचवीं योजना के दौरान समाज कल्याण योजनाएं

3458. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समाज कल्याण योजनाओं के लिए 230 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है ;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य आते हैं ;

(घ) गुजरात राज्य में कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में समाज कल्याण के लिए 229 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 200 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्रीय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के लिए है तथा 29 करोड़ रुपये की धनराशि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए है ।

(ख) कार्यक्रमों के शीर्षक तथा पंचवर्षीय योजना के मसौदे में उनके लिए आबंटन जो पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिए हैं, निम्नलिखित हैं :— (रुपये करोड़ की राशियों में)

क्रम सं०	केन्द्र	
1.	परिवार और बाल कल्याण परियोजनाएं	3.20
2.	बाल कल्याण	145.00
3.	महिला कल्याण	21.00
4.	विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	11.00
5.	योजना, अनुसंधान मूल्यांकन, मोनिटरिंग तथा प्रशिक्षण . . .	8.10
6.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान तथा बोर्ड के क्षेत्र संगठन को मजबूत करना	8.00
7.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान	3.50
8.	मद्य निषेध के लिए शिक्षा कार्य	0.20
	जोड़	200.00
	राज्य/संघ शासित क्षेत्र . . .	29.00
	जोड़	229.00

(ग) सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएंगे ।

(घ) राज्यों के लिए पांचवीं योजना के परिव्ययों के बारे में अंतिम निर्णय किया जा रहा है

महाराष्ट्र में बाजरा के खराब बीजों की बिक्री

3459. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री सतपाल कपूर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में की जा रही इस धोखेबाजी की ओर दिलाया गया है कि जो बाजरा के खराब संकर बीजों को बोरियों में बन्द करके उसे बेच रहे थे और उन बोरियों पर महाराष्ट्र सरकार की मुहर अंकित थी ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि तथा राज्यों में उसका उपयोग

3460. श्री विक्रम महाजन : क्या **कृषि** मंत्री भूमिगत जल संसाधनों के बारे में 19 नवम्बर, 1973 के आतारंकित प्रश्न संख्या 1021 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा, पंजाव उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में आवश्यकता से अधिक भूमिगत जल तथा भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकता से अधिक जल के उपयोग के लिये योजना बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं ; तो इस मामलें अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) जी हां अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई ।

विवरण

हरियाणा	पंजाब	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल
1	2	3	4
जींद तथा हिसार जिलों के कुछ भागो में अवभूमि जल का स्तर बढ रहा है ।	वर्ष 1966 के जल-स्तर में घटबढ़ होती रही है । वर्ष 1973-74 में 10,000 उथलें नल	जल स्तर के बढ़नें का ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है । जिससें पता चले कि भूमिगत जल	भूमिगत जल-स्तर के बढने के संबंध में कोई सूचना नही

1	2	3	4
अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐंजेंन्सी को ऋण विषयक परियोजना तथा अन्य योजनाओं के अतगर्त उथलें तथा गहरे नलकूप लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐंजेंसी की एक आवंतक रिपीएटर ऋण परियोजना विचाराधीन है ।	कूपों, 1,00,000 उथले नलकूपों तथा 2500 गहरें नलकूप लगाने की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।	की अत्यधिक उपलब्धि की सम्भावना है	मिली है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई सफाई मशीनों की लागत और कार्यकरण

3461. **श्री वयालार रवि :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने अपने प्रयोग के लिये कुछ सफाई मशीनें खरीदी हैं ;

(ख) यदि हां, तो खरीदी गई मशीनों की कुल लागत क्या है और देश के विभिन्न हिस्सों में इनमें से कितनी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) इसमें से कितनी मशीनें अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं और इनके अप्रयुक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 28 लाख रुपये की कीमत पर 817 सफाई मशीनें खरीदी हैं और देश के विभिन्न भागों में इन मशीनों का या तो अधिप्राप्ति के समय अथवा विजातीय पदार्थों, खरपतवार आदि निकालने के लिए प्रयोग हो रहा है । सफाई विषयक कार्य मौसमी होने के कारण इन मशीनों का जब कभी जरूरत होती है, प्रयोग किया जाता है ।

Annual Expenditure on Maintenance of Residence of Ministers

3462. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the amount of annual expenditure incurred on (i) building repairs,(ii) furniture, (iii) maintenance of Lawns, separately in the residence of each Minister during the last three years ?

The Minister State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Length of Pucca Roads on the Commencement of First Five Year Plan

3463. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the length of pucca roads per one lakh persons in each State ; and

(b) the figures in this regard at the commencement of the First Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) The information relating to the length of 'surfaced' roads under all agencies (the term 'Pucca' being not in use in the collection of road statistics) in Kilometres per lakh of population in each State as on 31st March, 1972 is as follows :

Andhra Pradesh	94
Assam	43
Bihar	69
Gujarat	81
Haryana	77
Himachal Pradesh	79
Jammu & Kashmir	118
Kerala	199
Karnataka	183
Madhya Pradesh	83
Maharashtra	88
Manipur	96
Meghalaya	88
Nagaland	186
Orissa	48
Punjab	107
Rajasthan	89
Tamil Nadu	125
Uttar Pradesh	40
Tripura	82
West Bengal	44
Union Territories	108
All India	85

(b) The comparative data for 31st March 1951 for the above States are not available. However, the information relating to the total 'surfaced' roads maintained by Public Works Department (including national highways) and maintained by Local bodies in respect of the then Part 'A', Part 'B' and Part 'C' States are given below:

Part 'A' States		Part 'B' States		Part 'C' States	
Andhra (Figs. included with Madras)					
Assam	24	Hyderabad	46	Ajmer	71
Bihar	13	Jammu & Kashmir	25	Bhopal	85
Bombay	56	Madhya Bharat	85	Coorg	270
Madhya Pradesh	49	Mysore	124	Delhi	25
Madras	75	PEPSU	22	Himachal Pradesh	9

Part 'A' States		Part 'B' States		Part 'C' States	
Orissa	29	Rajasthan	35	Kutch	8
Punjab	34	Saurashtra	74	Manipur	9
U.P.	26	Travancore		Tripura	24
West Bengal	23	Cochin	43	Vindhya Pradesh	49
		All India			

These figures do not include the Urban and other departmental roads whatever were in existence then under Electricity, Railways, Irrigation and Forest Departments as the relevant statistics are not available.

हल्दिया में शिपयार्ड

3464. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में हल्दिया में किसी शिपयार्ड को न स्थापित करने का निर्णय किया है यद्यपि नये शिपयार्डों के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अपने-अपने राज्यों में शिपयार्ड स्थापित करने के लिये विभिन्न समुद्रवर्ती राज्य सरकारों और विभिन्न स्थानों से सुझाव प्राप्त हुए । राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण स्थलों, (जिनमें हल्दिया भी शामिल है) का तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने तथा उन जहाजों की किस्में और आकार बनाने के लिये जिनका अनुशासित स्थलों पर लाभप्रदता से निर्माण किया जा सकता है के लिए एक तकनीकी आर्थिक कार्य दल बनाया गया । इस दल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और विचाराधीन है। देश में शिपयार्ड के निर्माणस्थल के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पुस्तकों के संबंध में विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष

3465. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के उपकुलपति की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों के अनुसार विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कम से कम 375 पुस्तकों में ऐसी सामग्री है जो राष्ट्रीय एकता के लिए अहितकर है ।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी हां ।

(ख) विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षित 1387 पुस्तकों में से 375 पुस्तकें ऐसी थी जिनमें राष्ट्रीय एकता के लिए अहितकर आपत्तिजनक सामग्री पायी गई थी इनमें से 25 पुस्तकें जुलाई, 1971 से स्कूल से हटाए जाने की सिफारिश की गई थी और 350 पुस्तकें ऐसी थी जिनमें अवतरणों, पंक्तियों अथवा शब्दों को जुलाई, 1972 तक या तो संशोधित करने की अथवा हटाए जाने की सिफारिश की गई थी।

राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रीय प्रशासनों से सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाही करने के लिए अनुरोध किया गया था । उन्होंने कुछ सिफारिशों पर कार्रवाई कर ली है, जबकि अन्यों पर कार्रवाई अभी उनके द्वारा की जानी है। जहां अभी तक कार्रवाई करनी बाकी है, उन राज्यों से कार्रवाई जल्दी करने के लिए कहा गया है ।

दूध में मिलावट करने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों की गिरफ्तारी

3466. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध में मिलावट करने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के कुछ अधिकारियों की गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी गति-विधियों के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना के किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया था । परन्तु पुलिस ने अप्रैल, 1973 में डिपो न० 268 में कार्य करने वाले दो डिपो एजेन्टों को दूध की बोतलों के ढक्कनों की अदला-बदली करने और टोन्ड दूध को मानकीकृत दूध के रूप में बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था । पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और दिल्ली दुग्ध योजना को अभी जांच के परिणाम नहीं बताये गये हैं ।

उड़ीसा में कृषि उद्योग निगम तथा कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना

3467. **श्री पी० गंगा देव :** क्या कृषि मंत्री 27 अगस्त, 1973 के अतारंकित प्रश्न सं० 4366 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) (क) जी हां ।

(ख) 27 अगस्त 1973 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4366 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के विषय में विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6453/74]**

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को स्वायत्तता

3468. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की साइंटिफिक एण्ड टैक्नीकल स्टाफ ऐसोसिएशन ने सरकार से इस संस्थान को स्वायत्तता दिये जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति द्वारा की गयी सिफारिशें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय और प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और देश में अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में प्रचलित पद्धति आदि पर सावधानी से विचार करने के बाद भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रशासकीय, वित्तीय और स्वायत्तता सम्बन्धी और अधिक अधिकार संस्थानों को सौंप दिये जाये, ताकि कार्यक्रमों और प्रायोजनाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा सके। उपरोक्त निर्णय की सीमा में, कार्यात्मक स्वायत्तता देने के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में कदम उठाए जा रहे हैं ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण

3469. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एन० शिवप्पा :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विकलांग व्यक्तियों को नौकरी के बिना बहुत दुःख उठाने पड़ते हैं;

(ख) क्या सरकार सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु कानून पुरः स्थापित करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या हाल ही में विकलांग कल्याण एसोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल ने उन्हें कोई ज्ञापन दिया था और यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई अवश्य होती है ।

(ख) अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

उर्वरक में मिलावट की जांच

3470. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या कृषि मंत्री अपमिश्रित उर्वरक के बोरों का पता लगाने के बारे में 17 दिसम्बर, 1973

तारांकित प्रश्न संख्या 504 के उत्तर में के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): (क) और (ख) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की पकड़ी गई 633 बोरियों में से डाई अमोनियम फास्फेट की 250 बोरियों में मिलावट पाई गई थी । इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है । यह भी सूचना मिली है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा प्लाटों के विकास की योजना

3471. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री भागीरथ भंवर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने लगभग 11 करोड़ रुपये के ऋण से प्लाटों के विकास के लिये कोई योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने प्लाटों का विकास किया जाएगा ;

(ग) क्या उड़ीसा में इन्ही प्लाटों का विकास किया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां । आवास तथा नगर विकास निगम ने सिखरपुर रिहायशी वास योजना के लिये 287.16 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें 1969 प्लाटों का विकास करने तथा 1500 फ्लैट/मकान बनाने की व्यवस्था है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूख से मुक्ति अभियान पर खर्च

3473. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ वर्षों से 'भूख से मुक्ति' अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है ;

(ख) इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष प्रचार और प्रकाशनों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ; और

(ग) क्या जिस उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है वास्तव में उन्हीं कार्यों पर धनराशि खर्च न कर के इस प्रकार के प्रचार और प्रकाशनों पर खर्च करना आवश्यक है ; और

(घ) सभी अनावश्यक खर्च को समाप्त करने के लिये क्याक र्यवाही किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषी संगठन ने भूख-मुक्ति अभियान को (जिसे अब भारतीय लोक विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया है) वर्ष 1960 में सारे विश्व में प्रारम्भ किया था। भारत में यह कार्यक्रम गत 14 वर्षों से चालू है।

(ख) इस अभियान के प्रचार तथा प्रसार पर नाममात्र रकम व्यय हुई है। गत 4 वर्षों के आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

वर्ष	परियोजनाओं पर व्यय राशि	प्रसार व प्रचार आदि पर व्यय राशि	प्रचार पर व्यय हुई राशि की प्रतिशतता
	लाख रुपये	लाख रुपये	प्रतिशत
1970	97.12	—	—
1971	84.29	0.11	0.13 प्रतिशत
1972	53.28	0.34	0.64 प्रतिशत
1973	52.45	0.30	0.57 प्रतिशत

(ग) हम महसूस करते हैं कि यह व्यय आवश्यक है। दान प्राप्त करने वाले संगठन का दायित्व है कि वह दानी एजेन्सियों, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा भारत तथा विदेश की जनता को यह सूचित करे कि विदेश से प्राप्त की गई सहायता का किस प्रकार से उपयोग किया गया है। प्रसार पर व्यय हुई तथा-कथित राशि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया के रूप में व्यय हुई है जिससे परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली स्वैच्छिक निकायों को अपने प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम डीघा, द्वारा घटिया गेहूं की सप्लाई के बारे में खाद्य तथा नागरिक संभरण निगम की ओर से शिकायत

3474. **श्री हरि किशोर सिंह**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीघा, पटना स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से बिहार के खाद्य तथा नागरीय सम्भरण निगम को 132 बोरी घटिया गेहूं सप्लाई किया गया था ;

(ख) क्या बिहार खाद्य तथा भारतीय नागरिक सम्भरण निगम ने इस बारे में विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका सार क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) राज्य खाद्य निगम, बिहार के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में एक मौखिक शिकायत की थी कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से घटिया गेहूं की 60 बोरियां 27 दिसम्बर, 1973 और 72 बोरियां 31 दिसम्बर, 1973 को दी गई थीं।

इसकी जांच की गई थी और यह मालूम हुआ कि ऐसा कोई घटिया गेहूं सप्लाई नहीं किया गया था।

Proposal for Rise in price of rice and wheat due to below target procurement

3475. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri D.P. Jadeja :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state whether Government are considering a hike in the prices of rice and wheat because of their below target procurement ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): The rice procurement has been satisfactory so far and Government is not considering any further increase in the procurement price of rice. The wheat procurement prices for the ensuing season will be fixed shortly in consultation with the State Governments.

Shortage of Dalda

3476. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the capital and the country as a whole are facing acute shortage of Dalda;

(b) if so, whether Government have ascertained the reasons for the shortage; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) : (a) to (c) Dalda is only one brand of vanaspati. The supply position of vanaspati as a whole, in Delhi and elsewhere in the country had become somewhat difficult due to reduced production in January, '74. Steps taken by Government to ensure smoother flow of oil from producing centres helped to restore a measure of normalcy since February. The position in Delhi may become difficult again if a major producing unit in Delhi closed recently does not resume working shortly.

Sale of Vegetable Ghee in Black Market from Super Bazar, Delhi

3477. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint about the sale of vegetable ghee in black market from Super Bazar, Delhi ; and

(b) if so, the quantum of Dalda received in the month of December in Super Bazar and the quantum distributed to public ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

However, during the month of December, 1973 the Super Bazar purchased 42.18 metric tonnes of vegetable ghee in packings of 1, 2 & 4 kg. and sold to the public at the retail price fixed by the Government. The directions issued by the Civil Supplies authorities of Delhi Administration in this regard have been followed by the Super Bazar.

Levy and Free Sale Sugar for February

3478. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Central Governmcnt fixed the quota of sugar for the month of February ;

(b) the quantity of sugar sold at controlled rates; and

(c) the quantity of sugar sold in the open market ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Out of the quota of 3.05 lakh tonnes fixed for February '74. 2 lakh tonnes of levy sugar was allotted to different States/Union Territories for sale through fair price shops at the uniform retail price of Rs. 2.15 per kg., and 1.05 lakh tonnes for sale in the open market.

मध्य प्रदेश में मछली पालन के विकास के लिये अधिक धनराशि दिये जाने की मांग

3479. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री गंगा चरण दीक्षित :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मछली पालन के विकास के लिये अधिक धन राशि नियत किये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रमों के लिये 1970.96 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। तथापि, वित्तीय बाधाओं के कारण इसे कम करके 1050 करोड़ रु० कर दिया गया था। तद्नुसार मछली पालन के विकास कार्यक्रमों का परिव्यय 5.10 करोड़ रु० से घटाकर 3.35 में करोड़ रु० कर दिया गया था। जहां तक 1974-75 की वार्षिक योजना का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने मछली पालन के विकास के लिये 63 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया था, जबकि इसके लिये 60 लाख रु० के परिव्यय की स्वीकृति दी गयी थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये वित्तीय नियतन में कटौती

3480. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री वीरेंद्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अगामी वित्तीय वर्ष में राज्यों को इस कार्य के लिये वित्तीय नियतन में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समिति की अब तक की क्या उपलब्धियां हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय प्लान का अनुमोदन कर दिया है तथा क्षेत्र की विस्तृत आयोजना तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति की नियुक्ति कर दी है।

पांचवीं योजना में वाणिज्य फसल पैदा करने के लिए अतिरिक्त क्षेत्र

3481. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री गजाधर साझी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं योजना के दौरान वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये और अधिक भूमि में बहु-फसली क्रम जारी रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो फसलवार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) बहु-फसली खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तिम रूप से लगभग 110 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र लाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बहु-फसली खेती कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में शुरु किया गया है ताकि भूमि और जल-स्रोतों के उचित और सक्षम प्रयोग, फसलों की अधिक उपज देने वाली तथा अल्प समय में तैयार होने वाली किस्मों के विकास और उर्वरकों तथा कीटनाशी दवाओं आदि जैसे कृषि आदानों के जरिए देश में कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। किसी विशेष क्षेत्र के लिये उपयुक्त समझे जाने वाले फसलों के क्रमों के बारे में अनुसंधान सम्बंधी उपलब्ध सूचना के आधार पर सिफारिशें की जाती हैं। फसलों के क्रमों में विभिन्न वाणिज्यिक, खाद्य, बागवानी संबंधी और चारा फसलें शामिल होती हैं। कपास, मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि जैसी वाणिज्यिक फसलें यथासम्भव सुझाये गये फसलों के क्रमों में शामिल की जायेंगी ताकि इन फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

लगभग 110 लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र का फसलवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

फसल	क्षेत्र (लाख हेक्टरों में)
चावल	15
गेहूं	20
मक्का	5
जवार	5
बाजरा	5
दालें	15
गन्ना	4
कपास	8
तिलहन	19
पटसन और मेस्ता	1
अन्य फसलें	12
कुल :—	109

अंधों, बहरों, विकलांगों तथा मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना

3482. क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अन्धों, बहरों तथा विकलांगो और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिये चार राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करने के बारे में योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) जी, हां। चार राष्ट्रीय संस्थानों, नेत्रहीन व्यक्तियों, बधिर व्यक्तियों, अपंग व्यक्तियों तथा मानसिक रुप से अविकसित व्यक्तियों के लिये एक-एक को विकसित करने का विचार है। इन संस्थानों में अनुसंधान, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, साहित्य को तैयार करने तथा राष्ट्रीय आवश्यकता की कुछ सेवाओं की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

मुरादाबाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिना छत के गोदामों को किराये पर लेना

3483. **श्री इसहाक संभली**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में भारतीय खाद्य निगम ने कितने खुले गोदाम किराये पर लिये, और प्रत्येक गोदाम का किराया क्या है;

(ख) क्या कुछ गोदामों में रखा गया अन्न खराब हो गया तथा खाये जाने योग्य नहीं रहा;

(ग) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है; और

(घ) क्या किराये पर लिये गये सभी गोदामों का ठीक प्रकार से उपयोग किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में निम्न लिखित मासिक किराये पर सात गोदाम किराये पर लिये हैं:—

(1) 1428.00 रु०
(2) 1344.00 रु०
(3) 1102.43 रु०
(4) 504.00 रु०
(5) 168.00 रु०
(6) 105.00 रु०
(7) 35.00 रु०

(ख) जी हां।

(ग) 306.2 मीटरी टन।

(घ) भण्डारण क्षमता की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और केवल ऐसी ही किराये की क्षमता रखी जाती है जिसकी स्टाक के भण्डारण के लिये आवश्यकता होती है।

उत्तर प्रदेश के नैनीताल में किराये पर लिये गये बिना छत के गोदाम

3484. **श्री इसहाक संभली :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के नैनीताल ज़िले में बिना छत के कुछ गोदाम किराये पर लिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गोदाम का किराया क्या है;

(ग) क्या मझौली गोदाम में रखा गया खाद्यान्न खराब हो गया तथा खाने योग्य नहीं रहा; और

(घ) यदि हां, तो कितना खाद्यान्न खराब हो गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने नैनीताल ज़िला (उ० प्र०) में 5040/– रुपये और 1200/– रुपये के मासिक किराये पर गोदाम किराये पर लिये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 273.3 मीटरी टन।

Inconvenience caused to public while travelling in private buses operating under D.T.C.

3485. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether all the private buses operating under the D.T.C. have very low ceilings and narrow doors as a result of which passengers are greatly inconvenienced; and

(b) if so, whether Government are taking remedial steps in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) & (b) No Sir. The Delhi Transport Corporation started hiring private buses (contract carriages) from the year 1964. In the initial stages, the vehicles made available by the private operators had a ceilings of less than 6 ft. height. Subsequently, it became necessary for the Corporation to engage a larger number of private buses. It was then decided that only buses with 6 ft. height should be taken on hire. The position, therefore, is that private buses engaged upto the end of 1968 have a ceiling height of less than 6 ft. from the floor level. Barring a few, all the buses engaged during 1969 and subsequent years have a head room of more that 6 ft.

दिल्ली में पोलिटैक्नीक संस्थानों का पुनर्गठन

3486. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में व्यावसायिक तथा सामान्य शिक्षा प्रदान करने हेतु पोलीटेकनीक संस्थानों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है तथा इस बारे में योजना को अंतिम मंजूरी कब तक दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) दिल्ली प्रशासन, पोलीटैक्निकों और दूसरी तकनीकी संस्थानों में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी प्रस्तावित कार्यक्रम को यथा आवश्यक रूप से लागू करने के लिये प्रयोग किये जा रहे विद्यमान सुविधाओं के औचित्य की जांच कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में मूंगफली के लिये फसल बीमा योजना

3487. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघु नंदन लाल भाटिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम, सौराष्ट्र (गुजरात) में आगामी पंप फसल से मूंगफली पर एक मार्गदर्शी फसल बीमा योजना को लागू करने की सम्भावना का पता लगा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों में भी ऐसी मार्गदर्शी योजनाओं को तैयार करने के बारे में भी प्रयास किये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। सामान्य बीमा निगम जूनागढ़ में मूंगफली के लिये फसल बीमा की एक मार्गदर्शी योजना शुरु करने की सम्भावना का पता लगा रहा है।

(ख) भारत सरकार और सामान्य बीमा निगम ने गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में एच-4 कपास के लिये लागू फसल बीमा योजना के आधार पर चुने हुये क्षेत्रों में कुछ चुनी हुई फसलों के लिये मार्गदर्शी योजनाएं शुरू करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है। राज्य सरकारों से फसलों और इनके लिये समुचित क्षेत्रों का चयन करने का अनुरोध किया गया है, जिससे कि ऐसी मार्गदर्शी योजना शुरू की जा सके। साथ ही ऐसी सहयोग देने वाली एजेंसियों का पता लगाने के लिये भी उन्हें कहा गया है, जोकि विकास के लिये आवश्यक आधार की व्यवस्था करने में मदद दे सके।

गेहूं की नई किस्म के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और रूसी वैज्ञानिकों के बीच वार्ता

3488. **श्री डी० डी० देसाई**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों के बीच कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वार्ता के दौरान गेहूं की नई किस्म का पता लगाने पर विचार-विमर्श हुआ था; और

(ग) वार्ता में अन्य किन-किन विषयों पर विचार किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली में 11 दिसम्बर, 1973 से 12 दिसम्बर, 1973 तक गेहूं की छोटे तने वाली किस्मों के चयन के तरीकों पर भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों के बीच एक गोष्ठी हुई थी। इस गोष्ठी में रूस के पांच और भारत के 20 वैज्ञानिक उपस्थित थे।

(ग) गोष्ठी में भाग लेने वाले भारतीय और रूसी गेहूं वैज्ञानिकों ने भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों के बीच और आगे सहयोग देने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गयीं:—

(i) दोनों देशों के बीच गेहूं-अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिये गेहूं के जर्म-प्लाज्म की अदला-बदली दोनों देशों के बीच की जानी चाहिये।

(ii) दोनों देशों के वैज्ञानिकों को एक-दूसरे देश के अनुसंधान केन्द्रों पर जाकर परीक्षण-प्लाटों का निरीक्षण करना चाहिये। ऐसा करने से नयी किस्मों के लिये सामग्री का चयन करने में वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। रूस में छांटी गयी सामग्री को भारत में और भारत में छांटी गयी सामग्री को रूस में उगाया जायेगा।

(iii) कुछ बीमारियों की समस्याएं दोनों देशों में एक जैसी हैं: दोनों देशों में किस्मों के आनुवंशिक प्रतिरोध संबंधी जानकारी के लिये यह सुझाव दिया गया कि दोनों देशों में पौध रोग विज्ञान संबंधी पौदशालाएं होनी चाहिये।

(iv) भारत और रूस के बीच गेहूं की सूखा रोधी किस्मों के विकास के लिये एक प्रायोजना शुरू की जायेगी। रोग भविष्यवाणी पद्धति, जोकि भारत में विकसित की जा रही है, बहुत ही लाभदायक है। इस पर भी भारत और रूस के बीच संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया जायेगा।

कोयले की कमी के कारण कुछ राज्यों में चीनी की मिलों का बंद होना

3489. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री निहार लास्कर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चीनी मिलें बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सचाई है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोयले की सप्लाई में राज्यों की सहायता करने के लिये सबंद्ध मंत्रालयों से इस मामलों पर बातचीत की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) कोयले की कमी के बारे में बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के चीनी कारखानों से सूचना प्राप्त हुई है । लेकिन कारखानों के अनिवार्य रूप से बन्द होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जब कभी कोयले की कमी के बारे में सूचना प्राप्त होती है, उस मामले को कोयला नियंत्रक, कलकत्ता और रेलवे बोर्ड के साथ उठाया जाता है ताकि कोयले की खानों से चीनी कारखानों को कोयले की बैगनें नियमित रूप से भेजी जा सकें।

हिमालय की घाटी में टेपिओका की खेती

3490. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री वी० मायावन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और तमिलनाडु में व्यापक रूप से उगायी जाने वाली ट्यूबर फसल, टेपिओका की खेती बाह्य हिमालय के घाटी क्षेत्र में बहुत सफलतापूर्वक की गई है;

(ख) क्या इससे काफी विदेशी मुद्रा कमायी जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके उत्पादन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) टेपिओका की खेती प्रायः केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में होती है जहां अच्छी उपज के लिये भूमि तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियां बहुत ही उपयुक्त हैं। बाह्य हिमालय के घाटी क्षेत्र में इस फसल की उपयुक्तता के बारे में कोई प्रयोगात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि टेपिओका, कुछ उत्तरी पूर्वी निचान वाले पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में आवास स्थलों में उगाया जाता है।

(ख) टेपिओका और उसके उत्पादों के गत दो वर्षों के निर्यात संबंधी आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	1971-72		1972-73	
	मात्रा (कि० ग्राम में)	मूल्य (रु० में)	मात्रा (कि० ग्राम में)	मूल्य (रु० में)
टेपिओका तथा सागो तथा उसके प्रतिस्थानी .	27184	47325	5813	11431
टेपिओका क्रूड चिप्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं	465	655
टेपिओका आटा	37	70	10000	9500
कुल कीमत .		47,395		21,586

(ग) राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत टेपिओका विकास का कार्यक्रम शुरू कर रही है। केरल में पैकेज कार्यक्रम के रूप में टेपिओका खेत का एक सघन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की क्षेत्र प्रदर्शनों, पौध सामग्री के वितरण तथा सहकारी समितियों से प्राप्त होने वाले अल्प-कालीन ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की जायेगी।

त्रिवेंद्रम का एक सुसज्जित केन्द्रीय ट्यूबर फसल अनुसंधान संस्थान टेपिओका के सुधार के लिये अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त ट्यूबर फसलों और विशेषरूप से टेपिओका की फसलों की उत्पादकता को सुधारने के लिये बहुमुखी अनुसंधान के प्रोत्साहन हेतु देश के विभिन्न कृषि-जलवायु संबंधी क्षेत्रों तथा राजेन्द्रनगर (हैदराबाद), कोइम्बेटूर (तमिलनाडु), जोरहार (असम) और धोली (बिहार) में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रायोजित ट्यूबर फसलों (आलू को छोड़कर), के संबंध में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना भी चलाई जा रही है।

मानव जाति की प्रगति में गेहूं के योगदान के बारे में गोष्ठी

3491. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव जाति की प्रगति में गेहूं के योगदान के बारे में 19 फरवरी, 1974 को नई दिल्ली में गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकाले गये; और

(ग) इस चर्चा में कितने विशेषज्ञों ने भाग लिया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी जाती हैं।

(ग) 186 प्रतिनिधियों ने गोष्ठी में भाग लिया था।

विवरण

गोष्ठी में प्रस्तावित मुख्य-मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें

(1) एक लम्बे अर्से तक हरितक्रान्ति का प्रभाव बनाए रखने के लिये उपज की दर में वृद्धि करने पर बराबर बल देना।

(2) देश में अनुकूलतम फसली तरीके का विकास और परिवर्तनशील जलवायु तथा भूमि स्थिति के लिये उपयुक्त किस्मों का विकास।

(3) खरपतवार और कीट नियंत्रण के लिये प्रयत्न तेज करना और उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था करना।

(4) उपलब्ध ज्ञान और सुविधाओं का उचित दिशा में प्रयोग और उसका समन्वय करना और बिभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध संबंधी प्रथाओं को लागू करना।

(5) विधायन तकनीकों में अनुसंधान तथा उनके विकास के माध्यम से निर्यात सम्भाव्य का अधिकतम उपयोग तथा उसका विकास।

साहित्य अकादमी द्वारा वाचनालय का बंद किया जाना

3492. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी अपने वाचनालय को बन्द करने पर विचार कर रही है

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी कि बहुत से पाठक वहां बहुत सी पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और सभी भारतीय भाषाओं की उपयोगी पुस्तकें पढ़ कर लाभ उठाते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण

3493. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री चन्द्रवाल मनी तिवारी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे देश के लिये शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षणों के समन्वित करने के लिये 'एवेक्स दल' का स्वरूप क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन से हैं; और

(घ) इस सर्वेक्षण के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) योजना तैयार करने हेतु 31 दिसम्बर, 1973 को विद्यमान सभी शिक्षा संस्थाओं के लिये आवश्यक सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना,

(2) सभी प्रकार की वर्तमान शैक्षिक संस्थाओं (पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक व व्यावसायिक स्कूल, अवर-स्नातक तथा उत्तर स्नातक कालेज, अनुसंधान संस्थाएं इत्यादि) का सभी आवश्यक दृष्टिकोणों से अर्थात् स्थान निर्धारण शामिल क्षेत्र नामांकन (लिंग,

आयु अनुसूचित जातियों तथा कबीलों श्रेणियों संकायों इत्यादि के अनुसार) नौसिखियों की पहली पीढी कर्मचारियों, भवनों तथा सुविधाओं इत्यादि सहित छात्रों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण करना ;

(3) सभी विशिष्ठ निवास स्थानों को मालूम करना तथा उनकी गणना करना और प्राइमरी मिडिल व माध्यमिक स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थाओं के स्थान हेतु प्रस्ताव तैयार करना;

(4) शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बारे में ब्लाक तथा जिले स्तरों पर शैक्षिक विकास की क्षेत्रीय असंतुलनों को मालूम करना;

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति है। विवरण संलग्न है जिसमें उक्त समिति का गठन दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6454/74]**

(घ) फरवरी, 1975 के अन्त तक।

तटवर्ती नौवहन संभरक के माल के परिवहन के लिये समन्वित कार्यक्रम

3494. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मात्रा में कोयले, सीमेंट और नमक जैसे सामान के परिवहन के लिये तटवर्ती नौवहन और रेलवे ने कोई समन्वित कार्यक्रम बनाया है, और;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 में तटवर्ती नौवहन के लिये कितनी माल निर्धारित किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) खुले माल वाहकों के वहन के लिये रेलवे और तटीय नौवहन के बीच समन्वय के प्रश्न की नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल जांच कर रहा है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट व्यक्तियों को उनके भवनों से फ्लैटों में भेजा जाना

3495. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों को उनके भवनों से फ्लैटों में भेजने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यह कार्यक्रम कितनी अवधि में लागू हो जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) जी, नहीं। नई दिल्ली में भविष्य में बहु-मंजिले भवनों का निर्माण किया जायेगा जिनमें

फ्लैट टाइप वासस्थान होंगे। वर्तमान वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों के कारण नये निर्माण कार्यक्रम को शीघ्र आरम्भ करने की कोई संभावना नहीं है।

राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारतीय खिलाड़ीदल के साथ जाने के लिए डाक्टर का चयन

3496. **श्री सोमनाथ चटर्जी:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1974 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में हुए राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारतीय दल के साथ जाने के लिए चुने गये डाक्टर का नाम अन्तिम समय पर बदला गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त परिवर्तन अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के इस निर्णय के विपरीत था कि खिलाड़ी दल के सदस्यों के नामों की सरकारी सूची में परिवर्तन के लिए अनुमति न दी जाये; और

(घ) क्या इस परिवर्तन के लिए सरकार की अनुमति ली गई थी और यदि हां, तो उक्त अनुमति देने के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम):

(क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रिस्टचर्च में जनवरी-फरवरी, 1974 में आयोजित राष्ट्रमंडलीय खेलों में भाग लेने के लिए अनुमोदित 29 सदस्यीय दल में एक चिकित्सा अधिकारी शामिल था। सिवाय इसके कि जब कोई अनुमोदित सदस्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दल का साथ देने में समर्थ न हो, साधारणतः दलों के अनुमोदित सदस्यों में परिवर्तन करने की कोई अनुमति नहीं होती। भारतीय औलम्पिक संघ ने, जिसने इस दल को प्रायोजित किया था, 16 फरवरी, 1974 की संध्या को जब इस दल ने वास्तविक तौर पर भारत से क्रिस्टचर्च के लिए रवाना होना था, इस मंत्रालय को इस आशय की सूचना दी कि पहले से अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी क्रिस्टचर्च जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह अपना हवाई यात्रा भाड़ा और क्रिस्टचर्च में भोजन तथा आवास सम्बन्धी खर्च अदा नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार केवल 20 खिलाड़ियों और इस दल के नेता (चीफ डे मिशन) के हवाई यात्रा भाड़े के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत थी और भारतीय औलम्पिक संघ द्वारा चिकित्सा अधिकारी सहित उक्त दल के बाकी आठ सदस्यों के लिए धन के प्रबन्ध करने की आशा थी। क्योंकि अखिल भारतीय खेल द्वारा खिलाड़ियों के हित में इस दल में एक चिकित्सा अधिकारी का शामिल होना जरूरी समझा गया था, अतः चुने गये चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर प्रायोजक अर्थात् भारतीय औलम्पिक संघ द्वारा सुझाए गए एक अन्य अर्हता प्राप्त डाक्टर (चिकित्सक) को शामिल करने की अनमति इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी थी।

Development of Cities According to Master Plan

3497. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the decisions taken by Government at Central level to ensure that decent and good looking houses are constructed in the country and the cities are developed according to the provisions of Master Plans;

(b) when and where these decisions were taken; and

(c) whether Government have made model bye-laws on the basis of which State Government may frame bye-laws or rules for their States so that the cities are developed in a systematic way and the houses are built in accordance with the model bye-laws?

The Minister of State in the Department of Parliament Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) The subject of Urban Development being in State sector, the Central Government acts in an advisory capacity. The State Governments have been requested to develop urban areas on the basis of master plans and have also been advised to enact comprehensive town and country planning legislation.

(c) The National Building Code prepared by the Indian Standard Institution covers all aspects of building bye-laws and has been circulated to the State Governments for adoption.

Celebration of Teachers Day

3498. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the date since when Teachers' Day is being celebrated in the country, the object of its celebration and the amount of expenditure incurred on its celebration during 1971, 1972 and 1973; and

(b) the amount received by the National Foundation for Teachers Welfare during each of these years and the amount of expenditure incurred by it during these years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) The Teachers' Day is being celebrated on 5th September each year since 1962. The main object of the celebration is to honour the teachers. The amount of expenditure incurred by the Central Government on its celebration is as follows :—

1970-71	Rs.34,468.00
1971-72	Rs.30,076.00
1972-73	Rs.26.043.00

(b) The amount received by National Foundation for Teachers' Welfare and the amount expended by it are as follows :—

	Amount Received (Rs.)	Amount Expended (Rs.)
1970-71	60,94,046*	26,72,096@
1971-72	56,04,763*	23,45,789@
1972-73	50,81,771*	23,94,327@ (Provisional)

* Includes collections from the Public, Contributions from State/Union Territories and interest from investments.

@ Unspent balances are credited to the Corpus Fund of the Foundation which stands now at about Rs.3 crores. The targetted amount of the Corpus is Rs. 5 crores.

राजस्थान में कृषि कार्यक्रम पर बिजली की कमी का प्रभाव

3499. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली की अत्यधिक कमी के कारण हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्थिति कब तक सुधर जायेगी ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) राजस्थान में बिजली की कमी नहीं है। तथापि, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जहां बिजली की कमी है, औद्योगिक यूनिटों को बिजली की सप्लाई में कटौती की गई है और कृषि कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई नियमित की गई है ताकि कृषि उत्पादन पर कम से कम प्रतिकूल असर पड़े।

(ख) और (ग) गोबिन्दसागर झील में अधिक जल आ जाने से वर्षा कालीन महीनों के दौरान भाखड़ा से विद्युत-शक्ति की उपलब्धि में काफी सुधार होने की आशा है। इससे उत्तरी क्षेत्र में बिजली की स्थिति में सुधार हो जायेगा। इसके अलावा यह भी आशा है कि बिजली पैदा करने वाली योजनाओं की बिजली पैदा करने की क्षमता बढ़ने से इस क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने की स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा।

बड़े नगरों में गन्दी बस्तियां हटाने के लिये सहायता

3500. श्रीमती रोजा देशपांडे: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों की गंदी बस्तियां हटाने के लिए गत दो वर्षों में धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों विशेषकर बम्बई और बृहत्त बम्बई के लोगों को मकान बनाने के लिए कितना अनुदान दिया था ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र में है तथा उक्त तारीख से योजना के लिए सीधे तौर पर कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। किन्तु, राज्य सरकारें, केन्द्र द्वारा दिये गये समेकित ऋणों व समेकित अनुदानों को विभिन्न योजनाओं के लिए अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पश्चिम बंगाल के आदिवासी किसानों को राज्य सहायता

3501. श्री एस० एन० सिंह देव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आदिवासी किसानों को राज सहायता दी जाती है;

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में कुल कितनी धनराशि दी गई है और कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या ऐसे गैर-आदिवासी किसानों को गाय, बैल आदि खरीदने के लिए राज सहायता देने की कोई व्यवस्था है जिनके पास 10 एकड़ से कम भूमि है; और

(घ) इसको अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पश्चिम बंगाल में एकमात्र खेतिहर आदिवासियों को उपदान देने की कोई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की लघु कृषक विकास अभिकरण की योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, हुगली और पश्चिम दीनाजपुर के जिलों में स्थित परियोजनाओं और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक योजना के अन्तर्गत पुरुलिया तथा बांकुरा के जिलों में स्थित परियोजनाओं में भाग लेने के लिए चुने गये व्यक्तियों को क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 33-1/3 प्रतिशत की दर से उपदान दिया जा रहा है लघु कृषक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत 2.5 से 5 एकड़ की जोतों वाले भाग लेने के लिए चुने गये व्यक्तियों को दुधारू पशु खरीदने के लिए उपदान दिया जा रहा है; और सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक योजना के अन्तर्गत 2.5 एकड़ से कम की जोतों वाले भाग लेने के लिए चुने गये व्यक्तियों को दुधारू पशु तथा हल जोतने के बैल खरीदने के लिए उपदान दिया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत बनाये गये बांध

3502. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कितने बांध बनाये हैं, कितने बांध तैयार हो गये हैं और वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इन बांधों से कितनी भूमि की सिंचाई हुई ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में सिंचित भूमि से कितना उत्पादन प्राप्त हुआ;

(ग) निर्माणाधीन बांधों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और उसके लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) कितने अतिरिक्त बांध बनाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई पर व्यय

3503. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है और क्रियान्वित की जाने वाली योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उसकी कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत 30.34 करोड़ रुपये, वर्ष 1970-71 के दौरान विशेष लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत 1.70 करोड़ रुपये, वर्ष 1972-73 के दौरान आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 करोड़ रुपये और वर्ष 1973-74 के दौरान स्टेट प्लान से बाहर विशेष योजनाओं के अन्तर्गत 7.2 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी थी इनकी तुलना में प्रत्याशित व्यय के तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 30.70 करोड़ रुपये, 1.70 करोड़ रुपये, 14.33 करोड़ रुपये तथा 7.2 करोड़ रुपये हैं।

इसके अतिरिक्त, नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1969-70 से 1971-72 तक की अवधि के दौरान 2.3 करोड़ रुपये का संस्थागत विनियोजन भी उपलब्ध किया गया था।

पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई योजनाओं में मुख्यतः (1) गहरे नलकूप (2) उथले-नलकूप (3) खुदाई के कुएं, (4) नदी उठाउ--सिंचाई योजनाएं, (5) हौज सिंचाई (6) छोटी सिंचाई योजनाएं (7) सतही तथा भूमिगत जल योजनाओं का अन्वेषण, और (8) लघु जल निकासी योजनाएं शामिल हैं। वर्ष 1968-69 में लघु सिंचाई योजनाओं से 7.75 लाख हैक्टर क्षेत्र की सिंचाई होती थी। वर्ष 1973-74 के अंत तक लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचित होने वाला क्षेत्र 11.00 लाख हैक्टर तक पहुंच जायेगा।

नौकरी करने वाली महिलाओं के बारे में सर्वेक्षण

3504. **मौलाना इस्हाक संभली** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि, उद्योगों, अध्यापन, चाय-बागान शाप असिस्टेंट तथा कार्यालयों में लिपिक के रूप में काम करने वाली महिलाओं की काम संबंधी स्थिति का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी व्यवसायार संख्या कितनी है और उनमें कितनी महिलाएं हरिजन हैं ; और

(ग) देश में हरिजन महिलाओं की कुल संख्या कितनी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो द्वारा जो थोड़े से सर्वेक्षण किये गये हैं; उनके अन्तर्गत उल्लिखित व्यवसायों में से केवल कुछ ही आते हैं। इन सर्वेक्षणों में पुरुष और स्त्री कामगरों के लिए इकट्ठे परिणाम दिये गए हैं। उसके अतिरक्त उनमें हरिजन स्त्रियों के लिए अलग आंकड़े नहीं हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बद्ध समिति विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों में नौकरी पेशा स्त्रियों की समस्याओं का अध्ययन कर रही है। आशा है कि उसकी रिपोर्ट अक्तूबर, 1974 तक प्राप्त हो जायेगी।

(ग) 1971 की जनगणना में अस्थाई आंकड़ों के अनुसार 3,86,57,861.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनकपुरी में समान दर पर पानी के शुल्क की वसूली

3505. **श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण जनकपुरी में 150 वर्ग गज या इससे अधिक के प्लाटों पर बने बड़े मकानों और 80 वर्ग गज पर बने बनाये एक-मंजिले मकानों से 5 रुपये प्रति मास की समान दर से पानी का शुल्क वसूल कर रहा है जबकि बड़े मकानों में बने-बनाये छोटे फ्लैटों की तुलना में स्पष्टत: पानी का अधिक उपयोग होता है और उनमें नल भी अधिक लगे हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) पानी के मीटर न होने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि 150 वर्गगज के प्लाटों पर बनाये गये मकानों में पानी की खपत अधिक होगी अथवा 80 वर्गगज के प्लाटों के बने-बनाये एक मंजिले मकानों की अपेक्षा अधिक होगी। अत: यह कहना सही नहीं है कि जल-प्रभारों के रूप में वसूल की जाने वाली 5 रुपये प्रति माह की दर में भेद-भाव है क्योंकि पानी की खपत कई कारणों पर निर्भर करती है जिसमें परिवार का आकार तथा पानी की प्रति व्यक्ति वास्तविक खपत शामिल है।

अपने स्वयं के मकान वाले सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करना

3506. **श्री बी० एस० मूर्ति :**
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी जिन्होंने सरकार से सहायता लेकर मकान बना रखे हैं, अथवा जिनके अपने मकान हैं, सरकारी क्वार्टर आलाट किये गये हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और सरकारी क्वार्टर खाली करने के लिये उन्हें कितना समय दिया गया है ; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके पास सरकारी क्वार्टर हैं और क्वार्टर चाहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) मौजूदा आदेशों के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों के पास उनकी नियुक्ति के स्थान पर अपने मकान हैं वे सरकारी वास स्थान के पात्र हैं। इस नीति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से की जा रही है।

(ग) 40,904 सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल बास दिया जा चुका है तथा परितुष्टि की प्रतिशतता लगभग 41.4 है।

संस्कृत के छात्रों को आर्थिक सहायता का बन्द किया जाना

3507. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धनता की स्थिति में संस्कृत विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने संबंधी योजना के अधीन भुगतान बन्द कर दिया गया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार योजना को पुनः शुरू करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी नहीं।

(ख) इस योजना को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जा रहा है।

पांचवीं योजना में गुजरात राज्य में पत्तनों का विकास

3508. **श्री अरविंद एम० पटेल :**
[श्री वेकारिया :]

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के उन पत्तनों का नाम क्या है जिनका पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विकास किया जायेगा, और

(ख) प्रत्येक पत्तन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित छोटे पत्तन योजना के लिए पांचवीं योजना में की गई व्यवस्था के केवल आगे लाई गई योजनाओं तक ही सीमित रहने की संभावना है और नई योजनाओं के लिए किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है। संबंधित राज्य सरकार को छोटे पत्तनों से संबंधित किसी नई योजना के लिए राज्य योजना के भाग के रूप में व्यवस्था करनी होगी।

2. पोरबन्दर जिसका विकास केन्द्रीय तत्वाधान में चतुर्थ योजना के दौरान किया जा रहा है, को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आगे लाई गई योजना के रूप मे किया जायेगा। पोरबन्दर के लिए निर्धारित रकम का फैसला, योजना आयोग के परामर्श से किया जायेगा।

पांचवीं योजना के दौरान कृषि सेवा केन्द्र तथा बेरोजगार इंजीनियरों को लाभ

3509. **श्री अरविंद एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान कृषि सेवा केन्द्रों का लक्ष्य क्या है;

(ख) उक्त योजना में कितने बेरोजगार इंजीनियरों को लाभ होगा; और

(ग) कितने कृषि-कार्यों को लाभ होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 2,500 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) इस योजना के अनुसार बेरोजगार इंजीनियरी स्नातक, इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी और कृषि स्नातक कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिये पात्र हैं: इस योजना को ऐसे भूतपूर्व सैनिकों पर भी लागू किया गया है जिनका इसी प्रकार के या सम्बद्ध क्षेत्रों में समुचित अनुभव है। इससे उपर्युक्त वर्गों के 2,500 उद्यमियों को लाभ पहुंचेगा।

(ग) अनुमान है कि 2,500 कृषि सेवा केन्द्रों के भाड़े पर यंत्र देने वाले यूनिटों से कृषि-कार्यों के लिये 1350 लाख अतिरिक्त घंटों के लिये ट्रैक्टर सेवा उपलब्ध हो सकेगा।

गुजरात में स्टीमर यात्री सेवा

3510. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री डी०पी० जदेजा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात राज्य में स्टीमर यात्री सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद वसूली नीति में परिवर्तन

3511. **श्री मधु दंडवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बाद केन्द्रीय सरकार ने अपनी वसूली नीति में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) वसूली नीति पर विचार करने के लिये फरवरी, 1974 में मुख्य मंत्रियों का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डीज़ल और बिजली की कमी तथा वर्षा न होने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में रबी की फसल का खराब होना

3012. **श्री विभूति मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खराब रबी फसल की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में भी रबी की फसल की वही स्थिति है जैसी उत्तर प्रदेश में है;

(ग) क्या दोनों राज्यों में शीत ऋतु की वर्षा नहीं हुई और डीज़ल तथा बिजली की सप्लाई में कमी के कारण भूमि की सिंचाई नहीं की जा सकी; और

(घ) डीज़ल और बिजली आदि की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पो० शिंदे) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों में रबी फसल के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं तथापि, चालू वर्ष के दौरान रबी का उत्पादन कई बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि बुआई के समय भूमि में नमी की स्थिति अनुकूल होना, जनवरी-फरवरी, 1974 में वर्षा की कमी कुल मिलाकर उर्वरकों की कमी और विभिन्न राज्यों में फसल मौसम के शेष भाग में मौसमी परिस्थितियां।

(ग) तथा (घ) इन दोनों राज्यों से कृषि कार्यों के लिये डीज़ल की कमी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय डीज़ल की उपलब्धि बढ़ाने के लिये कदम उठा रहा है और राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे वितरण प्रणाली पर कड़ी निगाह रखें, ताकि किसानों को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।

डी० आई० जेड० एरिया नई दिल्ली दुग्ध केन्द्रों का कार्यक्रम

3513. **श्री शशि भूषण**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में बहु मंजिले फ्लैटों के निकट डी० आई० जेड० क्षेत्र में दो दुग्ध केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) क्या इन दुग्ध केन्द्रों में केवल प्रातः काल दूध बांटा जाता है; और

(ग) इन दो दुग्ध केन्द्रों को शाम के समय खोलने का कब तक विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना नये दुग्ध बूथ तभी खोलती है जबकि एक पारी में 300 से अधिक बोतलें बिकने की आशा होती है। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा लिये गये जायजे के अनुसार सांयकाल की पारी में इतनी बिक्री होने की संभावना नहीं है कि डी० आई० जेड० क्षेत्र में दोपहर बाद के लिए एक डिपो खोलने का औचित्य हो।

मंदिर मार्ग, नई दिल्ली पर पेट्रोल पम्प का निर्माण

3514. **श्री शशि भूषण**: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के टाइप II और टाइप III के बहुमंजिले क्वार्टरों के बीच मूलत: पार्क के लिए नियत स्थान पर एक पेट्रोल पम्प लगाने के लिए अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को समाप्त कर देने का इस बीच निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) संबंधित स्थल, डी० आई० जेड० क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास योजना में पेट्रोल पम्प के लिए उद्दिष्ट है तथा उसे उस प्रयोजन हेतु आवंटित किया जा चुका है।

पाला पड़ने और वर्षा न होने के कारण गेहूं की फसल को हानि

3515. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में अत्यधिक सर्दी पड़ने और वर्षा न होने के कारण गेहूं की फसल का बढ़ना बन्द हो गया है;

(ख) क्या जिला प्राधिकारियों/संबंधित प्राधिकारियों ने सही क्षेत्र बताया है जिस में अत्यधिक सर्दी पड़ने और वर्षा न होने के कारण गेहूं की फसल को हानि पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो चालू रबी फसल में कुल कितने क्षेत्र में गेहूं की फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): (क) से (ग) उत्तर पश्चिम राज्यों में बिना सिंचाई के गेहूं की फसल के बढ़ने पर सर्दियों में वर्षा न होने और शीत लहर का कुछ हद तक असर पड़ा है। तथापि इससे प्रभावित क्षेत्रों का अनुमान लगा सकना कठिन है। गेहूं सहित रबी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने के बाद जुलाई-अगस्त, 1974 में किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे।

खरीफ की फसल के लिये नये पौधे

3516. **श्री ई० वी० विखे पाटिल**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ की फसलों के लिये नई किस्मों के पौधों के बारे में भविष्य की सम्भावनाओं की व्यापक रूपरेखा पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय के पौधा प्रजनन विभाग ने तैयार की है ; और

(ख) क्या मूंगफली के बीज एम—13 का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

खरीफ की फसलों में प्रजातीय सुधार के लिए भविष्य में जोर देने के लिए ये बातें मुख्य है : ऐसी अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास जो स्थायी रूप से लाभकारी हों, दुफसली चक्र के लिए जल्दी पकने वाली हों, रोग और कीट व्याधियों की रोधी हों और जिनमें बेहतर क्वालिटी की विशेषताएं हों ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने हाल में विकसित मूंगफली की किस्मों का 6 केन्द्रों पर 'नाभिक बीज' (न्यूक्लियस सीड) तैयार करने की प्रयोजना स्वीकृत की है । इनमें से एक पंजाब कृषि विश्व विद्यालय के अधीन कृषि अनुसंधान केन्द्र, रोपड़ में है, जहां मूंगफली की एम-13 किस्म का बीज बहुगुणित किया जा रहा है ।

गन्ने के अकाल के कारण श्रीरामपुर-कोपारगांव की चीनी मिलों का बंद होना

3517. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीरामपुर-कोपारगांव क्षेत्र की अधिकांश चीनी मिलें उस क्षेत्र में गन्ने के अकाल के कारण पिराई के सम्मान्य समय से काफी पहले पिराई करना बन्द कर देंगी ;

(ख) क्या सरकार ने गन्ने के अकाल के कारणों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(ग) गन्ने के उत्पादन में उस की किस्म तथा मात्रा दोनों में वृद्धि करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) श्रीरामपुर-कोपरगांव क्षेत्र में चीनी मिलों के असामान्य रूप से जल्दी पिराई कार्य बन्द करने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) गन्ने की मौजूदा कमी दैवी विपदा अर्थात् सूखा के कारण है और गन्ने की परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों और ईंधन की कमी के कारण भी है ।

(ग) गन्ने की पैदावार किस्म तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना विकास कार्य किए जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार का पांचवीं पंच वर्षीय योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य के फैक्ट्री क्षेत्रों में गन्ने के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना करने का विचार है । इस योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदें होंगी :—

(1) बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम ।

(2) प्रदर्शन ।

(3) गन्ना विकास कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण ; और

(4) पौध संरक्षण उपाय आदि आदि ।

वर्ष 1973 के दौरान सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का दौरा

3518. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री समर गुह :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान कितने सांस्कृतिक प्रतिनिध मंडल भारत आए तथा वे किस-किस प्रकार के थे ;

(ख) उन्होंने किस स्थानों का दौरा किया था ; और

(ग) वे किन-किन देशों से आए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6455/74.]

उसमानिया विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेना

3519. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित उसमानिया विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में लेकर केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार उसमानिया विश्वविद्यालय को भारत सरकार को सौंप देने पर सहमत हो गई है ;

(ग) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने उनके द्वारा संचालित किसी विश्वविद्यालय के प्रबन्ध को केन्द्रीय सरकार को सौंप देने की इच्छा व्यक्त की है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) राज्य के किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के बारे में किस आधार पर निर्णय लिया जाता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं । यद्यपि यह निर्णय किया गया है कि हैदराबाद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए संसद में एक अधिनियम पेश किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1968 में मैसूर राज्य सरकार ने बंगलौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का सुझाव दिया था ।

(घ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 63 के अन्तर्गत संसद किसी भी संस्था को कानून राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर सकती है । उस संस्था के उद्देश्य और कार्य-कलाप राष्ट्रीय महत्व की संस्था के अनुरुप होने चाहिए ।

Production of Sugar in Public and Private Sector

3520. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar manufactured in Public Sector and Private Sector during the current year separately; and

(b) the Government's future programme in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) The quantity of sugar produced upto 28-2-74 during 1973-74 season is as under :

	tonnes
1. State owned/State managed sugar factories	85,000
2. Co-operative sugar factories . .	9,91,000
3. Rest of the sugar factories .	14,45,000
Total	25,21,000

(b) The Government has decided to increase the licensed capacity of the Sugar Industry to 70 lakh tonnes to achieve an annual sugar Production capacity of 60 lakh tonnes by the end of the Fifth Five Year Plan. While doing so, preference in issue of licenses for new factories is being given to Cooperatives/Public sector units.

Dilapidated condition of National Highway No. 30 Between Patna and Maner

3521. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the National Highway No. 30 passes through Maner-Danapur-Patna in Patna District;

(b) whether the said highway between Patna and Maner is in a dilapidated condition and pits have been formed there by the extraction of stones which causes difficulty in movement of traffic; and

(c) if so, the action taken for its repairs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Information is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the House on its receipt.

पटना में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना

3522. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना में दूसरा केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या पटना जिले के दानापुर में केन्द्रीय विद्यालय में होस्टल और अध्यापकों के लिये क्वाटरों का निर्माण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिकाऊ फालतू चावल की खरीद

3523. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिकाऊ फालतू चावल की खरीद के बारे में अधिकांश राज्य सरकारें असफल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1973-74 के खरीफ मौसम में चावल की अधिप्राप्ति का राज्य-वार लक्ष्य और वास्तविक अधिप्राप्ति का ब्यौरा दिया गया है। समूचे लक्ष्य के 60 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। चालू खरीफ मौसम से चावल की अधिप्राप्ति 31 अक्तूबर, 1974 तक चलती रहेगी। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति में होने वाली कमी का अभी अनुमान लगाना मुश्किल है लेकिन अन्त तक कुछ राज्यों में अधिप्राप्ति की रफ्तार धीमी है जैसा कि संलग्न विवरण से विदित होगा। सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है और अधिप्राप्ति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन्हें पग उठाने के बारे में कई सुझाव दिए गए है। राज्य तदनुसार कार्यवाही कर रहे हैं।

विवरण

1973-74 के खरीफ मौसम में चावल की अधिप्राप्ति का राज्यवार लक्ष्य और वास्तविक अधिप्राप्ति का ब्यौरा

राज्य	लक्ष्य	अधिप्राप्ति मात्रा	
	चावल	को	चावल के हिसाब से धान समेत
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	600	11/3	453.3
2. असम	150	12/3	110.7
3. बिहार	100	12/3	46.9

1	2	3	4
4. गुजरात	50	9/3	17.1
5. हरियाणा .	350	13/3	384.0
6. जम्मू तथा कश्मीर .	50	13/3	38.4
7. कर्नाटक	275	13/3	88.2
8. केरल . .	125	2/3	22.1
9. मध्य प्रदेश .	600	10/3	170.4
10. महाराष्ट्र	200	13/3	140.9
11. उड़ीसा .	400	6/3	137.3
12. पंजाब	950	13/3	862.5
13. राजस्थान .	—	11/3	—
14. तमिलनाडु	350	10/3	128.2
15. उत्तर प्रदेश	300	13/3	327.1
16. पश्चिमी बंगाल	500	9/3	130.0
17. अन्य	—	10/3	7.5
जोड़	5000		3064.6

कर्नाटक को मत्स्यपालन के विकास के लिये मंजूरी दिया जाना

3524. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (अब तक) में मत्स्यपालन के विकास के लिये कर्नाटक राज्य को कुल कितनी सहायता की मंजूरी दी गई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में उक्त राज्य ने वास्तव में कितनी धन-राशि का उपयोग किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) त ा (ख) भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य को मछली पालन के विकास की निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में सहायक अनुदान की मंजूरी दी है :—

1. छोटे बन्दरगाहों पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं के ठहरने और उनसे माल उतारने की व्यवस्था;

2. नार्वे की सहायता के अन्तर्गत उपस्कर की सप्लाई; और

3. मत्स्य-पालक विकास एजेंसियां इस सिलसिले में मंजूर की गई और प्रयोग में लाई गई राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है :--

(राशि रुपयों में)

योजना का नाम	1971-72		1972-73		1973-74	
	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1. छोटे बन्दरगाहों पर मछली पकड़ने वाली नौकाओं के ठहरने और उनसे माल उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था	4,79,190	उ०न०	1,96,000	उ०न०	6,33,350*	उ०न०
2. नार्वे की सहायता के अन्तर्गत उपस्कर की सप्लाई	6,480	6,480	22,524	22,524	70,200	कुछ नहीं
3. मत्स्य-पालक एजेंसियां	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1,00,500	उ०न०

*निर्मुक्त की जा रही है।

उ०न० उपलब्ध नहीं। सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जाएगी।

उर्वरकों और खाद्यान्नों का निर्बाध रूप से लाना ले जाना

3525. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में उर्वरकों और खाद्यान्नों को निर्बाध रूप से लाने-ले जाने में वैगनों की कमी, जहाजों की अनुपलब्धता और प्रशासन की अकुशलता के कारण बाधाएं पड़ी हैं; और

(ख) इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न बन्दरगाहों पर विदेश से आयातित उर्वरक और खाद्यान्न प्राप्त होते हैं और रेलों

और सड़कों से प्रायः विभिन्न राज्यों के खपत वाले क्षेत्रों के लिए आगे ले जाए जाते हैं। निर्माण करने वाले एककों से देशी उरर्वक और वसूल किए गए खाद्यान्न भी रेलों या सड़कों से खपत वाले क्षेत्रों को भी भेजे जाते हैं। सामान्यतः तटीय जलयानों के जरिए खाद्यान्नों और उर्वरकों को देश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता। उर्वरकों और खाद्यान्नों को रेलों से ले जाने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। कुल मिला कर इन्हें ले जाने का कार्य संतोषजनक है, परंन्तु कतिपय क्षेत्रों में कर्मचारियों के आन्दोलनों के फलस्वरुप प्रायः आकस्मिक कठिनाइयां होती हैं। यह सही नहीं है कि प्रशासन की अकुशलता के कारण इन्हें निर्बाध रूप से नहीं ले जा सकते।

(ख) संबंधित रेलवे प्राधिकरणों और रेलवे बोर्ड के साथ निकट संपर्क रखा जाता है और रेलों के संभार तंत्र का अधिकतम ध्यान रखते हुए बन्दरगाहों और कारखानों से वितरण की पद्धति तैयार की जाती है। जंक्शन-स्टेशनों को ब्लाक रक्स में यथासंभव अधिकतम स्टाक ले-जाने के प्रयास भी किए जाते हैं और उससे आगे उन्हें सड़कों से ले जाया जाता है। इससे रास्ते में कम समय लगता है। बन्दर-गाहों से भी रेलों के जरिए माल भेजने के साथ-साथ सड़कों का भी उपयोग किया जाता है और खासकर कम दूरी के लिए ऐसा किया जाता है। उर्वरकों की सप्लाई के लिए रेल के वैगनों की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठकों में नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है।

वर्ष 1973-74 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल को भेजा गया धान, चावल

3526. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **वर्ष** 1973-74 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल को केन्द्रीय पूल में से कितना धान अथवा चावल भेजा गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अप्रैल, 1973 से फरवरी, 1974 तक की अवधि के दौरान महाराष्ट्र और केरल को केन्द्रीय पूल से क्रमशः लगभग 153 हजार मीटरी टन और लगभग 635 हजार मीटरी टन चावल सप्लाई किया गया था। उसी अवधि के दौरान केन्द्रीय स्टाक से कर्नाटक को कोई चावल सप्लाई नहीं किया गया था।

खरीफ की चालू फसल के दौरान गुजरात को नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों का आवंटन

3527. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चालू वर्ष के दौरान फरवरी–जुलाई की खरीफ की चालू फसल के लिये 93,000 टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के आवंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात को कितने वास्तविक आवंटन का आश्वासन दिया गया था और आज तक कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या गुजरात में उर्वरक वितरण प्रणाली में अत्यधिक गड़बड़ है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार तुरन्त क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने खरीफ 74 (फरवरी–जुलाई) की अवधि के लिये 93,800 मीटरी टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की मांग की थी।

(ख) राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा फरवरी–जुलाई, 1974 की अवधि के लिये बताये गये उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर राज्य को 66,000 मीटरी टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक आबंटित किया गया था। फरवरी, 1974 के दौरान राज्य को 6830 मीटरी टन नाइट्रोजन की सप्लाई की गई है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि राज्य में सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली कार्य कर रही है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि उर्वरकों की वितरण प्रणाली में अत्यधिक गड़बड़ है। यह कहना सही है कि अन्य राज्यों की भांति इस राज्य में भी उर्वरकों की कमी को अनुभव किया जा रहा है।

(घ) राज्य की उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में नया शिपयार्ड तथा पत्तन बनाया जाना

3528. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में नये शिपयार्ड और पत्तन बनाने संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जहां तक नए शिपयार्डों का संबंध है, अपने अपने राज्यों में शिपयार्ड स्थापित करने के लिए कई स्थानों से तथा विभिन्न समुद्रवर्ती राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए। गुजरात सहित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थानों का दोनों तकनीकी और आर्थिक रूप से निर्धारण करने हेतु और सिफारिश किये गये स्थानों पर लाभपूर्वक प्रकार और आकार बताने के लिये एक तकनीकी आर्थिक कार्यकारी दल की स्थापना की गई। इस दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है। देश में नए शिपयार्डों की स्थिति के बारे में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

जहांतक पत्तनों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार का सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में नये पत्तनों के निर्माणार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है; ।

कर्नाटक के एक जिले से दूसरे जिले में अनाज लाने ले जाने पर प्रतिबंध

3529. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार से एक जिले से दूसरे जिले में अनाज लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि नहीं, तो कर्नाटक सरकार द्वारा उक्त प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त प्रतिबन्ध से राज्य में धान की वसूली में सहायता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) चावल और धान की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए सरकार से सभी राज्य सरकारों को नवम्बर, 1972 में यह सलाह दी थी कि वे अपने-अपने राज्यों में, यदि आवश्यक समझते हैं, चावल और धान के संचलन

पर प्रतिबन्ध कड़े करें। तदनुसार कर्नाटक सरकार ने नवम्बर, 1972 के आगे चावल और धान की एक जिले से दूसरे जिले में लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध लगाया था। इस प्रतिबन्ध से राज्य में धान की खरीदारी करने में सहायता मिली है। इस समय कर्नाटक में अन्य किन्हीं खाद्यान्नों के एक जिले से दूसरे जिले में लाने-ले-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

मैसूर विश्वविद्यालय विधेयक, 1973 पर केन्द्रीय अनुमोदन

3530. **श्री के० लकप्पा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने मैसूर विश्वविद्यालय विधेयक, 1973 का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है;

(ख) क्या विधेयक के कुछ उपबन्धों से कर्नाटक राज्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी; और

(ग) क्या ऐसे विधेयक की कोई आवश्यकता भी है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विधेयक का संबंध राज्य विश्वविद्यालयों से है, अतः भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 1973-74 के दौरान केरल में छोटे किसान विकास एजेंसी योजना

3531. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मध्य दर्जे के किसानों से सम्बन्धित विकास एजेंसी के अधीन वर्ष 1973-74 में केरल राज्य में चलाई गई योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना के अन्तर्गत केरल में कन्नानूर और क्विलोन जिलों में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दो लघु कृषक विकास एजेंसी परियोजनायें स्थापित की गई थीं। इस लघु कृषक विकास एजेंसी योजना के क्रियान्वयन पर एक संक्षिप्त नोट संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एव० टी० 6456/74]

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए केरल राज्य का कृषि उत्पादन लक्ष्य

3532. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित कियें गए कृषि उत्पादन लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) केरल राज्य के चौथी योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त करना संभव नहीं है। विभिन्न फसलों संबंधी लक्ष्य और संभाव्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:—

फसल	यूनिट	लक्ष्य	संभाव्य उपलब्धि
1. खाद्यान्न	हजार मीटरी टनों में	1750	1417
2. गन्ना	,, ,, ,,	80	50
3. तिलहन	,, ,, ,,	30	22
4. कपास	हजार गांठों में	12	8
5. सुपारी	हजार मीटरी टनों में	1450	1,300
6. नारियल	लाख की संख्या में	50,000	41,000
7. काजू	हजार मीटरी टनों में	150	115

चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत कम क्षेत्र लाये जाने, रासायनिक उर्वरकों का कम उपभोग किए जाने और मृदा संरक्षण तथा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण मुख्यत: लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किए जा सके।

केरल को उर्वरकों की कम सप्लाई

3533. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल राज्य को उर्वरकों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण किसानों को अनाज का उत्पादन करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय पूल से केरल राज्य को उर्वरकों की कम सप्लाई किए जाने के **क्या** कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) यह सही है कि मांग की तुलना में उर्वरकों की कम सप्लाई होने के कारण समस्त राज्यों में कठिनाई अनुभव की जा रही है।

(ख) रबी 1973-74 के दौरान मुख्यत: विश्व मंडी में उर्वरकों की भारी कमी होने के कारण राज्यों की उर्वरकों की मांग को पूरा करने में केन्द्रीय उर्वरक पूल असमर्थ रहा है।

आगामी गर्मियों में दूध की अनुमानित कमी

3534. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी गर्मियों में दिल्ली को दूध की भारी कमी होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) तथा (ख) दिल्ली में गर्मी में दूध की कमी का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष गर्मियों में यह कमी कितनी होगी, इसका अनुमान लगा सकना, कठिन है। तथापि दिल्ली दुग्ध योजना इस समय अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रही है और आने वाले महीनों में भी इसका पूरा उपयोग करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी। हर वर्ष गर्मी के महीनों में दुधारु पशुओं के दूध देने के प्राकृतिक चक्र के अनुसार दूध का उत्पादन काफी कम हो जाता है और आइसक्रीम, कुल्फी, दही और लस्सी आदि जैसी दूध की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है।

दिल्ली दुग्ध योजना ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता के 100% तक दूध का उत्पादन करके वितरण को बनाए रखने की दृष्टि से कच्चे दूध और दूध की वस्तुओं जैसे कि स्किम दूध चूर्ण और मक्खन की चिकनाई की इष्टतम मात्रा में वसूली सुनिश्चित करने की दृष्टि से कदम उठाए हैं।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की किस्म में सुधार

3535. **श्री नवल किशोर शर्मा**: क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की वर्तमान किस्म में सुधार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचा जा रहा विभिन्न प्रकार का प्रक्रियागत दूध खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्णतया क्वालिटी के मानकों के अनुरुप है और इसलिए इनकी क्वालिटी में सुधार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तिब्बतन लायब्रेरी को सहायता

3536. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दलाई लामा के धर्मशाला स्थित मुख्यालय से सम्बद्ध तिब्बतन लायब्रेरी आफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आरकाइब्स की सहायता देने के लिये सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में और बौद्ध पांडुलिपियों के संरक्षण के लिये नेशनल आरकाइव्स एण्ड नेशनल म्यूजियम द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विदेशों से और विशेषकर मध्य एशिया से तिब्बती विश्वकोष के लिये दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियां उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) जी हां। धर्मशाला स्थित तिब्बतन वर्क्स एण्ड आरकाइवस पुस्तकालय की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिये एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया था जिसमें संस्कृति विभाग और वित्त मंत्रालय के एक-एक प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति ने सितम्बर, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ख) समिति ने यह अनुभव किया कि पांडुलिपियों/पुस्तकों आदि के समुचित परिरक्षण के लिये पुस्तकालय प्राधिकारियों को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अथवा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से दक्ष सलाह प्राप्त करनी चाहिये ।

(ग) समिति ने यह अनुभव किया कि पुस्तकालय विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत होने वाले विषयों में इस बात को भी शामिल करते हुये विनिमय आधार पर ऐसी दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का अधिग्रहण करे जो मध्य एशिया अथवा अन्य विदेशों में उपलब्ध हो सकें ।

राज्यों में दोषी चावल मिलों को नियंत्रण में लेना

3537. **श्री रानेन सेन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में दोषी चावल मिलों को नियंत्रण में लेने के आदेश दिये हैं,

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं,

(ग) कितनी मिलों को नियंत्रण में लिया गया है, और

(घ) मिल मालिकों को क्या सजा दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर प्रतिबंध

3538. **श्री आर०आर० सिंह देव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में भारतीय खाद्य निगम में किसी भी औद्योगिक विवाद के बारे में सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिबन्ध कब तक विधिमान्य रहेगा; और

(ग) यह प्रतिबन्ध किन कारणों से लगाया है और इस पर कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग) हड़तालों को रोकने और उससे समाज के जीवन के लिये आवश्यक सप्लाई और सेवाओं को बनाये रखने के लिये एक आदेश जारी कर 4 जनवरी, 1974 से 6 महीनों के लिये भारतीय खाद्य निगम में हड़तालों पर रोक लगादी गई है । कर्मचारियों से इस आदेश के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे ।

उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर वनस्पति

3539. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर निश्चित मात्रा में वनस्पति घी देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई आदेश जारी किये हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) राशनकार्ड धारियों को राशन की दुकानों जहां से वे राशन की वस्तुयें लेते हैं, से वनस्पति घी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं । राज्य सरकारों ने यदि ऐसे कोई आदेश जारी किये हैं, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उर्दू को बढ़ावा देने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

3540. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू को बढ़ावा देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये बनाई गई समिति ने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है और उसे सरकार को दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी०पी० यादव) :

(क) उर्दू प्रोत्साहन समिति ने सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय खाद्य निगम के अधीन प्राइवेट संग्रहण एजेंटों द्वारा भ्रष्टाचार

3541. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री भारतीय खाद्य निगम के अधीन प्राइवेट संग्रहण एजेन्टों द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी 19 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के अधीन प्राइवेट संग्रहण एजेन्टों द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी इस बीच पूरी हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में जहां निजी भण्डारण एजेन्टों की सेवाओं का आर्थिक दृष्टि से या सरकारी एजेन्सियों के अभाव के कारण उपयोग किया जा रहा है, चावल/धान के स्टाक में भारी कमी होने के कुछ मामलों का पता चला था । कमी के मूल्य की पेनिल दर पर वसूली कर और एजेन्सी को समाप्त कर आवश्यक कार्यवाही की गई है । जिन मामलों में वसूली सम्भव नहीं थी वहां चूककर्त्ता एजेन्टों के विरुद्ध दीवानी/फौजदारी केस चलाने के लिये पग उठाये गये हैं ।

Expenditure on Construction work of Shantivana, Vijayaghat and Rajghat

3542. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the total amount so far on the construction work of Shantivana, Vijayaghat and Rajghat;

(b) the further time likely to be taken in the completion of construction work; and

(c) the expenditure to be incurred on the completion of the work?

The Minister of State in the Department of Parliament Affair and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Metha): (a) The required information is given below:-

(Rupees in Lakhs) (Approximate Expenditure)

Shantivana	Vijayaghat	Rajghat
74.08	39.09	65.74

(b) & (c): The further expenditure likely to be incurred on completion of works is indicated below:-

(Rupees in lakhs - approximately)

Shantivana	Vijayaghat	Rajghat
3.30	9.55	28.66

The works at Shantivana and Vijayaghat are likely to be completed by the end of 1974. For Rajghat it will take a longer time because a part of the area is under unauthorised occupation and the Gandhi Darshan Exhibition building is also there on the site. A precise idea about the completion date cannot therefore be given at this stage.

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों का उर्वरकों का कोटा

3543. **श्री मधु लिमये:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में श्री बहुगुणा के मंत्रिमंडल के मंत्री, श्रीमती राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये दिसम्बर, 1973 और जनवरी, फरवरी, 1974 में उर्वरकों का कोटा दुगना करने के संबंध में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को वर्तमान तिमाही और इससे पूर्व की तीन तिमाहियों में उर्वरकों का कितना आवंटन किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) इस मंत्रालय को प्रश्न में उल्लिखित विवरण की बातों के विषय में कोई ज्ञान नहीं है । परन्तु पिछली तीन तिमाहियों की तुलना में दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 तक की तिमाही के दौरान उत्तर प्रदेश को देशी विनिर्माताओं तथा केन्द्रीय उर्वरक पूल से होने वाले उर्वरकों के आवंटन की स्थिति नीचे दी जा रही है:-

फरवरी से अप्रैल, मई से जून, अगस्त से अक्तूबर, और नवम्बर से जनवरी की तिमाहियों के लिये केन्द्रीय उर्वरक पूल तथा देशी विनिर्माताओं द्वारा होने वाली सप्लाइ का आवंटन कृषि

मंत्रालय द्वारा तिमाही के आधार पर किया जाता है । दिसम्बर, 1973 जनवरी, 1974 की अवधि की बजाय नवम्बर, 1973 जनवरी, 1974 के आवंटन के 2/3 और फरवरी-अप्रैल, 1974 की तिमाही के आवंटन (फरवरी, 1974 के बजाय) के 1/3 के आधार पर दिसम्बर, 1973-फरवरी, 1974 के आवंटन का अनुमान लगाते हुए तथा इसी आधार पर पिछली तीन तिमाहियों के आवंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश की स्थिति नीचे दी जा रही है :--

1	2
तिमाही	केन्द्रीय उर्वरक पूल तथा देशी विनिर्माताओं से होने वाली एन० तथा पी० उर्वरकों की सप्लाई के विषय में कृषि मंत्रालय द्वारा होने वाला आवंटन
1. मार्च, अप्रैल, मई, 1973	99,229
2. जून, जूलाई, अगस्त, 1973	1,12,843
3. सितम्बर, अक्तबर, नवम्बर, 1973	1,65,066
4. दिसम्बर, 1973, जनवरी, फरवरी, 1974	1,16,670

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलेगा कि मार्च से मई, 1973 तथा जून से अगस्त, 1973 की तिमाहियों की तुलना में दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 की तिमाही के दौरान उत्तर प्रदेश के आवंटन में थोड़ी सी अर्थात् केवल क्रमशः 17.6% तथा 3.4% बढ़ोतरी हुई है । यह बढ़ोतरी मौसम के परिवर्तन के फलस्वरूप हुई । खरीफ तथा रबी के लिये देश की मांग का अनुपात 40:60 है । उपर्युक्त आंकड़ों से इस बात का भी पता चलेगा कि वास्तव में पिछली तिमाही (अर्थात् सितम्बर से नवम्बर, 1973) के आवंटन की तुलना में दिसम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 के आवंटन में 29.3% की कमी हुई थी ।

(ख) प्रश्न हीं नही उठता ।

गेहूं के स्थान पर सरसों की खेती

3544. श्री मधु लिमये : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबी की चालू फसल के दौरान बड़े पैमाने पर गेहूं के स्थान पर सरसों की खेती की गई है ;

(ख) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में कितने-कितने एकड़ भूमि पर इन दोनों फसलों की खेती की गई;

(ग) क्या गेहूं के स्थान पर सरसों की खेती करने का मुख्य कारण गेहूं के वसूली में भारी कमी होना है; और

(घ) क्या सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्यों के बारे में एक विस्तृत नीति की आवश्यकता अनुभव करती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) 1972–73 के दौरान गेहूं तथा तोरिया और सरसों के अन्तर्गत क्षेत्र क्रमशः 198.89 लाख हैक्टार और 33.90 लाख हैक्टार था । 1973–74 की तत्सम्बन्धी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार ने उत्पादक को लाभकर मूल्यों की पेशकश और उपभोक्ता समुचित मूल्यों पर खाद्यान्न सप्लाई करने की अपनी नीति जारी रखी है । तदनुसार महत्वपूर्ण खरीफ और रबी धान्य के वसूली मूल्य कृषि मूल्य आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से निश्चित किये जा रहे हैं । यह मूल्य निश्चित करते समय उत्पादन की लागत और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

चीनी का सम्भावित उत्पादन तथा इसके उप-उत्पादों का उपयोग

3545. श्री मधु लिमये : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973–74 के पिराई मौसम के दौरान कितनी चीनी का उत्पादन होने की सम्भावना है,

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक अलकोहल तथा शीरे की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है,

(ग) क्या इस वर्ष उप-उत्पादों का उपयोग बड़े पैमाने पर कागज तथा कागज बोर्डों के उत्पादन हेतु किया जायेगा, और

(घ) इस वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) लगभग 45 लाख मीटरी टन ।

(ख) जी हां ।

(ग) चीनी कारखानों द्वारा खोई के स्थान पर मट्टी के तेल जैसे वैकल्पिक ईंधन प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण इसकी कोई संभावना नहीं ।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रमुख शराब उत्पादक राज्यों में शीरे और शराब की पैदावार में संभावी वृद्धि का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

राज्य	शीरे का अनुमानित उत्पादन (लाख मीटरी टन)		शराब की अनुमानित पैदावार (लाख लिटर में)	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
उत्तर प्रदेश	6.3	5.8	1200	900
बिहार	1.25	0.98	230	150
हरियाणा . . .	0.43	0.39	100	50
महाराष्ट्र	3.75	3.25	780	470
आन्ध्र प्रदेश . .	1.39	0.95	290	240
कर्नाटक	1.25	1.0	270	120
तमिल नाडु	2.1	1.6	370	250

आधुनिक बेकरियों को अन्न तथा 'आटे' का नियतन

3546. **श्री मधु लिमये**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी आधुनिक बेकरियां चल रही हैं,

(ख) 1972 तथा 1973 के दौरान इन आधुनिक बेकरियों को अन्न तथा 'आटे' का कुल कितना नियतन किया गया,

(ग) इन दो वर्षों के दौरान इन बेकरियों ने कुल कितनी डबलरोटियों का उत्पादन किया,

(घ) क्या गत वर्ष उपभोक्ताओं ने डबलरोटी की बहुत कमी अनुभव की, और

(ङ) यदि हां, तो डबलरोटी का उत्पादन बढ़ाने तथा उसका समुचित और समान वितरण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): (क) से (ङ): सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

वैज्ञानिक भूमि और जल प्रयोग योजना संबंधी प्रवर्तनीय (आपरेशनल) अनुसंधान परियोजना के लिये राष्ट्रीय ग्रिड

3547. **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक भूमि और जल प्रयोग योजना लागू करने के विचार से प्रवर्तनीय अनुसंधान परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने संबंधी किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो शासी निकाय की और कौन सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने पिछले साल इन्दौर के निकट भारी काली मिट्टी वाली भूमि में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में वैज्ञानिक कृषि प्रबन्ध के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रवर्तनीय अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की थी । शासी निकाय ने सैद्धान्तिक रूप से इसी प्रकार की प्रायोजनाएं पूरे गांव या जल क्षेत्र को लेकर कृषि, पशुपालन और मछली पालन में चलाने की भी स्वीकृति दी थी । पांचवीं योजना में इस प्रकार की और प्रायोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है । फसल-पशुपालन के समन्वय, ग्रामीण क्षेत्रों में जल-कृषि और धान उत्पादन को लेकर इस प्रकार की प्रायोजनाओं की रूप रेखा बना ली गयी है । कृषि विश्वविद्यालयों से भूमि और जल के प्रभावशाली उपयोग की योजना और प्रबन्ध की वैज्ञानिकता के आर्थिक महत्व के बारे में प्रदर्शन के लिए उचित प्रायोजनाएं बनाने को कहा गया है । ये प्रायोजनाएं बहु-विषयी होंगी और इनमें कृषि, उद्यान विज्ञान, पशुपालन और मछली पालन पर समन्वित रूप से बल दिया जायेगा ।

भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के लिये "मृत्यु लाभ योजना"

3548. **श्री के० मालन्ना**: क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के लिए एक नई 'मृत्यु लाभ योजना' लागू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) मिन्टो रोड़ मुद्रणालय के कर्मचारियों ने एक स्वयंसेवी योजना आरम्भ की हैंजिस के अधीन सदस्यगण एक रुपया प्रति सदस्य के हिसाब से चन्दा देते हैं तथा इस चन्दे की राशि को मृतक के नामांकित निकटतम संबंधी को दिया जाता है । यह योजना पूर्णरुपेण एक स्वयंसेवी प्रयास है ।

मद्रास विशाखापत्तनम को अंतिम पत्तन बनाना

3549. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास विशाखापतनम पत्तन को अंतिम पत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव है जिससे निर्यात माल के निर्यात में बराबर आने वाली रुकावटों की रोका जा सके, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) माल की कुल उपलब्धता के अनुसार और विभिन्न पत्तनों की मांग पूरी करने के लिए किसी पत्तन को अन्तिम पत्तन के तौर पर इस्तेमाल करने में शिपिंग कम्पनियों का स्वतंत्र होने से सरकार को किसी पत्तन को अन्तिम पत्तन घोषित नहीं करना पड़ता । फिलहाल इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गाद के कारण कलकत्ता पत्तन पर संकट

3550. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन में गाद के कारण संकट उत्पन्न हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भागीरथी और हुगली नदियों में पर्याप्त जल आपूर्ति की कमी के कारण कलकत्ता पत्तन को हुगली नदी में गाद की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है । इस कमी को दूर करने के लिए फारक्का बांध परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है । फारक्का से पानी आने और किये जा रहे कुछ साध कार्य पूरे हो जाने से स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना है । इस बीच जहां तक संभव हो डुबाऊ के बनाये रखने के लिए पत्तन के नौगम्य जलमार्ग पर कलकत्ता पत्तन आयुक्त गहन निकर्षण कर रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय "बंगला साहित्य सम्मेलन में" भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नामांकन

3552. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में अन्तर्राष्ट्रीय "बंगला साहित्य सम्मेलन" में भाग लेने के लिए भारतीय बंगाली लेखकों और रचनाकारों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में उपस्थित हुए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को मनोनीत करने के आधारों तथा व्यवस्था सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) क्या भारत भी इसी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन करेगा जिसमें बंगला देश के बंगाली लेखकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) बंगला अकादमी ढाका ने भारत से विभिन्न भारतीय भाषाओं के कुछ लेखकों, पत्रकारों, गायकों इत्यादि को ढाका में 'बंगला साहित्य सम्मेलन' में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया था ।

(ख) उन व्यक्तियों की सूची संलग्न है जिनके लिए सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा वापिसी हवाई किराए की व्यवस्था की गई थी ।

(ग) भारत सरकार इन भारतीय अतिथियों के वापिसी हवाई किराए को वहन करने के लिए सहमत थीं जिन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया था और जिनके लिए बंगला देश सरकार सभी स्थानीय अतिथ्य-सरकार प्रदान करने के लिए सहमत थी ।

(घ) सम्मेलन ने दोनों देशों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच एक बैठक आयोजित करने की पृष्ठभूमि तैयार की थी ।

(ङ) मामले को अवसर आने पर जांच की जाएगी ।

विवरण

उन व्यक्तियों की सूची जिनके लिए बंगला साहित्य सम्मेलन, ढाका में भाग लेने के लिए वापिसी हवाई किराये की व्यवस्था की गयी थी।

I. भारतीय लेखक/पत्रकार आदि :

1. श्री मनोज वसु
2. श्री मनमथ रे
3. श्री सुभाष मुखर्जी
4. श्री वेनाय सरकार
5. श्री सुनिल गांगुली
6. श्री शक्ति चटर्जी
7. श्री नेरेन्द्र नाथ मिश्र
8. श्री हेमन्त मुखर्जी

9. श्री आनन्द शंकर रे
10. श्रीमती लीला राय
11. डा० अशुतोष भट्टाचार्य
12. डा० जगन नाथ चक्रवर्ती
13. प्रो० संखा घोष
14. श्री सवितावृत्त दत्त

II. थियेटर कर्मशाला, कलकत्ता टीम के सत्तरह सदस्य :

1. श्री महेश सिन्हा
2. श्री धनंजय राय
3. श्री प्रवीश गुह
4. श्री विमाश चक्रवर्ती
5. कुमारी माया घोष
6. श्री अशोक मुखोपाध्याय
7. श्री राम मुखोपाध्याय
8. श्रीमती माला नाथ
9. श्री मणिक राय चौधरी
10. श्री विमलेन्दु घोष
11. श्री सुरेश दत्त
12. श्री समर दास गुप्ता
13. श्री विद्यनाथ वन्दोपाध्याय
14. श्री निर्मल राय
15. श्री अमिया मुखोपाध्याय
16. श्री सुभाष सेन
17. श्री कमल दत्त

III. संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि :

1. श्री मोहन मुखर्जी
2. श्री एम० एन० देशपाण्डे

बंगलादेश के कलाकारों और साहित्यकारों को निमंत्रण

3553. श्री समर गुह: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत दो वर्षों में बंगलादेश के कलाकारों और साहित्यकारों को सांस्कृतिक मिशन पर भारत का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कलाकारों और साहित्यकारों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

I. महामान्य प्रो० मोहम्मद यूसुफ अली, शिक्षा और संस्कृति मंत्री तथा प्रो० ए० के० एम० जकरिया, शिक्षा सचिव ।

II. श्री ए० के० एम० जकारिया संयुक्त सचिव के नेतृत्व में 49 सदस्यीय सांस्कृतिक दल

(1) (क) श्री ए० के० एम० जकारिया, संयुक्त सचिव, शिक्षा सांस्कृतिक कार्य और खेल मंत्रालय, बंगलादेश जनवादी गणतंत्र सरकार ।

(ख) श्री नुरूल इस्लाम, सहायक शिक्षा सलाहकार शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य तथा खेल मंत्रालय ।

(ग) श्री अमीनुल हक चौधरी, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्य तथा खेल मंत्री के निजी सचिव ।

(2) श्री सैयद हसन इमाम, अभिनेता, सांस्कृतिक संयोजक फिल्म, निर्माता ।

(3) श्री मुस्तफा मन्वर, पेन्टर, कार्यक्रम प्रबन्धक, बंगलादेश टेलीविजन ।

(4) डा० मोहम्मद मोमिरज्जामन, कवि, लेखक, बंगला के सह-प्रोफेसर, ढाका विश्वविद्यालय ।

(5) श्री भूतन कुंडू, पेन्टर, सेट डिजाइनर ।

6. श्री एस० एम० रिजिउल्ला, प्रकाश निदेशक ।

7. श्री अदू बकर सिद्धीकी, सेट तथा प्रकाश सहायक ।

8. श्री मनवर कय्यूम, संगीत कालेज छात्र, बंगाली वाचक ।

9. कु० ताजीन मुर्शीद, विश्वविद्यालय छात्रा, टी० वी० समाचार प्रसारण करने वाली ।

10. श्री समर घर, संगीतकार ।

11. श्री मीर कासिम खां, संगीतकार ।

12. श्री खदीरुद्दीन, संगीतज्ञ, बांसुरी तथा क्लारनेट ।

13. श्री मन्सूर अली, संगीतज्ञ, वायलन तथा पियानो ।

14. श्री युनुस खां, वाद्याकार, सरोद।

15. श्री सुवल दत्त, वाद्याकार, वायलन।

16. श्री अब्दुर रहमान, वाद्यकार, बांसुरी।

17. श्री अब्दुल सुमान, वाद्यकार अकार्डियन।

18. श्री सुजेन श्याम, वाद्यकार, काष्ठतरंग।

19. श्री यासीन खां, वाद्यकार, सितार।

20. श्री अरुण गोस्वामी वाद्यकार, तबला।

21. श्री शाह जहान्, वाद्यकार तबला।

22. श्री निकुंज पाल, वाद्यकार तबला और ड्रम।

23. श्री जी० ए० मन्नन, नृत्य निदेशक।

24. श्री बौहर जामील, नृत्य निदेशक।

25. श्री अल्तमश अहमद, नृत्य निदेशक।

26. श्री मइदुल इस्लाम, नर्तक।

27. श्री हसन इमाम, नर्तक।

28. श्री अब्दुल कासिम, नर्तक।

29. श्री गोलाम मुस्तफा खां, नर्तक।

30. श्री अजीजुल्ला चाक्लेट, नर्तक।

31. श्री एस० लिओ, नर्तक।

32. श्री मंजूर चौधरी नर्तक।

33. कु० सुषमा नाहर, नर्तकी।

34. कु० बीथि रामसुद्दीन, नर्तकी।

35. कु० आश्मा खातून, नर्तकी।

36. कु० लैला हक, नर्तकी।

37. कु० दीपा दास, नर्तकी।

38. श्री मोहम्मद अब्दुल झब्बर, गायक।

39. कु० रथीन्द्र नाम राय, गायक।

40. कु० शेख लुत्फर रहमान, गायक।

41. जाहेदुर रहीम, गायक।

42. श्री अजीतराय, गायक।

43. श्री अपेल महमूद गायक।

44. श्रीमती फहमीदा खातून, गायिका।

45. श्रीमती नीना हमीद, गायिका।

46. श्रीमती अजुमान आराबेगम, गायिका।

47. श्रीमती शहीन मोहम्मद, गायिका।

III. प्रो० कबीर चौधरी, शिक्षा सचिव, बंगला देश के नेतृत्व में तथा निम्नलिखित कलाकारों के साथ प्रदर्शनी :—

1. श्री जैनुल अबेदिन।

2. श्री अनवरुल हक।

3. श्री सफीउद्दीन अहमद।

4. श्री उमरूल हसन।

5. श्री सैयद शफीकुल हुसैन।

6. श्री मोहम्मद किबरिया।

7. श्री हमीदुर रहमान।

8. श्री अमीनल इस्लाम।

9. श्री अब्दुर रज़ाक।

10. श्री रशीद चौधरी।

11. श्री क्यूम चौधरी।

12. श्री अब्दुल वसेट।

भारत-बंगलादेश सांस्कृतिक समिति की स्थापना

3554. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का बंगलादेश और भारत के बीच सस्कृतिक, साहित्यिक और सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत-बंगलादेश सांस्कृतिक समिति स्थापित करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : जी, हां। ढाका में 30 दिसम्बर, 1972 को भारत तथा बंगलादेश में जिस सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, उसमें प्रत्येक संविधाकारी पक्ष के तीन तीन प्रतिनिधियों से गठित एक ऐसे संयुक्त आयोग को स्थापित करने की व्यवस्था है, जो इस करार के निस्पादन का पुनरीक्षण करेगा और सांविधाकारी पक्षों को ऐसे तरीके सुझाने में परामर्श देगा जिससे इस करार के निष्पादन में सुधार हो सके।

एक दो वर्ष की अवधि के लिए शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग के एक कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए निकट भविष्य में संयुक्त आयोग की एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है।

देश में सप्लाई किये जा रहे माइलो की किस्म के विरुद्ध रोष

3555. **श्री समर गुह**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे माइलो की किस्म के विरुद्ध रोष व्यक्त किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है,

(ग) पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों को, राज्य-वार कितना माइलो सप्लाई किया गया,

(घ) माइलो की वसूली के साधन क्या है, और

(ङ) राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले माइलो की किस्म की जांच करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी। महाराष्ट्र और गुजरात से माइलो की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। राज्य सरकारों से विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेनटाइना।

(ङ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से जारी करने के पूर्व माइलो की किस्म की जांच की जाती है। यदि उसे साफ करने की आवश्यकता होती है तो यह कार्य राज्य सरकारों अथवा भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है और यदि यह परिचालनात्मक दृष्टि से सम्भव नहीं होता है तो उपभोक्ताओं को कहा जाता है कि वे उसका उपयोग करने से पूर्व उसे साफ करलें।

भारत और विदेशों का दौरा करने के लिए संस्कृतिक-विद् व्यक्ति' का चयन करने हेतु समिति

3556. **श्री समर गुह**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अथवा विदेशों का सांस्कृतिक मिशन पर दौरा करने के लिए एक संस्कृति-विद् व्यक्ति का चयन करने हेतु समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) उक्त चयन समिति गठित करने की प्रक्रिया और आधार क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों अथवा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय प्रदर्शनकारी तथा प्लास्टिक कलाओं को विदेश में प्रस्तुत करने के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों को पेनल (नामिका) तैयार करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। समिति इस की संरचना निम्नलिखित है:—

अध्यक्ष

(1) सचिव अथवा अपर सचिव,
शिक्षा तथा संस्कृति

सदस्य

(1) चयन के क्षेत्र सहित संबंधित अकादमी के सचिव

(2) सचिव, भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क, परिषद्, नई दिल्ली।

(3) विदेश मंत्रालय (विदेश प्रचार प्रभाग) का प्रतिनिधि।

(4) चयन के क्षेत्र सहित शिक्षा तथा संस्कृति विभागों के ब्यूरो अध्यक्ष।

(5) उप-शिक्षा सलाहकार (संस्कृति)—सदस्य सचिव, उक्त समिति अपने काम में सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति की अस्थाई तौर पर सहायता प्राप्त करने में स्वतंत्र है।

यही उक्त समिति सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत विदेशी कलाकारों के दौरों से संबंधित प्रस्तावों और भारत में उनके भ्रमण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर भी विचार करती है।

निर्यात में वृद्धि करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण लगाये जाने का प्रस्ताव

3557 : **श्री नरेंद्र कुमार सांघी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग पर नियंत्रण लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता फसल को लाये जाने का विचार है और यदि हां, तो इन फसलों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या करारों के अनुसार निर्यात करने से राज्य तथा जन वितरण प्रणाली को अधिक सप्लाई की मात्रा में और अधिक कमी होगी और यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के माध्यम से राज्यों को ऋण

3558. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को कहा है कि वह गैर-सरकारी उद्यमियों को अपने जहाजों का आधुनिकीकरण करने के लिए सुविधाएं प्रदान करें, और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूप रेखा क्या है तथा इस संबंध में विभिन्न राज्यों को कितना ऋण दिया जायेगा और यह योजना कब आरम्भ हो रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) मौजूदा जहाजों के यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण और नये अन्तर्देशीय जहाजों के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकारों के माध्यम में प्राइवेट उद्यमियों को ऋण देने का प्रस्ताव तथापि विचाराधीन है।

दिल्ली में तेल और तिलहनों के मूल्यों में वृद्धि

3559. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली की मंडी में सभी तेलों और तिलहनों के मूल्यों में भारी वृद्धि का समाचार मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) दिल्ली में वनस्पति तेल तथा तिलहनों के थोक मूल्यों में सामान्यत: दिसम्बर, 1973 में वृद्धि हुई और जनवरी, 1974 में गिरावट आई और फरवरी, 1974 में फिर से उनमें कुछ वृद्धि हुई है। मार्च, 1974 के प्रथम सप्ताह के दौरान सरसों तथा इसके तेल (रबी फसल) के मूल्यों में कुछ गिरावट आई। मूंगफली तथा तिल और उनके तेलों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई। निम्नलिखित तालिका में नवम्बर, 1973 से फरवरी 1974 तक की अवधि के लिए और मार्च, 1974 के प्रथम सप्ताह के लिए मास के अन्त के मूल्य दिखाये गये है :—

दिल्ली में थोक मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए थोक मूल्य	मूंगफली की गिरी	सरसों (लाहा)	तिल के बीज	मूंगफली का तेल	सरसों का तेल (पक्की घानी)	तिल का तेल
1	2	3	4	5	6	7
30-11-73	340.00	300.00	330.00	630.00	720.00	660.00
28-12-73	370.00	365.00	380.00	745.00	850.00	750.00
25-1-74	390.00	355.00	370.00	726.00	800.00	725.00
22-2-74	400 00	355.00	400.00	770.00	830.00	780.00
7-3-74	425.00	320.00	410.00 (1.374)	785.00	795.00	800.00

तिलहनों तथा तेलों के मूल्यों में दृढ़ता देश व्यापी है और खरीफ मौसम में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में व्यापक सूखा पड़ने के कारण वर्ष 1972-73 के दौरान तिलहनों के उत्पादन को काफी धक्का लगा है जिसके फलस्वरूप स्टाक में कमी होना, सट्टा व्यापार तथा जमाखोरी और सामान्य मूल्यों में वृद्धि होना भी इसके कारण है।

कृषि आर्थिक अध्ययनों का परिणाम

3560. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में किस प्रकार के कृषि आर्थिक अध्ययन किये गये हैं;

(ख) क्या परिणामों का प्रयोग नीतियां बनाने में किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह नीतियां क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एजेन्सियों ने कृषि के आर्थिक पहलुओं के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के अध्ययन किये हैं। इन अध्ययनों में कुछ विकास कार्यक्रमों के कार्यकलापों तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन, फार्मों की संरचना, खेती के कार्यों से आदान तथा उत्पादन का संबंध एवं विभिन्न राज्यों में प्रमुख फसलों के उत्पादन की लागत, कृषि संबंधी कार्यक्रमों के व्यवस्थात्मक पहलू, कृषि-विकास के परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों के प्रभावों, आदि के अध्ययन करना शामिल हैं।

(ख) तथा (ग) इन अधिकांश अध्ययनों के परिणाम, विकासात्मक कार्यक्रमों तथा नीतियों के फलस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त, इन परिणामों से आधार सामग्री आदि भी उपलब्ध होती है जिससे आगामी नीतियों तथा कार्यक्रमों की तैयारी में सहायता मिलती है। लघु सीमान्त तथा कृषि श्रमिकों के विशेष कार्यक्रमों के मूल्यांकन के अध्ययनों से इन कार्यक्रमों को समझने तथा इन्हें ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सुझाव देने में सहायताा मिलती है। प्रमुख फसलों की खेती की लागत के मूल्यांकन संबंधी बृहत् योजना के अन्तर्गत होने वाले अध्ययनों के परिणाम कृषि मूल्य आयोग को उपलब्ध किये गये हैं और कृषि जिन्सों के मूल्यों के स्तरों को निर्धारित करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किये गये कृषि आर्थिक अध्ययनों से इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में सहायता मिलेगी।

अन्न उत्पादन में शीघ्र वृद्धि करने हेतु क्षेत्रों का अध्ययन

3561. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन क्षेत्रों, जहां अन्न उत्पादन में शीघ्र ही वृद्धि हो सकती है, क्या अध्ययन शुरू करने का कृषि मंत्रालय का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में अन्न उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में जिनमें उत्पादन की अधिक सम्भावनाएं हैं लेकिन जहां अभी तक अधिक उपज देने वाली किस्मों को सफलता-पूर्वक नहीं अपनाया गया है, फसल के अच्छे प्रबन्ध और कृषि आदानों का प्रयोग करने के अपने प्रयत्नों को केन्द्रित करें। पांचवीं योजना के दौरान 50 सिंचाई क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास का एक कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत लगभग 140 लाख हैक्टर क्षेत्र आयेगा और इसमें सिंचाई के लिए जल का इष्टतम प्रयोग करके अधिक फसलें पैदा की जायेंगी और फसलों की उत्पादता बढ़ाई जायेगी।

हरिजन तथा निर्धन लोगों के लिए कम लागत वाले मकान

3562. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार हरिजन तथा अन्य निर्धन लोगों के लिए कम लागत वाले मकान बनायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए गरीब लोगों के लिए कितनी हरिजन तथा अन्य कालोनियां अब तक राज्य-वार बनायी गयी हैं अथवा बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्ची पटसन के मूल्यों में वृद्धि के लिए कृषि मूल्य आयोग को दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांत

3563. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पटसन उत्पादकों द्वारा खरीदी जाने वाली अन्य अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में कच्ची पटसन के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कृषि मूल्य आयोग को कोई मार्ग-दर्शी सिद्धांत दिये हैं ;

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने किस ढंग से कच्ची पटसन के लाभप्रद मूल्य निश्चित किये हैं और गत तीन वर्षों के दौरान अन्य वस्तुओं के बाजार भावों की तुलना में उसका कितना वास्तविक मूल्य निश्चित किया गया ; और

(ग) कृषि मूल्य आयोग ने तिलहन, पटसन, कपास, गेहूं, बाजरा, ज्वार, धान जैसी अन्य कृषि वस्तुओं के क्या मूल्य गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और वस्तु-वार निश्चित किये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) कच्ची पटसन तथा कृषि जिन्सों के मूल्य निश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल है। विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ साथ यह बात भी शामिल है कि अर्थ व्यवस्था की समग्र जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए एक संतुलित एवं समेकित मूल्य ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से आयोग पटसन तथा अन्य कृषि जिंसों के लिए मूल्य नीति के संबंध में सलाह देगा। विचारार्थ विषयों में यह भी शामिल है कि मूल्य नीति तथा सम्बद्ध मूल्य ढांचे के बारे में सिफारिश करते समय आयोग नीचे लिखी बातों का ध्यान रखेगा :—

(1) उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए उन्नत तकनौलोजी अपनाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता,

(2) भूमि तथा अन्य उत्पादन संसाधनों के सही सही उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता,

(3) मूल्य नीति की शेष अर्थ व्यवस्था, विशेष कर रहन सहन के व्यय, मजदूरी के स्तर, औद्योगिक लागत ढांचा आदि पर पड़ने वाला प्रभाव,

आयोग ऐसे गैर-मूल्य संबंधी उपायों के विषय में भी सुझाव दे सकता है जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

कृषि मंत्रालय ने कच्चे पटसन के मूल्य निश्चित करने के लिए आयोग के और कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं भेजे हैं।

(ख) कच्चे पटसन के लिए साहाय्य मूल्यों की सिफारिश करते समय आयोग प्रायः खेती के खर्च, प्रतियोगी फसलों के मूल्यों, पटसन से तैयार होने वाली चीजों के मूल्य और कच्चे पटसन के मूल्यों में तबदीली करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों आदि को भी ध्यान में रखता है। 1971-72 से 1973-74 तक के तीन वर्षों में कच्चे पटसन के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए न्यूनतम साहाय्य मूल्यों और सरकार द्वारा वास्तव में निर्धारित किए गए मूल्यों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

(रु० प्रति क्विन्टल)

	कलकत्ता में असम बाटम की मूल किस्म के लिए न्यूनतम साहाय्य मूल्य	
वर्ष	आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार	सरकार द्वारा निर्धारित मल्य
1	2	3
1971-72 .	113.87	113.87
1972-73* . .	115.00	115.00
1973-74* . . .	125.00	125.00

*1972-73 से साहाय्य मूल्य वैधानिक रूप से निर्धारित किये जाते हैं।

नीचे दी गई सारणी में 1971-72 से 1973-74 के मौसम की महत्वपूर्ण विपणन अवधि (अर्थात् नवम्बर-जनवरी) के लिए पटसन उत्पादक राज्यों के महत्वपूर्ण केन्द्रों के लिए चावल (जो मुख्य स्पर्धी फसल है) के थोक मूल्य दिये गए हैं

सारणी

(रु० प्रति क्विंटल)

राज्य/केन्द्र	किस्म	1971-72	1972-73	1973-74
1	2	3	4	5
कूच बिहार	सामान्य	100–150	115–135	135–275
वला उरघाट . . . (पश्चिम बंगाल)	बढ़िया	107–118	116–155	135–310

1	2	3	4	5
बिहार				
पूर्नीया .	मध्यम	108–112	117–145	170–235
उड़ीसा				
कटक .	सामान्य	104–117	110–146	128–138
	आई आर-8	109–121	119–152	134–148
बालासोर	मोटा	105–120	98–129	125–147

नोट :--असम में चावल के मूल्यों पर नियंत्रण है।

(ग) कृषि मूल्य आयोग द्वारा तिलहन, पटसन, कपास, गेहूं बाजरा, ज्वार, धान तथा गन्ने के लिए सुझाए गए मूल्य संलग्न सारणी में दिये गए हैं ।

विवरण

कृषि मूल्य आयोग द्वारा कृषि जिसों के सिफारिश किए गए मूल्य

जिन्स	विपणन	कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किया गया न्यूनतम साहय्य मूल्य (रु० प्रति क्वि०)	गत वर्ष की तुलना में % वृद्धि	आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अधिप्राप्ति मूल्य (रु० प्रति क्वि०)	गत वर्ष की तुलना में % वृद्धि
1	2	3	4	5	6
धान (स्टेंडर्ड किस्में)	1971-72	46.00		47.00 से 56.25	
	1972-73	48.00	4.4	49.00 से 58.00	4.3 तक
	1973-74	—		63.00*	8.6 से 28.6
ज्वार (एफ ए क्यू) .	1971-72	45.00		45.00 से 55.00	
	1972-73	45.00	—	—	
	1973-74			63.00*	

*बुवाई के मौसम के समय उत्पादकों को आश्वासित किए जाने वाले अभिप्राप्ति मूल्य के स्तर के रूप में की गई सिफारिश।

1	2	3	4	5	6
बाजरा (एफ ए क्यू)	1971-72	45.00		45.00 से 55.00	
	1972-73	45.00	—	55.00@@	22.2 तक
	1973-74			65.00**	18.2
गेहूं (साधारण सफेद)	1972-73	—		72.00	
	1973-74	—		76.00	5.6
	1974-75	—		85.00*	11.8
				95.00**	25.0
मक्का	1971-72	45.00		45.00 से 55.00	
	1972-73	45.00		55.00@@	22.2 तक
	1973-74	—		63.00*	14.5
मूंगफली साबत	1971-72	—		85.00I	—
	1972-73	—		100.00I	17.6
	1973-74	—		—	
कपास (पंजाब अमेरिकन 320 एफ)	1971-72	@			
	1972-73	142.00			
	1973-74	170.00	19.7		
जूट (आसाम बोटम्स)	1971-72	113.87			
	1972-73	115.00	1.0		
	1973-74	125.00	8.7		
सोयाबीन	1971-72			85.00I	—
	1972-73			100.00I	17.6
	1973-74			—	
सूरजमुखी के बीज	1971-72			—	
	1972-73			125.00I	
	1973-74			—	

**विपणन मौसम के समय 1973-74 की फसल के लिए सिफारिश किया गया अधिप्राप्ति मूल्य।

@कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की थी 1971-72 के दौरान काटन लिन्ट की विभिन्न किस्मों के न्यूनतम साहाय्य मूल्य 1970-71 मौसम के लिए घोषित किये गये मूल्यों के समरूप आधार पर 5 प्रतिशत बढ़ाए जाने चाहिए।

@@1972-73 मौसम के लिए 55 रु० प्रति क्विन्टल के अधिप्राप्ति मूल्य के अतिरिक्त 2 रु० प्रति क्विन्टल के एक तदर्थ प्रीमियम की भी सिफारिश की गई थी।

Iखरीद मूल्य के रूप में की गई सिफारिश।

1	2	3	4	5
गन्ना	1971-72	7.37&		
	1972-73	8.00&	18.0£	12.6 !
	1973-74	8.00&	--	6.6$

&इस आयोग ने 9.4 प्रतिशत से अधिक वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए प्रति क्विंटल 6.6 पैसे के प्रीमियम से 1971-72 के मौसम के लिए 9.4 प्रतिशत की मूल वसूली और उससे कम की वसूलियों के लिए 8.4 प्रतिशत तक की ऐसी ही छूट के आधार पर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की थी। 1972-73 मौसम के लिए जो मूल वसूली की सिफारिश की गई थी वह 1972-73 मौसम के लिए 9 प्रतिशत से अधिक वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 7.5 पैसे प्रति क्विन्टल के प्रीमियम सहित 9 प्रतिशत थी। 1973-74 के मौसम के लिए मूल वसूली के जिस स्तर की सिफारिश की गई थी वह 8.5 प्रतिशत से अधिक वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 9.4 पैसे प्रति क्विन्टल के प्रीमियम सहित 8.5 प्रतिशत थी।

£पिछले मौसम की वृद्धि की प्रतिशतता 8.5 प्रतिशत की वसूली की मूल मानते हुए निकाला गया है।

$पिछले मौसम की वृद्धि की प्रतिशतता 9.4 प्रतिशत की वसूली को मूल्य मान कर निकाला गया है।

वर्ष 1974-75 के लिए पश्चिम बंगाल से उर्वरक के बारे में अनुरोध और इसका अन्य राज्यों को आवंटन

3564. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने आगामी वर्ष के लिए केन्द्र से 2 लाख 13 हजार टन उर्वरक की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कितनी मात्रा नियत की गई है; और

(ग) आगामी वर्ष के लिए अन्य राज्यों के लिए अलग-अलग, राज्यवार कितनी मात्रा नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खरीफ (फरवरी–जुलाई) 1974 के लिए पूर्वी राज्यों की उर्वरक सम्बंधी मांगों का अनुमान लगाने के लिए फरवरी, 1974 में आयोजित किये गये उर्वरक विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन में पश्चिम बंगाल सरकार ने आगामी मौसम के हेतु 2.35 लाख मीटरी टन पोषण तत्वों की मांग की थी।

(ख) राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद राज्य सरकार द्वारा बताये गए उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार को 55.88 हजार मीटरी टन पोषक तत्व आवंटित किये गये थे।

(ग) केवल खरीफ (फरवरी-जुलाई) 1974 मौसम के लिए ही राज्यों के आंवंटनों को अन्तिम रूप दिया गया है। रबी (अगस्त 74-जनवरी 75) मौसम के लिए आवंटनों को मौसम के शुरू होने से पहले अर्थात् किसी समय जून या जुलाई 1974 में अन्तिम रूप दिया जायेगा। खरीफ 74 मौसम के लिए विभिन्न राज्यों को किये गये आवंटनों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध I) **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 6457/74]**

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक के दाने बनाने वाला एकक

3565. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक स्थापित किये गये उर्वरक के दाने बनाने वाले एककों की राज्यवार संख्या क्या हैं;

(ख) आगामी वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने उर्वरक के दाने बनाने वाले एककों को स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कूच-बिहार, पश्चिम बंगाल में इस प्रकार का कोई एकक स्थापित करने पर विचार किया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) सहकारी क्षेत्र में गठित किये गये दानेदार उर्वरक एककों की राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	एककों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र .	9
2.	कर्नाटक .	2
3.	पंजाब	3
4.	तमिलनाडु	1
5.	बिहार	1
6.	उड़ीसा .	1
7.	हरियाणा	1
8.	मध्य प्रदेश	1
		19

(ख) अगले वित्तीय वर्ष (1974-75) में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी दृष्टि से अल्प विकसित राज्यों में से केवल एक में सहकारी दानेदार उर्वरक एकक के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सहकारी विपणन परिसंघ द्वारा मेमारी में एक दानेदार उर्वरक एकक की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए मिला अनुरोध इसके विचाराधीन है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को पश्चिम बंगाल सरकार से कूच बिहार में ऐसी कोई यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

दिल्ली परिवहन निगम के पास चलने योग्य बसें

3566. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 में दिल्ली परिवहन निगम के पास चलने योग्य कितनी बसें थी; और

(ख) उन बसों में से कितनी बसें अलग-अलग पब्लिक स्कूलों और शादियों के लिये ठेके पर चलती हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1514

(ख) जनवरी, 1973 के महीने में विभिन्न तारीखों को शादियों के लिये 121 बसें भाड़े पर दी गईं। उसी महीने में पब्लिक स्कूलों को भाड़े पर दी गई बसों की संख्या 179 थी।

1971-72 और 1972-73 के दौरान एफ० सी० आई० द्वारा हानि के लिये जिम्मेवारी निर्धारित करना

3568. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एफ० सी० आई० ने 1971-72 और 1972-73 के दौरान विभिन्न कारणों से होने वाली हानि के लिये कोई जिम्मेवारी निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो किन पर, कितनी और इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में विदेशी पशु नस्ल सुधार फार्म स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध

3569. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त राज्य में एक विदेशी पशु नस्ल सुधार फार्म स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध किया है;

(ख) इस प्रकार की परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार सामान्यत: किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को मान लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस सीमा तक ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) भारत सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 12 बड़े विदेशी पशु प्रजनन फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा एक फार्म स्थापित करने के लिए स्थान की पेशकश की है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सामान्यतः ऐसी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है।

(ग) प्रस्तावित स्थान के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पूर्व निर्मित आवास कारखाना स्थापित करना

3570. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा बम्बई में पूर्वनिर्मित कारखाना स्थापित किये जाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस कारखाने की क्या आवश्यकतायें हैं; और

(घ) यह कहां स्थापित होगा?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ओम मेहता : (क) तथा (ख) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से, पूर्वविरचित मकानों के उत्पादन के लिए एक फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन था परन्तु योजना आयोग ने, जिसको यह परियोजना स्वीकृति के लिए भेजी गई थी, सलाह दी है कि यद्यपि इस परियोजना का बम्बई जैसे स्थान में होना उपयोगी होगा, इसकी स्थापना पूर्णतः महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम के रूप में की जानी चाहिये। महाराष्ट्र सरकार कों तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी द्वारा बनाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित फैक्टरी के लिए 240 लाख रुपये की कुल पूंजी की आवश्यकता का हिसाब लगाया गया है।

(घ) प्रस्तावित फैक्टरी को बम्बई में आरेय मिल्क कालोनी के निकट लगाया जाना था।

दिल्ली में नये कालेजों और शैक्षिक संस्थाओं का खोला जाना

3571. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में नये कालेजों और शैक्षिक संस्थाओं को खोलने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का वर्तमान कालेजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) सरकार द्वारा 1974-75 के दौरान कोई नया कालेज खोलने का विचार नहीं है। किन्तु कुछ उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय का भौतिक सुविधाओं तथा पुनर्गठन की वैज्ञानिक व्यवस्था के माध्यम से 1974-75 के दौरान वर्तमान कालिजों में लगभग 1000 अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करने के लिये सभी संभव प्रयास करने का विचार है।

चालू वर्ष में सार्वजनिक वितरण के लिये अनाज की अतिरिक्त आवश्यकता

3572. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये अनाज की लगभग 50 लाख टन की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) आगामी महीनों के लिए सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों की अतिरिक्त वसूली में तेजी लाकर और यथा संभव आयात कर स्टाक की भरपाई करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में पाराद्वीप पत्तन के विकास कार्यक्रम

3573. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री पारादीप पत्तन के विकास के बारे में 5 मार्च, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन का और अधिक विकास करने के कार्यक्रम तैयार किये हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम में जहाज निर्माण का कार्यक्रम भी शामिल है, और

(ग) क्या केन्द्र सरकार पारादीप बन्दरगाह की कुछ लागत उड़ीसा सरकार से भी वसूल करेगी?

नौवहन और परिवहन मंत्रालयय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) अपने-अपने राज्यों में शिपयार्ड स्थापित करने के लिये विभिन्न समुद्रवर्ती राज्य सरकारों और विभिन्न स्थानों से सुझाव प्राप्त हुये। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण स्थलों, जिनमें पारादीप भी शामिल है, का तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करने तथा उन जहाजों की किस्में और आकार बनाने के लिये जिनका अनुशासित स्थलों पर लाभप्रदता से निर्माण किया जा सकता है, के लियें एक तकनीकी आथिक कार्य दल बनाया गया, दल नें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। दैश में शिपयार्ड कें निर्माणस्थल के बारें में कोई अन्तिम निर्णय नही किया गया है।

(ग) जी नहीं।

एफ० सी० आई० के कार्य में परिवर्तन

3574. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एफ० सी० आई० के कार्य में कोई परिवर्तन किया जाने वाला है और क्या इस ढांचे में कोई परिवर्तन करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जी नहीं। लेकिन राज्य निगम जब कभी अधिप्राप्ति और वितरण संबंधी कार्यों को लेने के लिये तैयार होते हैं तब भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियों में कमी हो सकती है।

सस्ते क्वार्टरों का नमूना

3575. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों के लिये 3000 रु० तक की लागत के सस्ती किस्म के क्वार्टर बनाने की कोई नई योजना है; और

(ख) क्या सरकार की अनुमति के लिये किसी एजेन्सी ने कोई नमूना बनाया है; और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) जहां तक नगरीय क्षेत्रों का संबंध है, मजदूरों के लिये ₹ 3000/- रुपये तक की लागत के सस्ते किस्म के मकानों का सन्तोषजनक डिजाइन बनाना सम्भव नहीं पाया गया है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये, राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने 1750 रुपये तथा 1900 रुपये के बीच की लागत के डिजाइन बनाये हैं।

बारानी खेती करने और रेतीली भूमि को खेती योग्य बनाने सम्बन्धी योजना

3576. **डा० कर्णी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने एक बड़े क्षेत्र में बारानी खेती करने और रेतीली भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये योजना बनाई है; और

(ख) क्या रेतीली भूमि को बड़े पैमाने पर खेती योग्य बनाने के लिये कोई योजना तैयार की गई है अथवा तैयार की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, निम्नलिखित विषयों में अनुसंधान कर रहा है :

(I) मरुस्थलीय सस्यविज्ञान, (II) रेत के सरकते टीलों का स्थायीकरण और वनरोपण, (III) सरकती रेत को रोकने के लिये वायुरोधक और छायादायक पट्टियां जमाना और (IV) पशुपालन के

लिये चारागाहों के प्रबन्ध में सुधार । इन सभी क्षेत्रों में सुधरी विधियों की खोज कर ली गई है। अखिल भारतीय समन्वित बारानी खेती अनुसंधानप्रायोजना के अधीन इस संस्थान में बारानी फसलों के उत्पादन की नयी सुधरी विधियों के मानकीकरण पर भी काम चल रहा है। ये तकनीकें अनुसंधान संस्थान से जुड़े अग्रगामी प्रायोजना-क्षेत्र में जांची जा रही हैं। राजस्थान के मरुस्थल के सुधार के लिये सबसे बड़ा कदम 208 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली राजस्थान नहर है। यह नहर मूलतः सन् 1974 में ही बन कर पूरी हो जायेगी और तब पश्चिमी राजस्थान के लगभग 12.65 हेक्टर क्षेत्र में इससे सिंचाई की जा सकेगी। इस नहरी क्षेत्र में सिंचाई के पानी को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करने के के लिये मिट्टी और जल-प्रबन्ध की एक अग्रगामी प्रायोजना स्वीकृत की गई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वनरोपण, मिट्टी-संरक्षण और चारागाह विकास द्वारा मरु-स्थलीय क्षेत्रों के सुधार के लिये 117.25 लाख के आकलित व्यय से अग्रगामी प्रायोजनाएं चलाई गई। इसके अलावा राजस्थान के उन दस जिलों को भी वित्तीय सहायता दी गई, जो बार-बार सूखा ग्रस्त होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बारानी खेती की नई कृषि विधियों का प्रदर्शन करने के लिये जोधपुर जिले में 3200 हेक्टर क्षेत्र में बारानी खेती के विकास की एक एकीकृत अग्रगामी प्रायो-जना भी चलाई गई। रेगिस्तान के सुधार और विकास के राष्ट्रीय प्रयासों को और तेज करने के लिये विश्व बैंक से भी सहायता के बारे में बातचीत चल रही है।

गेहूं के व्यापार के नियंत्रण में लिये जाने का प्रभाव तथा खाद्य उत्पादन बढ़ाना

3577. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गेहूं के व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने के कारण गेहूं का उत्पादन कम हो गया है; और

(ख) खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार ने गेहूं के व्यापार को 1973-74 के विपणन वर्ष के शुरू में अपने नियंत्रण में लिया था। कृषि वर्ष 1973-74 के दौरान गेहूं (जिसकी बिक्री 1974-75 के विपणन मौसम में होगी) के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि कृषि वर्ष 1973-74 के दौरान गेहूं का उत्पादन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इन परिस्थितियों में मौसमी परिस्थितियां, उर्वरक ,जल आदि मुख्य आदानों की उप-लब्धि शामिल है। उत्पादन पर किसी भी कारण का प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी सरकार इस तथ्य से अवगत है कि मूल्य नीतियों का उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

(ख) खाद्यानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं: (1) बहु-फसली आदि उपाय के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों के क्षेत्र को बढ़ाना। (2) अधिक उत्पादनशील किस्मों के क्षेत्र का विस्तार करना; और (3) उर्वरक, बीज, जल, ऋण आदि आदानों की सहायता से उन्नत फसल व्यवस्था करना।

सरकारी कर्मचारियों के लिये सामाजिक आवास योजना और उनके लिए उपर्युक्त डिजाइन

3578. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने से पहले स्वयं के लिये मकान बनाने में सहायता देने के लिये "सामाजिक आवास" (सोशियल हाउसिंग) आरम्भ करने हेतु कोई उपयुक्त योजना और डिजाईन बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी,हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण तथा भूमि खरीदने के लिये गृह निर्माण अग्रिम देने की वर्तमान योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के स्थायी कर्मचारी तथा ऐसे अस्थायी सरकारी कर्मचारी जिनकी सतत सेवा की अवधि 10 वर्ष की है, 75 महीने के वेतन अथवा 70,000/- रुपये, इनमें जो भी कम हो, की अग्रिम राशि ले सकते हैं।

राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने भिन्न-भिन्न आकारों के प्लाटों के लिये उपयुक्त, विभिन्न प्रकार के डिजाइन तैयार किये हैं।

बिहार की स्थिति के बारे में

Situation in Bihar

अध्यक्ष महोदय .—सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने **बिहार की स्थिति** के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जहां कि गुजरात की भांति घटनाएं हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है, इसमें हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह एक गंभीर मामला है। सदन इस बारे में चुप नहीं बैठ सकता है, वहां खून खराबी हो रही है। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देने को कहा जाये। वहां केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस की 12 कम्पनियां बुलाई गई हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : चूंकि वहां सेना और केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस बुलाई गई है इसलिये इस मामले में केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वहां सेना को तैनात किया गया है तो मैं सरकार से वक्तव्य देने को कहूंगा

श्री योगेन्द्र झा (जयनगर) : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चूंकि डा० कर्ण सिंह यहां पर हैं इसलिये मैं एक और मामला उठाना चाहता हूं। कनिष्ठ डाक्टरों ने यह नोटिस दिया है कि उनके समझौते के मार्ग में खण्ड 7 बाधा बना हुआ है.... **(व्यवधान)**

Shri Bibhuti Mishra ((Motihari): About seven persons have died due to firing in Betia. The Govt. should throw light on these happenings. *(Interruption)*.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

Papers laid on the Table

मवेशियों पर प्रयोगों के नियंण तथा प्रयवेक्षण करने संबंधी समिति, बम्बई का वर्ष 1972-73 का लेखा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं मवेशियों पर प्रयोगों के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करने संबंधी समिति के (प्रशासन) नियम, 1965 के नियम 24 के उपनियम 4 के अन्तर्गत पशुओं पर प्रयोग का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करने संबंधी समिति, बम्बई लेखापरीक्षित लेखे (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6445/74]**

संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत गुजरात अध्यादेश तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब वी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बम्बई अभिधृति और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 7) जो 30 दिसम्बर, 1973 को गुजरात के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

(दो) बम्बई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उत्पादन (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 8) जो गुजरात के राज्यपाल द्वारा 30 दिसम्बर, 1973 को प्रख्यापित किया गया था। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6446/74]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 30(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 6447/74]**

भारतीय संग्रहालय भर्ती (संशोधन) नियम

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 की धारा 15क की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय संग्रहालय भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 फरवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 218 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6448/74]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

Leave of Absence from the Sitting of the House

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 13वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधियों तक के लिए आठ सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ।

क्या सभा इससे सहमत है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस प्रतिवेदन में एक बात मुझे अजीब लगी है, बिना किसी का नाम लिए मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ।

समिति ने एक सदस्य को उसके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य होने के कारण उसे एक बार 57 दिन तथा दूसरी बार 25 दिन छुट्टी देने की सिफारिश की है तथा दूसरे सदस्य को उसके फैक्टरी में गड़बड़ी होने के कारण 59 दिन की छुट्टी देने की सिफारिश की है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि किस प्रकार एक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्य होने के कारण संसद से अनुपस्थित रहने का औचित्य ठहरा सकता है. हम यहां एक प्रकार से भारत की जनता के प्रतिनिधि बन कर आए हैं, यदि कोई सदस्य यह कहे कि चूंकि उसके कारखाने में गड़बड़ी है इसलिए वह संसद में नहीं आ सकता है तो यह बात समझ से परे है, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम पुस्तक में कहा गया है कि प्रत्येक आवेदन-पत्र पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा। यदि समिति का कार्य केवल यह है कि वह सभा में सदस्य के शामिल न हो सकने की असमर्थता नोट करती है तो सभा को यह समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि यहाँ समिति बनी हुई है इसलिए उसे कुछ सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। यदि संसद को चलाना है तो हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि समिति ने संसद के चालू रहने के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में कार्य होने के कारण तथा फैक्टरी आदि की देखभाल के कारण दो सदस्यों को छुट्टी देने की सिफारिश की है, इस संबंध में किसी मार्गनिर्देशक सिद्धांत की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में किन्हीं खास मामलों को छोड़कर सभा के प्रति कर्त्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है। खैर यदि समिति समझती है कि निर्वाचन क्षेत्र का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है तो यह बात अलग

है। फैक्टरी की देखभाल भी एक प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र के प्रति सेवा है। मेरे विचार में इस मामले को छोड़कर, जिसे पुनः विचार के लिए समिति के पास भेजा जायेगा, हमें अन्य मामलों पर सहमत होना चाहिए। क्या हम इससे सहमत हैं?

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : इस फैक्टरी वाले मामले पर भी अब सहमत हो जाना चाहिए। भविष्य के लिए आप नियम निर्धारित कर सकते हैं, इस समय समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरे विचार में समिति ने मार्ग निर्देशक सिद्धांत के अभाव में भी अपने विवेक से सही निर्णय दिया है, इसलिए हमें इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर भी इस संबंध में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं उनको समिति के पास भेजा जाना चाहिए ताकि आगे से वे सावधानी बरतें।

अध्यक्ष महोदय : कभी हमको पारिवारिक,व्यावहारिक, व्यावसायिक मामलों को देखना पड़ता है। इसलिए हमें इस संबंध में कुछ दृष्टांत रखने चाहिएं कि सदस्यों को किन कारणों से अनुपस्थित रहना चाहिए। हम भविष्य के लिए कुछ नियम निर्धारित कर सकते हैं और किसी सदस्य के मामले में अपवाद का सहारा ले सकते हैं। यदि आप लोग सहमत हैं तो हम इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लें और बाद में सारे मामले पर पुनः विचार कर सकते हैं, इस संबंध में नियम निर्धारित किये जा सकते है ताकि यह पता रहे कि कोई भी सदस्य किसी भी कार्य के लिए सभा से कितने समय तक के लिए अनुपस्थित रह सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 13वें प्रति वेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधियों के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये :--

(1) श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

(2) श्री एम० कल्याणसुंदरम

(3) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

(4) श्री मोहन स्वरूप

(5) श्रीमती माया राय

(6) श्री ए० के० सेन

(7) श्री प्रवीण सिंह सोलंकी

(8) श्री इराज्मुद सेकैरा

क्या सभा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है?

माननीय सदस्य : जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जायेगा।

दिल्ली के अस्पतालों में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Junior Doctor's Strike in Delhi Hospitals

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का सम्मान करते हुए तथा जूनियर डाक्टरों की ओर से एक बैठक बुलाने के बारे में मुझे मिले एक अनुरोध पत्र के अनुसार 6 मार्च को पुनः बातचीत शुरू की गई। यह विचार-विमर्श जिसे स्वयं मैंने आयोजित किया, काफी दिनों तक चलता रहा। इसे एक सौहार्द-पूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया था और आम कोशिश यह थी कि इस समस्या का कोई हल ढूंढ निकाला जाये ताकि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को समाप्त किया जा सके। यद्यपि इस विचार-विमर्श के अन्त में इस समस्या का कोई हल निकल आने की संभावना अवश्य हो गई थी किन्तु, फिर भी, कोई समझौता नहीं हो सका। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खेद है कि फिर से इस बात-चीत में गतिरोध आ पड़ा है और सारे प्रयास निष्फल हो गये हैं। इस विचार-विमर्श के सम्पूर्ण ब्यौरे को मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना नहीं चाहता क्योंकि लम्बी बात-चीत के दौरान अनेक प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया था। फिर भी, हर स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब तक सारी समस्या का हल नहीं निकाला जाता और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस समझौते का विधिवत् समर्थन नहीं किया जाता तब तक किसी भी तरफ से कोई वचन-बद्धता नहीं होगी।

हालांकि सरकार ने इस मामले में अभूतपूर्व धैर्य दिखाया है, अतः मैं इस बात को अवश्य फिर से दोहराऊंगा कि यह हड़ताल पूर्णतः अनावश्यक और अनुचित है। जूनियर डाक्टरों को न्यायसंगत हक देने के लिये कोशिश करना तथा इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और हमने इस दिशा में उचित और उदार नीति अपनाने का प्रयत्न किया है। फिर भी, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमारी अनिवार्य और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे अस्पताल जन हित के लिये सामान्य रूप से काम करते रहें। हमारा इरादा इस जिम्मेदारी को निभाने का है।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार मंत्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् उस पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इन नियमों के होते हुए भी अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब कि इन में छूट दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार डाक्टरों की समस्या हल करने में असफल रही है। उत्तर प्रदेश में इंजीनियर हड़ताल पर हैं। इस मामले को सदन की सहमति को निर्देशित किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ढाई मास से डाक्टर हड़ताल पर हैं। इससे उनको एवं जनता को कठिनाइयां हो रही हैं। जनता को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रहीं। डाक्टरों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। सेवा में क्रम बनाए रखने के लिये हड़ताल की अवधि को छुट्टी

माना जाना चाहिये। इन कनिष्ठ डाक्टरों के लिए आपको कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी लम्बी अवधि से राजधानी में यह स्थिति चल रही है। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नियमों का मैं इस प्रकार का अर्थ कैसे निकाल सकता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): मंत्री महोदय के वक्तव्य में उन बातों से अधिक भी नहीं कहा गया है जो पहले ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं। मंत्री महोदय को सदन को समाचार-पत्रों की बातों से अधिक बातों की जानकारी देनी चाहिये। हम जानना चाहते हैं कि बातचीत असफल क्यों रही ? गति-रोध का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सन्तुष्ट नहीं तो चर्चा के लिए समय नियत कर सकते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये हैं ?

गुजरात बजट, 1974-75

(Gujarat Budget, 1974-75)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1974-75 के लिये गुजरात राज्य के अनुमानित आय और व्यय के लेखों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गुजरात) 1973-74

Supplementary Demands for Grants (Gujarat) 1973-74

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में वर्ष 1973-74 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें दिखाने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामला

Matter under rule 377

गुजरात विधान सभा को भंग किया जाना

Shri Phool Chand Verma (Ujjain): I want to raise, under Rule 377, the matter of dissolution of Gujarat Assembly. This is a matter of constitutional propriety. You should ask the Government to make a statement, with full facts. It should clarify three points. Did the President issue any notification dissolving Gujarat Assembly? If so, at what time? Was the President informed 8 hours after the actual dissolution? If so, why was it done like that? There should have been subsequent proclamation for variation under Art 356(2). What are the reasons for not doing it in that manner?

The Government's action amounts to contempt of President. The Prime Minister had said two days prior to dissolution that Government would not yield to fascist methods and dissolve the Assembly. But, now it has been done. Neither any declaration was made by the Prime Minister or by the Home Minister nor it was announced in the House. Press was told that President's approval had been obtained where as the fact is that the President came to know of it the next morning. The Government should give a statement clarifying all these points.

समान्य बजट 1974–75 समान्य चर्चा

General Budget 1974-75 General Discussion

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : आज जबकि देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो यह बजट बहुत ही अच्छा है। इसमें न तो अधिक कर लगाये गये हैं और न ही घाटे की बजट व्यवस्था का सहारा लिया गया है।

ऊर्जा संकट के कारण तेल की कमी को देखते हुए ऊर्जा के रूप में कोयले पर पर्याप्त बल दिया गया है। इसी दृष्टि से सरकार ने कोयले के उत्पादन को 800 टन से 950 टन तक बढ़ाने के लिये 97 करोड़ रुपये की राशि नियत की है। लगभग 1 करोड़ रु० सिंगरेनी कोयला खानों में निम्न-ताप के कार्बनीकरण संयंत्र की स्थापना के लिये नियत किया गया है। मुझे आशा है कि इसी प्रकार के अन्य संयंत्र व कोयले को गैस में बदलने के संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।

यह दुर्भाग्य की बात है कि विद्युत जनत्र की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में उद्योग तथा कृषि दोनों के लिये विद्युत का बहुत अधिक महत्व है। औद्योगिकीकरण विद्युत का एक उपोत्पाद है। पिछले वर्ष आश्वासन दिया गया था कि पांचवीं योजना के अन्त तक 400 लाख के० डब्ल्यू० बिजली का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा परन्तु इस वर्ष के बजट में केवल 330 लाख के० डब्ल्यू० की बात की गई है।

यह बहुत सन्तोष की बात है कि परमाणु ऊर्जा के विकास के लिये 167 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था न केवल तापीय बिजली के उत्पादन के लिये की गई है अपितु 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' तकनीक के अनुसंधान और विकास के लिये भी है। इस तकनीक के विकास के द्वारा ही हम थोरियम के अपने निक्षेपों का उपयोग कर सकेंगें।

हम आर्थिक विकास की गति को बल देने में असफल रहे हैं इसका कारण है कि हम उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 35 प्रतिशत स्थापित क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है। क्या हम इसमें सुधार करने के लिये नीति में परिवर्तन करेंगे अथवा इस स्थिति को सुधारने के लिये हर संभव स्रोत से विदेशी सहायता प्राप्त की जायेगी? हमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास की तीव्र गति प्राप्त करनी चाहिये। देश में भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र महत्व-पूर्ण विकास कर चुका है। भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय के अधीन उपक्रमों द्वारा इस वर्ष 429 करोड़ रुपये के उत्पादन की आशा है और यह स्थिति परिवहन की कठिनाइयों तथा विद्युत एवं इस्पात की कमियों के होते हुए है। हमारी मशीनरी में पर्याप्त सुधार हुआ है अतः जहां तक संभव हो सके हमें देश में निर्मित मशीनरी का ही उपयोग करना चाहिये।

हमारे देश में उर्वरकों की बहुत अधिक कमी है। देश भर में वित्त मंत्रालय द्वारा उर्वरक कारखाने स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है, परन्तु आंध्र प्रदेश में पांचवीं योजना में केवल एक कारखाना ही स्थापित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भी कार्यान्वित नहीं किया जायेगा क्योंकि बजट में काकीनाडा बन्दरगाह के विकास के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की गई है कि पत्तन को प्रस्तावित काकीनाडा उर्वरक कारखाने के 15 लाख टन अतिरिक्त माल की ढुलाई के योग्य बनाने के लिये तथा उसमें सुधार करने के लिये 26 करोड़ रुपये खर्च किये जायें। कृषि, पेट्रोलियम और रसायन तथा परिवहन मंत्रालयों के बीच यथोचित समन्वय होना चाहिये ताकि देश में सम्पदा, रोजगार क्षमता तथा सम्पन्नता बढ़े।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बोलने वालों की सूची यहां उपस्थित सदस्यों की संख्या से बड़ी है। लगता है कि इस विषय पर लोग केवल बोलना ही चाहते हैं, सुनना नहीं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट संवर्द्धन विरोधी, तथा मुद्रास्फीति का समर्थक है जिससे कि लोगों की परेशानियां और अधिक बढ़ेंगी।

[[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the chair*]]

बजट में जहां विकास-व्यय में केवल 262 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है वहां गैस विकास-व्यय में 430 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। राज्यों को अनुदान तथा ऋणों में 266 करोड़ रुपये की कमी की गई है। इस प्रकार सरकार को 311 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करना पड़ेगा। घाटे की बजट-व्यवस्था से सरकार 125 करोड़ रुपये तथा अतिरिक्त कराधान से 186 करोड़ रुपये प्राप्त करना चाहती है। यह अतिरिक्त कराधान देश के लोगों के लिये बहुत निर्भय कार्यवाही है।

व्यक्तिगत आय-कर की राशि में 36 करोड़ रुपये की कमी होगी परन्तु नियमित कर, सम्पदा कर तथा भारतीय पूंजी तथा एकाधिकार क्षेत्र को कुल छूट की राशि नहीं बताई गई है। उत्पाद शुल्क में 92 करोड़ रुपये तथा सीमा-शुल्क में 204 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है जिसके फलस्वरूप सामान्य-जन पर और भार बढ़ेगा जिसके लिये कि सरकार मगर मच्छ के आंसू बहाती रहती है। वस्तुत: यह बजट भारत में एकाधिकार गृहों तथा स्टाक एक्सचेंजों के लोगों के लिये परम लाभप्रद सिद्ध हुआ है। उन्हें यह बजट कांग्रेस दल के उपहार के समान मिला है जो कि उसने उन्हें उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में चुनाव लड़ने के लिये प्राप्त चन्दों के बदले दिया है। इसका प्रमाण बड़े उद्योगपतियों को कर सम्बन्धी रियायतें देना है।

अपने बजट भाषण में श्री चव्हाण ने सामाजिक उद्देश्यों वाली अर्थ-व्यवस्था की तीव्र विस्तार को ही देश की वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का दल बताया था तथा इस बजट को इस दिशा में एक निश्चित पात्र बताया था परन्तु मैं पूछता हूं कि यह पग आगे की ओर है या पीछे की ओर? इसके लिये तो यह देखना होगा कि क्या बजट मुद्रास्फीति विरोधी है क्या वह संवर्द्धन प्रधान है। एक आर्थिक माध्यम के रूप में यह बजट न तो उत्पादन बढ़ा पायेगा और न ही मुद्रा-स्फीति को रोक सकेगा। मूल्य रुकने की बजाय बढ़ते ही जायेंगे। इस बजट में अनेक स्थानों पर परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये

गये है। पृष्ठ 2, अनुच्छेद 5 में जहां राष्ट्रीय आय में वृद्धि को निश्चित बनाया गया है वहां उससे अगले पृष्ठों में चौथी योजना में सर्वतोत्मुखी संवर्द्धन के लक्ष्यों के प्राप्त न होने पर गहरा खेद व्यक्त किया गया है। संभव है मंत्री महोदय अपने बहुमत के बल पर इसके चाहे जो अर्थ बतायें परन्तु इसका वास्तविक अर्थ यहां सभा के बाहर सार्वजनिक लोगों द्वारा लगाया जाता है। जैसाकि आजकल गुजरात में है तथा कल बिहार में भी हो सकता है। और फिर उड़ीसा में भी।

अधिक वृद्धि को आप कैसे आंकते हैं। मेरे विचार से इसका आधार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होती है और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1972-73 में वर्ष 1960-61 के आधार पर 333 रुपये थी और फिर 1964-65 में 335 रुपये थी। देश में प्रतिदिन बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या 10,000 बढ़ती जा रही है। चौथी योजना के आधे भी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके इस प्रकार संवर्धन की बजाय ह्रास हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत के अभाव में औद्योगिक उत्पादन बन्द हो गया है। रेल-यातायात में अव्यवस्था ने इसकी दशा और भी बुरी करदी है। वर्ष 1975 तक स्थापित होने वाले कोयले पर आधारित बॉयलरों को विकास सम्बन्धी रियायत दी गई है। परन्तु मैं पूछता हूं कि रेलवे को ही अपने बॉयलरों के लिये कोयला नहीं मिल रहा है तो इनको कहां से मिलेगा? इसीलिये मैंने कहा था कि यह बजट संवर्द्धन विरोधी है।

अब प्रश्न है कि क्या यह बजट मूल्य में वृद्धि को रोक सकेगा? वित्त मंत्री का कहना है कि इस बजट से थोक मूल्य सूचकांक पर केवल 0.5 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा परन्तु वह देख चुके हैं कि चौथी योजना के दौरान गत दो वर्षों में भी इसी प्रकार के आश्वासन दिये गये थे परन्तु मूल्यों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कर अपवंचन को रोकने का विशेष बहाना करके ऊंचे वर्ग के लोगों को कर में छूट देकर तथा इस प्रकार प्रत्यक्ष स्रोतों से एक भी पैसा न प्राप्त करके विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं पर उत्पादन कर द्वारा 212 करोड़ रुपये वसूल करने का विचार वृद्धि संगत नहीं है। सीमेंट, इस्पात तथा उर्वरक पर लैवी से न केवल उपभोक्ताओं पर भार बढ़ेगा बल्कि आगामी योजना के लेखे को भी अस्त-व्यस्त कर देगी। कागज़ पर कर लगाने का अर्थ शिक्षा पर कर लगाना है। सत्तारूढ़ दल चाहता है कि लोग निराक्षर रहे, सही-ग़लत की तमीज़ न कर सकें और फिर उनके झूठे नारों के जाल में फंस कर कांग्रेस हर बार भारी बहुमत प्राप्त करती रहे। तम्बाकू, बीड़ी, टूथ-पेस्ट, पोस्ट कार्ड, कपड़ों, कमीज़ों आदि पर कर रेल-भाड़ों में वृद्धि आदि से आज का जीवन-स्तर और अधिक बिगड़ेगा।

गत एक वर्ष में मूल्यों में 27 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है तथा गत दो वर्षों में 47 प्रतिशत मंहगाई बढ़ी है। हालांकि चौथी योजना का 15,902 करोड़ रुपये का सरकारी व्यय का लक्ष्य प्राप्त हो गया है परन्तु मुद्रा-स्फीति के कारण रचनात्मक लक्ष्य तो केवल आधे ही पूरे हो सके हैं।

सरकार से यह आशा थी कि वह घाटे का बजट पेश नहीं करेगी क्योंकि योजना आयोग ने यही सलाह दी थी कि सरकार 1974-75 तथा 1975-76 से घाटे की बजट व्यवस्था न करे। आज निर्धन अधिक निर्धन होता जा रहा है भले ही सरकार का नारा ग़रीबी हटाने का है। वित्त मंत्री ने कहा था कि बजट में घाटा केवल थोड़ा-सा अर्थात् केवल 125 करोड़ रुपये का होगा परन्तु पहले भी हमने देखा है तथा अब भी आशंका है कि यह घाटा चौगुना पंचगुना सिद्ध होगा। पिछले वर्षों के आंकड़े इसके प्रमाण हैं। इस बार का घाटा भी कम से कम 10 गुना बढ़ेगा। पहले तो इसलिये कि इसमें खाद्य के लिये राजसहायता का हिसाब नहीं लगाया गया है केवल 100 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं जबकि वर्ष के अन्त में यह राशि 300 करोड़ रुपये तो हो ही जायेगी।

दूसरे, सरकार ने अनुमान किया है कि अब आगे मंहगाई नहीं बढ़ेगी तथा मंहगाई-भत्ता भी नहीं देना पड़ेगा; परन्तु मंहगाई भत्ते की चार किस्तें तो पहले ही दी जा चुकी हैं। आगे भी न जाने कितनी बार देना पड़ेगा।

विश्व बैंक प्रतिवेदन में यह रहस्य भी प्रकट हो गया है कि इस वर्ष भारत को 20 लाख टन खाद्यान्नों का आयात करना पड़ेगा इसके फलस्वरूप दी जाने वाली राज सहायता तथा आयात खर्च के कारण बजट का घाटा और अधिक बढ़ जायेगा।

इस बजट की सबसे दुखदायी बात यह है कि इसमें राज्यों के प्राकृति प्रकोपों के लिये वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि यह केन्द्र सरकार का नैतिक दायित्व है कि बाढ़ सूख आदि से त्रस्त लोगों की सहायता के लिये भारत सरकार तुरन्त पहुंचे। अब तक तो सरकार यह करती रही है परन्तु इस बार इसे छोड़ दिया गया है। इसके लिये तर्क दिया गया है कि बाढ़ तथा सूखे आदि के काम को राज्य-योजनाओं में रखा गया है और इसलिये उनके लिये राज्य स्वयं अपने पंचवर्षीय योजना परिव्यय में से धन जुटायेंगे। इसलिये केन्द्रीय सहायता की जरूरत नहीं है। परन्तु अब तक यह देखा गया है कि बजट के कुछ मास बाद यदि कोई ऐसी घटना हुई तो केन्द्र ने राजनैतिक दबाव में आकर कई-सौ करोड़ रुपये प्राकृतिक विपदाओं के लिये दिये हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह 125 करोड़ रुपये का घाटा बढ़ कर बहुत ही अधिक हो जायेगा।

अब मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या यह बजट संवर्द्धन प्रधान है? वर्तमान समस्याओं के स्थान पर लम्बी अवधि के उद्देश्यों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसलिये योजना-निवेश 4,171 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 1973-74 में 4,769 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् 266 करोड़ रुपये की उसमें वृद्धि हुई है। इस प्रकार अन्ततः सवर्द्धन में 30 प्रतिशत की कमी होगी क्योंकि मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं। इसलिये बजट को सवर्द्धन में सहायक नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार राज्यीय क्षेत्र में, राज्यों को 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे क्या राज्य यह कर सकेंगे। पजाब और हरियाणा जैसे अधिकांश धनी राज्यों ने भी घाटे का बजट पेश किया है। सरकार राज्यों की और अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगी? इस मामले की ओर बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यह जनता विरोधी और विकास विरोधी बजट है और केवल जन आंदोलन के द्वारा ही इस बजट को रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है।

Shri Bishwanath Roy (Deonia): This budget has been presented at a juncture when the country is faced with a serious situation resulting from two year's drought and the sky rocketing of prices. Apart from that a number of development schemes and schemes for the increase of production are being undertaken. Under these circumstances it is natural that the budget would be deficit one. Therefore, there is no use of blaming the Government on that account.

If we look at the economy of our country, it would be found that there is a wide disparity between urban economy and rural economy. This disparity shoulda be removed. The farmers, who produce food grains and other things, do not get adequate price. But when these things reach the consumers, they have to pay a very high price for them For example, when the farmers sell sugarcane, they get very little price for it. But when it is turned into sugar, the millowners earn huge profits. The millowners should also be asked to make sacrifice for consumers, but at present only farmers are being asked to ldo it.

The interest of the farmers should be proceeded and Government should fix remunerative prices for their products, so far as the steps are not taken to do this, the farmers would not get encouregement to produce more.

Today we earn 50 per cent income from Agriculture in the rural areas, but no attention is given to their development. I am thankful to the Government for mentioning in the budget for developing these areas. These days, the strike have become very frequent Something should be done to stop them, because strike have adverse effect on production Government should look into it and give special attention to this matter.

It is very necessary when any project is started, the efforts should be made to complete it expedetiously. Other wise its cost goes up. For example, when the Gandak Project was started it was estimate to cost Rs. 35 crores, but so far the amount of Rs. 141 crores have been spent on this project. Even then it is yet to be completed.

As regards the takeover of wholesale trade of foodgrains if more price had been paid to the farmers, the scheme would have been more successful and the grains would have available at cheaper rates in the open market.

I am glad that Government have provided larger assistance for expenditure on natural calamities like drought and flood, etc. on permanent basis.

डा० महिपतराय मेहता (कच्छ) : मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों और वित्त मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि आज भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भारत में एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है जो ऐसी स्थिति के लिये समान रूप से उत्तरदायी है। इससे काले धन को बढ़ावा मिलता है। मुझे समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है कि भारत के 140 अर्थ-शास्त्रियों ने वित्त मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। उस ज्ञापन में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि काले धन से 9,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच आय ही हो रही है। अर्थ-शास्त्रियों ने कुछ उपाय भी सुझाये हैं। इनमें से एक उपाय अपनी मुद्रा का विमुद्रीकरण करना है। किन्तु यह व्यवस्था इतनी शक्तिशाली है कि वित्त मंत्री भी इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हैं और वे चोर-बाजारी करने वालों के जाल में फस गये हैं और उन्होंने वांचू समिति की सिफ़ारिश मान कर अधिकतम आय-कर को 97.7 प्रतिशत से कम करके 77 प्रतिशत कर दिया है। क्या वित्त मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि कर अपवंचन करने वाले अब ईमानदारी से पूरे कर का भुगतान कर देंगे। यह बात तर्क-संगत नहीं है कि चूंकि देय कर को कम कर दिया गया है, इसलिये वे ईमानदारी से इनका भुगतान कर देंगे। क्या यह ठीक नहीं है कि गत वर्ष बड़े बड़े व्यापारियों को विकास छूट और मूल्यह्रास निधि में परिवर्तन करा कर के एक प्रकार का पुरस्कार दिया गया है।

दुर्भाग्यवश हमने एक ऐसी पद्धति अपनायी है कि हम अधिक से अधिक कर लगाते चले जा रहे हैं। जहां गत वर्ष हमने 212 करोड़ रुपये के नये कर लगाये थे, वहां इस वर्ष 292 करोड़ रुपये के नये कर लगाये गये हैं। प्रति वर्ष हम करों को बढ़ाते रहे हैं और उन करों का भार जन-साधारण पर ही पड़ता है। प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने प्रत्यक्ष करों में वृद्धि का सुझाव दिया है, किन्तु हमने प्रत्यक्ष कर लगाने के तरीकों का ध्यान न करके इस बजट में 90 प्रतिशत के अप्रत्यक्ष कर लगाये हैं और 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त 212 करोड़ रुपये के नये करों में से हमने समाज कल्याण पर गत वर्ष कितना खर्च किया है। हमने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये व्यावहारिक रूप से कुछ भी खर्च नहीं किया है। नये करों में से हम केवल 7 प्रतिशत योजना विकास पर व्यय कर रहे हैं। गरीबी

के स्तर पर से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जो 1971 में 37 प्रतिशत थी वह अब बढ़ कर 44 प्रतिशत हो गयी है। बेरोजगारी में वास्तव में बढ़ कर दुगुनी से भी अधिक हो गई है। गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ कर दुगुनी हो गई है। देश में भिखारियों की संख्या भी बढ़ गई है। राष्ट्रीय विकास की दर 3.5 प्रतिशत है और जन-संख्या की वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत है। यदि यही स्थिति रही, तो हम 100 वर्षों में भी इस विपत्ति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब भी सत्तारूढ़ लोग मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को बदलने के लिये तैयार नहीं हैं।

यह बात ठीक है कि हमारी गरीबी बहुत पुरानी है। इसी कारण से इसका समाधान करने के लिये हमें बहुत ही कड़ा उपाय करना चाहिये। इसका स्थायी रूप से उपाय किया जाना चाहिये। यदि सरकार समय पर कड़े उपाय नहीं करेगी, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो कर विस्फोटक बन सकती है।

गुजरात के लोगों ने अभी-अभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध करके यह दिखा दिया है कि विद्रोह भी किया जा सकता है। यदि ऐसा होता रहा तो हम अहिंसा और लोकतांत्रिक समाज को बनाने के हमारे स्वप्न ढह जायेंगे।

यदि आप गरीबी को हटाना चाहते हैं, तो अमीरी को हटाना पड़ेगा। ऐसा तभी हो सकता है, यदि वित्त मंत्री ऐसा करने का साहस रखते हों। भारत की वास्तविक निधि इसकी जन-शक्ति है। हम प्रति-दिन काम के घंटों के रूप में लाखों करोड़ों रुपये खो रहे हैं जिससे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा सकते हैं। हमें यह देखना चाहिये कि चीन ने किस प्रकार अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। हमें उनके उस अनुभव से लाभ उठाना चाहिये।

अनिवार्य रोजगार योजना लागू की जानी चाहिये। कुछ लोग कहेंगे कि इतने बड़े देश में ऐसा करना असंभव बात है। इसी कारण मैंने चीन का उदाहरण दिया है कि उन्होंने इस काम को करके दिखा दिया है। हमारे पास विकल्प और साधन दोनों हैं। यदि हम ऐसा कर सकें तो जीवित रहने के लिये व्यभिचार करने की सामाजिक बुराई का अन्त हो जायेगा प्रत्येक व्यस्क को काम करना होगा। कोई भिखारी नज़र नहीं आयेगा और दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे देश का भी भला होगा और जनता का भी।

भारत में लोगों ने सोना जमा कर रखा है। इसकी सार्वजनिक बिक्री बन्द कर देनी चाहिये। साम्यवादी देशों ने ही नहीं पूंजीवादी देशों में भी ऐसा किया गया है। यदि ये दो कदम उठाये जायें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

जहां तक तेल के विकल्प का सम्बन्ध है, हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफ़ी अर्से से भारी मात्रा में लिग्नाइट बेकार पड़ा है। पश्चिम तट पर कोयला ले जाना बहुत कठिन है। परन्तु किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया।

इस बजट में प्राकृतिक आपदाओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गत 6 वर्षों में पांच बार निरन्तर अकाल पड़ चुका है। इस वर्ष वहां के लोगों को मेहनत करने का भी काम नहीं मिला हालांकि वहां पर नमक के काफी काम हैं। वहां पर बाक्साइट, लिग्नाइट और अनेक अन्य खनिज हैं जिनका विकास किया जा सकता है। परन्तु मूलभूत ढांचा उपलब्ध किया जाना चाहिये। रेलवे की व्यवस्था की जानी चाहिये। गांधीधाम से भुज तक और गांधीधाम से बरास्ता

मांडवी लखपत तक दो रेल लाइनें बिछाई जानी चाहियें । हमें अर्थात् कच्छ की जनता को वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है । सरकार को हमारे लिये पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिये । खोसला आयोग के अनुसार नर्मदा ही एक-मात्र हल है ।

Shri Ram Hedao (Ramtek): The Finance Minister has tried to please common people as well as capitalists. The Government cannot displease capitalists because they cannot rule without their cooperation. The result is that the rich is becoming richer and the poor still poorer. The flight of the poor is miserable and is very difficult to make both ends meet. No effort is being made to mitigate his sufferings in this democracy. Have they no right to survive in this country? The Government is helping the capitalists by reducing the taxation from 97 per cent to 77 per cent. I want to know the reasons for this concession. The rise in prices of kerosene, petrol and post cards and other essential commodities would increase the sufferings of the common man. There is no provision for the uplift of the downtrodden in this budget. There is wide gap between rural and urban population. The condition of agricultural labour is deteriorating. They do not get what they deserve. The Government should establish industries in rural areas in order to give employment to rural population. In fact, village industries are disappearing because Government has not paid any attention towards them. If Government fails to provide employment to crores of people living in rural areas, the productions cannot be increased. The Government should pay special attention towards agriculture if they want to become self-reliant in foodgrains. They should implement irrigation schemes and the farmers should cooperate with the Government in raising the output of foodgrains.

The corruption is rampant in all walks of life for which Government is fully responsible. Everyone wants to earn money by hook or by crook. The Government should provide protection to the common man from the exploitations of the capitalists. The Government should give guarantee that the prices of essential commodities would not be increased. More funds should be provided for the development of agriculture and increasing production. The cottage industries should be revived. More industries should be set up in rurul and undeveloped areas. The Government should utilise man-power available in the country in order to solve the problem of unemployment and increasing production. The expenditure on unproductive items should be reduced. Corruption, hoarding, illegal gratification and profiteering must be checked. Stringent measures should be taken to realise the taxes, in order to check inflation and black money circulation of 100 rupee notes should be stopped.

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : वर्ष 1971 से घाटे के बजट प्रस्तुत किये जा रहे हैं । इसका कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन कम होना है । हड़तालों और सूखा पड़ने के कारण उत्पादन कम हुआ है । वित्त मंत्री ने कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के कारण घाटे की अर्थव्यवस्था करनी पड़ी है । परन्तु जब सिफारिशें की गई थीं तब सरकार को उनकी क्रियान्विति के लिये साधन जुटाने चाहियें थे । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक भूमि में खेती की जानी चाहिये तभी स्थिति में सुधार हो सकता है । जिस भूमि में नमक या खारापन है उसको खेती योग्य बनाया जाना चाहिये ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके । इस सम्बन्ध में चम्बल की घाटी का, जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है, उल्लेख करना आवश्यक है । इन घाटियों में चम्बल नदी और यमुना नदी के पानी का उपयोग किया जा सकता है । यदि हम भूमि और इन जल संसाधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करें तो हम अन्य प्रयोजनों के लिये धन का उपयोग कर सकते हैं ।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और उपक्रमों के लिए योजनाओं को बनाते समय यह बात ध्यान में रखनी अत्यावश्यक है कि संयंत्रों के रखरखाव और मशीनरी को बदलने के लिए पर्याप्त मात्रा

में प्रावधान किया जाये । अभी हाल में मैंने कुछ संयंत्रों का निरीक्षण किया था, मैंने पाया कि इनमें मशीनें लगभग 25 साल पुरानी हैं और वे उतना उत्पादन नहीं कर पातीं जितने उत्पादन की उनसे उम्मीद की जाती है । इसलिए इन संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से कम साधन सम्पन्न लोगों ने ऋण लेकर टैक्सी, स्कूटर आदि चलाकर अपनी रोज़ी चलाने का साधन बना लिया था । अब पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने से लोग टैक्सी और स्कूटरों का कम प्रयोग करते हैं । इसके परिणामस्वरूप टैक्सी वालों की आमदनी आधी से भी कम रह गई है, जबकि टैक्सी वालों को लगभग 600 रु० प्रति माह ऋण की अदायगी के लिए किस्त के रूप में देनी पड़ती है । इनकी सहायता करने के लिए कुछ न कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए । पेट्रोल से प्राप्त अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को परिवहन के विकास पर व्यय किया जाना चाहिए था, परन्तु परिवहन अभी भी एक समस्या बना हुआ है ।

'वित्तीय नियम पुस्तिका' (फाइनेंशियल हैण्डबुक) अभी भी हमारी नौकरशाही व्यवस्था में मार्गदर्शन का काम करती है । जिस प्रकार पुरानी शिक्षा प्रणाली नये ढांचे के अनुरूप नहीं है, उसी प्रकार नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रक्रिया में भी परिवर्तन करना आवश्यक है ।

ओवरटाइम व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए और असाधारण व्यवस्था में ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए । ओवरटाइम के बजाये अधिक लोगों को रोज़गार उपलब्ध करके बेरोज़गारी की समस्या को कम किया जाये ।

यह ठीक ही है कि रुपये के घटते हुए मूल्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने यह ठीक ही कदम उठाया है कि आयकर से छूट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 6,000 रु० कर दिया गया है । यह एक सराहनीय कदम होता, अगर आयकर से छूट-प्राप्त सीमा को 6,000 रु० से बढ़ाकर 7,500 रु० कर दिया जाता ।

जो साबुन 65 पैसे में उपलब्ध हो जाता था, वही साबुन की टिकिया अब लगभग 1 रुपये में मिलती है । शहरों में दातुन भी आसानी से नहीं मिलती । अब साबुन और टूथ पेस्ट का गांवों में भी बहुतायत से प्रयोग होने लगा है । साबुन और टूथपेस्ट पर कर लगाने का मैं अत्यधिक विरोध करती हूं ।

पोस्टकार्ड के मूल्य को बढ़ाने से गरीब लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । यही एक ऐसा साधन है जिससे गरीब लोग एक दूसरे से सम्पर्क रख पाते हैं । गरीब लोगों को इस सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

दिल्ली के साथ आगामी वर्ष के बजट में अन्याय किया गया है । दिल्ली को आगामी वर्ष के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 14 करोड़ रु० गैर-योजना कार्यक्रमों के लिए रखे गये हैं । इस केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में सामाजिक विकास और प्रभावी ढंग से कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस आवंटित राशि के बारे में पुनः विचार किया जाना चाहिए ।

पिछले वर्ष ब्रिटिश बादशाह के चित्र वाले सिक्के मैंने उप-वित्त मंत्री को दिखाये थे । मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि इस प्रकार के सिक्के अभी भी प्रचलन में हैं ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगी कि अपने वित्तीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समय हमारा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : यह बड़े अफसोस की बात है कि इस समय देश एक संकट की स्थिति से गुजर रहा है । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश की अर्थ व्यवस्था के ढांचे को चकनाचूर करने के लिए देश की जनता का एक वर्ग सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र कर रहा है और विभिन्न राज्यों की अभी हाल की घटनायें इस बात का प्रमाण हैं ।

हर साल बजट प्रस्ताव पेश किये जाते हैं । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों—दोनों के मामले में यह एक आम बात हो गई है कि घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लिया जाये । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में आवश्यक आर्थिक ढांचे का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था को अनुशासित नहीं किया है । हमारी अर्थव्यवस्था का विकास और उसकी प्रगति विभिन्न राज्य सरकारों के व्यवहार पर निर्भर करती है ।

राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों के आर्थिक और वित्तीय पहलुओं को अनुशासित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ? अब तक प्रारम्भ कार्यक्रमों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और जनशक्ति उपलब्ध है । मैं वित्त मंत्रालय से यह अनुरोध करूंगा कि प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए कार्यवाही की जाये ।

नदी जल समस्याओं के कारण देश की आर्थिक प्रगति में अवरोध उत्पन्न होता है । नदी किसी एक राज्य की न होकर सारे देश की होती है । कृष्णा नदी जल विवाद के बारे में कोई निर्णय न लेने से सारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इतनी अधिक मुद्रा स्फीति होने पर भी हम खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं ।

योजना आयोग और विभिन्न राज्यों में काम कर रही नौकरशाही शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि वहां की भर्ती पद्धति त्रुटिपूर्ण है । इस बात की जांच की जानी चाहिए । नौकरशाही व्यवस्था इस देश की प्रगति में बाधक हो रही है । वे इस देश के योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं होने दे रहे हैं ।

कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों को 10,000 रु० से 15,000 रु० प्रति माह दिया जाता है । जो धन देश का है, उसका ये निदेशक दुरुपयोग कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है ? जब तक इन कम्पनियों पर प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जाता और आमदनी के अनुसार कर की वसूली नहीं की जाती, देश की अर्थ-व्यवस्था का विनाश हो जायेगा । 'कर्नाटक फर्टीलाइजर कम्पनी' में कर्नाटक सरकार के 51 प्रतिशत शेयर है और भारत सरकार ने भी इसमें सहयोग किया है । इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशकों ने इस कम्पनी में अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर लिया है । इस कम्पनी में अभी उत्पादन भी शुरू नहीं हुआ है । इस प्रकार यह कम्पनी घाटे में चल रही है ।

प्रत्येक कम्पनी घाटे में चलती हुई दिखाई जाती है, जबकि वस्तुतः वह लाभ अर्जित कर रही होती है । प्रशासन ने इस धन को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है । सरकार काले धन का पता लगाने में भी असफल रही है, क्योंकि सरकार ने वांचू समिति की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार

नहीं किया है । कृषि आय सम्बन्धी राज समिति की सिफारिशों को भी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है । इस तरह से किस प्रकार प्रशासन चल सकेगा ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच काफी अन्तर है । ग्रामीण सम्पत्ति के लिए तो अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, परन्तु शहरी सम्पत्ति के बारे में राज्य सरकारों ने कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है ।

मूल्यों में वृद्धि और नये करों की वजह से गरीब लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है । देश में पर्याप्त मात्रा में धन है, परन्तु उसे वसूल करने के लिए कोई स्थायी मशीनरी नहीं है । 5,000 करोड़ रु० की धनराशि का कर अपवंचन किया गया है । हमारे सरकारी क्षेत्रों के कारखानों में 6,000 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है ।

देश में इस्पात की कमी है । कर्नाटक में विजयनगरम स्टील प्लान्ट का प्रधान मंत्री ने वर्ष 1970-71 में उद्घाटन किया था, परन्तु बजट में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है । इस प्रकार की प्रमुख इस्पात संयंत्र की योजना केन्द्र के विचाराधीन पड़ी है । इसी प्रकार बड़ी सिंचाई परियोजनायें केन्द्र के विचाराधीन पड़ी हैं । हो सकता है कि बाद में केन्द्रीय सरकार को इन पर अधिक धन व्यय करना पड़े ।

विजयनगरम इस्पात संयंत्र में पूंजी लगाने के बारे में वर्ष 1972 में निर्णय लिया गया था । परियोजना का प्रथम चरण 1980-81 में पूरा होगा । अभी तक भारत सरकार ने इस परियोजना पर केवल 105 लाख रुपये खर्च किये हैं, जबकि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और जल सप्लाई आदि के बारे में कार्यवाही की है । केन्द्रीय सरकार ने सेलम इस्पात परियोजना के लिए संयंत्र और मशीनरी के आयात के लिए कार्यवाही की है, परन्तु इस परियोजना के लिए ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है । इस परियोजना से केवल कर्नाटक को ही नहीं, बल्कि सारे देश को लाभ होगा । इसलिए मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार विजयनगरम इस्पात संयंत्र के बारे में शीघ्र कार्यवाही करेगी ।

Shri Nanubhai N. Patel (Bulsar): Before expressing my views on the Budget, I would like to say that to-day is the day of great happiness for this House and for the whole country, particularly for Gujarat because Legislative Assembly of Gujarat has been dissolved.

Agitations are going on all over the country on the question of availability of food-grains. Subsidy should be paid for food articles and other essential commodities so that people may get them at cheap rates. Prices have gone up considerably after the presentation of the Budget. Its main reason is that the Government do not give remunerative prices to the farmers for their produce. Agricultural inputs should be given to the farmers at subsidised rates.

In the present Budget, a proposal has been made for providing 36 crores rupees to Bangladesh. It would have been better if there had been any provision to give this amount to our starving people. But the heavy taxes are being imposed instead.

No provision has been made in this Budget for the Narmada Dam. The Prime Minister should take a decision in this regard as early as possible.

The performance of the Banks after their nationalisation has deteriorated. If any customer gives commission, he can get his work done while others who do not give commission suffer. It should be looked into.

Excise-duty has been imposed on Cement and Match-box: Similarly, the price of post-card has also been increased. It is a burden on the common man. Proper provision should be made for the recruitment and promotions of the tribals in the services.

The work on Ukai Dam is on. It is not known when will it be completed. If this project is completed, South Gujarat will be able to get more electricity.

There is shortage of coal after the nationalisation of the coal mines. A number of trains have been cancelled due to coal shortage. We are not opposed to nationalisation but there should not be any sort of shortage of the articles which are nationalised. The Government employees should be given all the essential commodities at subsidised rates. Then there will be no requirement of increasing dearness allowance.

Shri Narendra Singh Bist (Almora): There are certain salient features of this Budget. Direct Taxes have been reduced from 97.5 per cent to 77 per cent. It is a good step. Apart from this, exemption limit from Income Tax upto six thousands rupees is also a good step. Imposition of excise duty on luxury items is also a good step. I appreciate the national programmes for minimum requirements.

Now I come to certain shortcomings of the Budget. To increase the price of post-card is tantamount to increase the burden on the poor.

Recommendations have been made in the report of the Wanchu Committee about permit quota, licence and unearthening the black-money. No effort to implement them has made in this Budget. The principle of 'equal wages for equal work' should be implemented. Only then the disturbances will come to an end.

The Government should remove the resentment prevailing among the youth and they should not view this problem politically.

Attention should be paid to develop all the eight hilly districts in Uttar Pradesh which are backward. A cell was created in the Planning Commission for the development of these areas. It is learnt that a sum of Rs. 203 crores will be earmarked for these areas in the Fifth Plan.Now certain changes are being made in the Plan. It is hoped that this amount will not be reduced.

23.7 per cent villages in Uttar Pradesh have been electrified but so far as these hilly areas are concerned, only 2.9 per cent areas have been electrified.

There are large deposits of minerals in these hilly areas but no survey has been made to find out the minerals. Transport subsidy is being given to hilly areas. This subsidy should also be given to these areas.

Medical facilities should be provided in these hilly areas.

Educational facilities are being provided in these areas but if the employment is not provided to the people of these areas, they are likely to become communists.

The Government is paying attention to develop backward areas but so long as there are no infra-structures, how the industries will come up. Therefore, infra-structure should be built up first.

Arrangement should be made to make drinking-water available to the people of these hilly areas.

The Government has not allotted the amount to these 8 tribal blocks equal to the amount given to other tribal areas. The Government should pay attention to these areas.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): The hon. Finance Minister said before his Budget speech—

'Greater social justice and self-reliance.'

How can it be implemented. On the one hand, the minimum income is Rs. 40/- and on the other a sum of Rs. 10,000/- is being paid to the President. What sort of this social justice is?

The Government should decide first as to what should be the ratio of salary.

I fail to understand what sort of the friendship is there with the Arabs countries. They have increased the prices of crude. We shall have to import crude worth Rs. 9800 crores.

Since our expenditure is unproductive, it has generated inflation. The Government should stop unproductive expenditure and if it continues, the inflation is not going to be checked.

The Government has made a provision of Rs. 150 crores for the implementation of the recommendations of the Third Pay Commission but have they ever thought about the lot of the farmers and workers? The interest of the farmers and the workers should be protected.

The Central Government gives grants to the States for execution of various projects of the States but the States do not show proper response. This has resulted in inflation. If the State Governments do not work, they should be wound up and unitary government set-up.

I would like to say that the tax has been imposed on Cement but the cement use by the farmers should be made tax-free.

Similarly rebate should be given to farmers in respect of diesel and crude. This can be done on the basis of a certificate to be produced by the farmers.

No tax should be imposed on other agricultural inputs so that production may go up.

Development works should not be done through Panchyats and co-operatives. A separate organisational set should be there which can execute development works.

Regional imbalances in the matter of development should be removed.

Tax should not be imposed on coarse and medium cloth.

The increase in price of post-card is not reasonable. It should be withdrawn.

The ratio of per capita income in the country should not be more than 1:5.

Tax has also been imposed on paper. It will be a burden on the poor students. This tax should be minimised.

If the Government is interested in the welfare of the country, they should provide uniform education.

If the Government want to see democracy in the country. I would like to say that the President, the Union Minister, Officers of all India services. State Ministers and the Governors should show austerity and honesty.

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : चूंकि केन्द्रीय सरकार का बजट उसकी आर्थिक नीति का मुख्य माध्यम है इसलिये इसका प्रमुख उद्देश्य वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दीर्घावधिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए ।

वित्त मंत्री श्रेय के पात्र हैं कि उन्होंने देश में तथा विदेशों में व्याप्त गम्भीर आर्थिक संकट की घड़ी में यह बजट तैयार किया है ।

इस सभा में कराधान प्रस्तावों और खर्च में परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं महसूस करता हूं कि विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय के लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकता है जब हम संसाधन जुटाने के नये अवसरों का पता लगायें ।

हम देखते हैं कि अपने देश में विशेषकर युवकों तथा छात्रों में उत्साह है । हमारी सरकार उनके इस उत्साह को उचित मार्ग पर ले जा सकती है और विकासशील अर्थव्यवस्था में नई सम्पदा का निर्माण करने में सहायता कर सकती है । मेरा सुझाव है कि नवीं कक्षा पास करने के बाद सभी छात्रों से कहा जाये कि वे पूरे एक वर्ष की भूमि प्रधान कार्यक्रमों की राष्ट्रीय सेवा करें । इससे राष्ट्र को बहुत लाभ होगा ।

हमारे देश के प्रत्येक स्कूल और कालेज को क्रमशः 5 एकड़ और 10 एकड़ भूमि आवंटित की जानी चाहिए जहां छात्रों को खेती करने के लिये कहा जाना चाहिए । वे इतना अधिक खाद्यान्न और सब्जियां पैदा कर सकें ।

प्रत्येक जिले में आवश्यक शक्तियों वाले कुछ प्राधिकरण बनाये जाने चाहियें जो बढ़ई और राजगीरों को अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान कर सकें । उस प्राधिकरण को प्रत्येक जिले में 50,000 मकान बनाने का काम सौंपा जाना चाहिए ।

यदि केरल जैसा छोटा राज्य अपने सीमित साधनों द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से एक लाख घरों का निर्माण कर सकता है तो यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं किया जा सकता ?

{ **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुये**
Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair }

मेरा सुझाव है कि महानगरों विशेषकर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के 25 मील क्षेत्र के अन्दर की सारी भूमि सरकार को अपने अधिकार में ले लेनी चाहिये । इस जमीन पर मकान बनाये जाने चाहियें ताकि इन्हें सस्ते किराये पर लोगों को दिया जा सके ।

अन्न समस्या का समाधान करने के लिए मेरा सुझाव यह है कि हमारी सेना को सीमा क्षेत्रों पर सेना फोर्स शुरू करनी चाहियें ताकि सेना अधिक नहीं तो कम से कम अपनी जरूरत का अनाज तो पैदा कर सके ।

हमारी योजनायें तो ठीक बनती हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन ठीक नहीं होता । हर संसदीय निर्वाचन स्तर पर संसद सदस्य के सभापतित्व में एक समिति होनी चाहिये जिसके सदस्य विधान सभा सदस्य तथा आयोजक जिलाधीश होने चाहियें ताकि योजनाओं की कार्यान्वयन की देखरेख हो

सके । संसद सदस्यों की अध्यक्षता वाली इन लोकप्रिय समितियों को उस क्षेत्र की खाद्यान्न तथा अन्य समस्याओं सम्बन्धी शिकायतें सुननी चाहियें । तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये । इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जना चाहिये कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार डीज़ल तेल तथा उर्वरक मिले ।

मेरा यह भी सुझाव है कि हर तालुके में एक ट्यूबवैल कारखाना होना चाहिये । मेरी समझ में यह नहीं आता कि ट्यूबवैल कारखाने लगाने में क्या बाधायें हैं ।

मुझे आशा है कि इन सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा ।

धातुओं के समृद्ध निक्षेपों की ओर अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है । उदाहरण के लिये मेरे राज्य के कन्नानौर ज़िले में बाक्साइट के निक्षेप हैं। कालिकट ज़िले में लौह-अयस्क के निक्षेप हैं । लेकिन सरकार ने इनकी खुदायी के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं किये हैं ।

इसी प्रकार अणु उर्जा के उपयोग में आने वाली मोनोजाईट इलमेनाईट और जरीकन जैसी धातुओं को निकालने के लिये भी कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं ।

हम अपने राज्य की 60 प्रतिशत बिजली सस्ते दाम पर अन्य राज्यों को दे रहे हैं लेकिन अपने राज्य के अन्दर उद्योगों के लिये हम सस्ते दामों पर बिजली नहीं दे पा रहे हैं ।

मैं इस बजट का स्वागत करता हूं । मुझे आशा है कि मेरे सुझावों की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री डी० देसाई (कैरा) : बजट के बारे में एक महत्वपूर्ण आलोचना की गई है कि उत्पादन में कमी रही, मूल्यों में स्थिरता नहीं रही आदि आदि । समाजवाद की परिभाषा भिन्न-भिन्न देशों के लिये भिन्न रही है । वर्तमान स्थिति में मेरे विचार में स्वीडन का समाजवाद हमारे लिये एक अच्छा उदाहरण है ।

गैर-उत्पादन तथा गैर-विकास कार्यों के लिये जो हम व्यय करते हैं वह महत्वपूर्ण है । हम इस बात का कोई ध्यान नहीं रखते कि कर के रूप में लिये हर पैसे से क्या हम उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हुये हैं ? हम कर की राशि का उपयोग गैर-उत्पादन कार्यों के लिये करते हैं । हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है । आज सरकारी क्षेत्र में 1188.10 लाख गैर सरकारी क्षेत्र में 694 लाख कर्मचारी हैं और 90 प्रतिशत राष्ट्रीय आय गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होती है । हमें ऐसी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

इस वर्ष 251 करोड़ रुपये के उपदान की आवश्यकता थी जिसके लिये बजट में केवल सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । जैसे भी हो इस हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये । वर्ष 1973-74 के दौरान राजस्व व्यय में 177 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता दिये जाने के कारण हुई है । योजना और विकास के लिये हमारे पास कोई पैसा नहीं है । हमारी योजना पूर्ववत है और इस पर आने वाला व्यय घट गया है ।

1960-66 के बीच छः वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन का औसत 9.2 प्रतिशत था और आगामी छः वर्ष के दौरान यह औसत 4.5 प्रतिशत था और आज भी स्थिति लगभग ऐसी ही है ।

कृषि के क्षेत्र में भी 1966-67 तक अच्छा उत्पादन रहा । उस समय प्रति वर्ष कृषि उत्पादन 350 लाख टन के करीब होता था और इस वर्ष भी इतनी ही मात्रा के उत्पादन की सम्भावना है ।

1965-66 के दौरान 45 लाख टन लोहे तथा इस्पात का उत्पादन हुआ और गत वर्ष का उत्पादन भी उतना ही है ।

केन्द्रीय स्तर पर गुजरात राज्य के हितों की कोई भी रक्षा नहीं हो रही है । गुजरात ने बैंकों में 700 करोड़ रुपये की राशि जमा की और इसे केवल 400 करोड़ रुपये का अग्रधन अथवा ऋण मिला । अन्य राज्यों को गुजरात की तुलना में जमा राशि के अनुपात से अधिक राशि मिली । इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में भी गुजरात देता अधिक है और लेता कम है । गुजरात की ओर सरकार को उचित ध्यान देना चाहिये । मंत्रिमण्डल में गुजरात का कोई मंत्री नहीं है । इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् (मदुरै) : 27 वर्ष की आज़ादी के दौरान किसी भी वित्त मंत्री को इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जितना कि वर्तमान वित्त मंत्री को करना पड़ रहा है । 1971 का भारत-पाक युद्ध और 1972 तथा 1973 में पड़े सूखे के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गयी जिसके लिये वित्त मंत्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । उन्होंने एक सन्तुलित तथा उत्पादनोन्मुखी बजट पेश किया है ।

बजट की विरोधी दलों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से निन्दा की है । आयकर के अधिकतम दर को 97.75 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया गया है, जो एक उचित कदम है । आयकर की सीमा छः हजार रुपये कर देने से वेतन भोगी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी ।

आने वाले वर्षों के दौरान कृषि के क्षेत्र में कुछ जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ।

किसानों का काम अब बिना उर्वरक के नहीं चलता हमें अधिकाधिक मात्रा में उर्वरक का उत्पादन करना चाहिये । उर्वरक की कीमतों में वृद्धि तथा इसकी कमी का इस वर्ष की फसलों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा । इसका सबसे अधिक विपरीत प्रभाव छोटे किसानों पर पड़ेगा ।

दुर्भाग्यवश जब हम आवश्यक योजनाओं की बात करते हैं तो गांव के लोगों को भूल जाते हैं । सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कुछ आवास योजनाएं बनानी चाहिएं ।

यह बड़े दुःख की बात है कि स्वाधीनता के 27 वर्षों के पश्चात् भी देश के हजारों गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है । क्या यह शर्मनाक बात नहीं है ?

किसानों की सहायतार्थ बीमा योजना की व्यवस्था की जानी चाहिये । यह बीमा योजना, जीवन बीमा या साधारण बीमा से भिन्न होनी चाहिए । आज अन्य क्षेत्रों में हड़तालों तथा बन्द का सहारा लिया जा रहा है परन्तु किसान इन सब बातों से अछूता है ।

मंहगाई और कतिपय मूलभूत वस्तुओं के उपलब्ध न होने का कारण जमाखोरी और हड़तालों तथा बन्द के कारण उत्पादन में कमी होना है । निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए हड़तालों तथा बन्द का आयोजन कराते हैं । ऐसी स्पष्टोक्ति करने का मेरा उद्देश्य यह है कि देश के हित के लिए सभी राजनीतिक दल दस वर्ष तक हड़तालों तथा बन्द न होने देने के लिए वचन दें ।

सरकार को कृषि क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए । उसे और अधिक उर्वरकों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा का अधिक मात्रा में आवंटन करना चाहिए । किसान वर्ग हड़तालों आदि से अछूता है । आप कल्पना कर सकते हैं कि वह यदि इसका सहारा लेगा तो क्या होगा ?

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सलेम इस्पात संयंत्र के लिए आवंटित धनराशि में काफी कटौती की गई है । इसका परिणाम यह होगा कि इस कार्य में लगे 7500 व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे । सरकार को और अधिक धन का आवंटन करना चाहिए । इसी प्रकार तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के लिए और अधिक धन का आवंटन किया जाना चाहिए । समाज के पिछड़े वर्गों में यह भय व्याप्त है कि उनके हितों की उपेक्षा हो रही है तथा लाभ का उपयोग केवल एक वर्ग विशेष ही कर रहा है । उसके इस भय को दूर किया जाना चाहिए । मदुरै में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): To prepare a Budget for a big country like India is a difficult job. But inspite of this, our Finance Minister has earned praises for presenting such a Budget. The year 1973-74 has been a difficult period and there is no guarantee that the year 1974-75 will pass without any troubles. There are certain problems like unemployment, underemployment epidemics etc. which need solution. For this we will have to levy taxes on certain items like liquor, televisions, scooters, refrigerators and others. The names will not be affected by there measures. Increase in telegram rates will also have no effects on general public. In this Budget, a special provision has been made for transport and shipping. This will benefit some posts and national highways.

In this connection I want to make a mention about Bihar which is a very backward State. It lacks roads. Particularly in North Bihar, sanction for the proposed road from Darbhanga to Farbisganj has not been given. This may be expedited. Besides, funds should be allocated for the bridge being constructed over river Ganga.

Due to increase in this import price of crude oil, the prices of petrol and kerosene oil have also been increased. In this matter we had no alternative. The increase in prices of inland postal letters, envelops, registered letters will affect the common man but it is hoped that they will face the situation.

The Finance Minister has done a very good thing by giving exemption in income tax upto Rs. 6000/-. It is hoped that this exemption will be welcomed and the Government will get Co-operation from the people in the payment of taxes. The Government should reconsider its measure regarding taxation on paper. The levy on Post card and paper should be removed and instead that should be imposed on items which are used by rich people.

It is good that special provision has been made for Delhi Milk Scheme and Delhi Transport Corporation. This will benefit Salaried people and weaker sections of the Society.

It is surprising that the Finance Minister has not spoken a word on black money. The Wanchoo Committee has recommended in its report to recover arrears of taxes rather their levying new taxes. The Government should try to unearth the black money.

The progress of a country depends on Agriculture. This sector has not received due consideration. Although some projects have been taken in hands but they have not been completed as yet. We merely talk of development and improvement. The Government should provide adequate funds for Kosi projects or take over the work in its hands. In the same way, if Bhakra Canal is repaired, the production can be increased. In the end, I welcome the Budget and hope the hon. Minister will remove levy on Post card and paper.

श्री निबालकर (कोल्हापुर) : मैं नहीं समझता कि किसी भी वित्त मंत्री ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो पूरी तरह से पसन्द किया गया हो अथवा नापसन्द किया गया हो । यदि अर्थशास्त्र को विज्ञान माना गया है तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने एक ही बजट पर विभिन्न रायें क्यों दी हैं ?

इस बजट पर विभिन्न रायें व्यक्त की गई हैं । किसी ने कहा है कि इस बजट में अधिक कर लगाए गए हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि ऐसी बात नहीं है । वास्तविकता यह है कि वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल में 1000 रुपये के कर लगाने के कारण इतिहास में स्थान बना लिया है । केन्द्रीय कर राजस्व 1970-71 में 2457 करोड़ रुपये से बढ़कर 1974-75 में 4736 करोड़ रुपये हो गया है । यह तर्क दिया जा सकता है कि वित्त मंत्री को अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाने पड़े । अधिभार सहित आयकर की सीमान्त दर 97.75 प्रतिशत से कम करके 77 प्रतिशत कर दी गयी है । आखिर सरकार ने यह तो महसूस किया है कि प्रशासनिक कार्य-वाहियों की अपेक्षा आर्थिक प्रोत्साहन अधिक कारगर हैं ।

इस कदम की यह कह कर आलोचना की गई है कि इससे समृद्ध व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा । परन्तु दूसरी ओर धन कर की सीमा बढ़ा दी गई है । इसी प्रकार जिन वस्तुओं पर कर लगाए गए हैं अधिकांशतः अमीरों के उपभोग की हैं और इससे कीमतों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है । इसके विरोध में यह भी तर्क दिया जा सकता है कि 270 करोड़ रुपये के जो कर लगाये गये हैं उनसे मुद्रा स्फीति के और बढ़ने की सम्भावना है । परन्तु इस प्रकार की आलोचनाएं अकारण हैं । यह कहा गया है कि क्रय पर कोई कर नहीं लगाया गया है, परन्तु इसका पूर्व परीक्षण सन्तोष-जनक नहीं रहा था । यह खुशी की बात है कि वित्त मंत्री ने इस दिशा में कुछ नहीं कहा है ।

यह शिकायत की गई है कि विमुद्रीकरण करने संबंधी वांचू समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है । इसमें संदेह है कि वर्तमान समय में विमुद्रीकरण सफल होगा या नहीं । इसके अलावा विमुद्रीकरण बजट के अंतर्गत नहीं आता है । विमुद्रीकरण को सफल बनाने के लिए वित्तीय सुधार आवश्यक हैं, वित्त मंत्री महोदय को कर लगाकर संसाधान बढ़ाने पड़ेंगे अथवा घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा । आशा की जाती है कि घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं की जायेगी ।

प्रश्न यह है कि क्या वांचू समिति की सिफारिश क्रियान्वित करने से वांछित परिणाम निकलेंगे । क्या व्यापारी, व्यवस्थायी, उद्योगपति तथा समृद्ध वर्ग के व्यक्ति इस चुनौती का साहस पूर्वक मुकाबिला कर सकेंगे ? मुझे आशा है कि वे ऐसा कर सकेंगे ।

व्यक्तिगत आय की कर सीमा 10,000 रुपये कर देनी चाहिए और यदि नहीं तो कम से कम यह 7,500 अथवा 8,000 रुपये तक की की जानी चाहिये मिट्टी के तेल की कीमत आम आदमी की क्रय शक्ति पर आधारित होनी चाहिये, इसमें साथ ही मेरा अनुरोध है कि पोस्टकार्डों की कीमतें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए । आशा है कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के वेतनमानों के संबंध में निर्णय शीघ्र लिया जायेगा । यह खुशी की बात है कि योजना के लिए धनराशि वार्षिक आवंटन युक्ति संगत ढंग से किया गया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : पिछले साढ़े तीन घंटों से केवल कांग्रेसी सदस्यों को ही बोलने का अवसर दिया गया है । यह लोकतंत्र के नियमों तथा परम्पराओं के खिलाफ है ।

सभापति महोदय : यदि आप के सिवाय इस विषय पर बोलने के लिए कोई और विपक्षी सदस्य होता तो मैं उसको उसे बोलने के लिए अवसर देता परन्तु यहां आपके सिवाय कोई विपक्षी सदस्य नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों ने बजट को हर व्यक्ति का बजट कह कर उसका स्वागत किया है, मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि इससे हर आदमी कुप्रभावित हुआ है ।

यह बजट पिछले 26 वर्षों से सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक तथा वित्तीय नीतियों पर आधारित है, जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है, सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि इससे आम आदमी का जीवन स्तर सुधरेगा । यदि हम अपनी उपलब्धियों को देखेंगे तो यह पायेंगे कि सरकार द्वारा अपनई गई नीतियां असफल हो गई हैं, हमें यह देखना चाहिए कि क्या कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का आश्वासन पूरा हुआ है या नहीं । पिछले कुछ वर्षों से कृषि उत्पादन कम हुआ है और यही हाल औद्योगिक उत्पादन का है । औद्योगिक उत्पाद में स्थिरता आ गई है, चीनी और वनस्पति का अभाव है । गत वर्ष कपड़े का उत्पादन भी कम हुआ है । इसके बावजूद भी सरकार ने महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीकरण नहीं किया लोग भूखे मर रहें हैं । पंजाब में डीजल और उर्वरकों की मांग करने वाले किसानों पर गोली चलायी जा रही है। अन्न मांगने वाले लोगों को बेरहमी के साथ मारा जा रहा है। गुजरात इसका उदाहरण है । वहां सरकार ने कहा था कि विधान सभा को भंग नहीं किया जायेगा । परन्तु उसे जनता के बलिदानों के समक्ष झुकना पड़ा । नए कर लगाये गये हैं । परन्तु इनसे आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है, यदि भ्रष्टाचार समाप्त हों जाये और किफायत बरती जाये तो नए कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कृषि तथा प्रतिरक्षा दो महत्वपूर्ण विषय हैं । बजट का 30 प्रतिशत कृषि के लिए और 30 प्रतिशत प्रतिरक्षा के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए । शेष 40 प्रतिशत से आप चाहे जो मर्जी कर सकते हैं । योजना आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बजट में किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है और उनके साथ अन्याय किया गया है, शहर में रहने वाला व्यक्ति एक लाख रुपये का मकान रखने के साथ-साथ 1,50,000 रुपये की चल सम्पत्ति भी रख सकता है, परन्तु किसान को केवल 1,50,000 रुपये तक की अचल सम्पत्ति रखने की छूट है । वित्त मंत्री बताएंगे कि क्या वह किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्किोंणों रखते हैं ? गांव में रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत गिर गया है और यही स्थिति उनकी व्यय क्षमता तथा खर्च के बारे में भी है । निर्धारित रेखा से नीचे वालों की संख्या तेजी से वृद्धि हो रही है संसार में जितने अनपढ़ हैं उनका आधा भाग इस देश में हैं ।

सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए उत्सुक नहीं है । सेवानिवृत्ति की आयु कम करके 50 वर्ष क्यों नहीं कर दी जाती है ? आज का युवा वर्ग विद्रोह पर उत्तारू हो रहा है और वह देश का शासन खुद संभालना चाहता है । मतदान की आयु कम करके 18 वर्ष क्यों नहीं कर दी जाती है । हम मंहगाई भता दिए जा रहें है । हमारे पास संसाधन कम है । रोजगार के अवसर पैदा करने के स्थान पर हम उसी व्यक्ति को और अधिक धन देते जा रहे है जो पहले से ही काम पर लगा हुआ है । अब समय आ गया है कि सरकार को युवा वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए अन्यथा देश के अन्य भागों में भी गुजरात जैसी स्थिति पैदा हो जायेगी ।

सशस्त्र सेनाओं से सेवा मुक्त होने वाले जवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिये। किसानों पर लगे करों को हटाया जाना चाहिए 10 अथवा 15 एकड़ वाले निर्धन किसानों पर भी कृषि धन कर लगाया गया है यह सर्व विदित है कि किसान अपनी भूमि पर-ही काम करता है और किसी अन्य कार्य अथवा काम व्यवसाय से आप करने के बारे में किसान को दुस्साहित किया जाता है । यह किसानों के प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव है विश्व बैंक के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत को 12 बिलियन डालर

की विदेशी सहायता की एक करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी । सरकार को चाहिए कि वह इस संबंध में वस्तुस्थिति से हमको अवगत कराए । सरकार को जनता को विश्वास में लेकर देश की सही तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : मैं वित्त मंत्री को बजट में नवीनता का पुट देने के लिए बधाई देना चाहता हूं ।

समाजवादी विचारधारा के अनुसार प्रत्यक्ष कर कम किये जाने चाहिएं । देश में समाजवाद लाने के लिए सरकार को आय प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक पूंजी निवेश करना चाहिए और प्रत्यक्ष कर यथासंभव कम किये जाने चाहिएं ।

यह प्रशंसनीय बात है कि वित्त मंत्री ने आम उपयोग की वस्तुओं पर नए कर नहीं लगाए हैं। परन्तु बजट में परिवहन लागत की वृद्धि का आम उपभोग की वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा । जबकि पहले से ही मंहगाई है, ऐसे कदम से निर्धन व्यक्तियों का जीवन निर्वाह व्यय बहुत अधिक बढ़ जायेगा, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री अपने उत्तर में मंहगाई रोकने के उपायों पर प्रकाश डालेंगे, यदि सरकार आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करती है तो कुछ ही समय में मूल्यों में स्थिरता लाई जा सकती है । जब तक सरकार बीज, खाद आदि को स्थिर कीमतों पर उपलब्ध नहीं करती है, तब तक उत्पादन का मूल्य भी स्थिर नहीं हो सकता । खाद्यान्नों का मूल्य स्थिर रखने के लिए बीज, खाद आदि के मूल्य भी निर्धारित किए जाने चाहिए ।

सरकार को सूत की सप्लाई कपड़े के उत्पादन के साथ जोड़नी चाहिए। इससे आम उपभोग का कपड़ा बनना सुनिश्चित हो सकेगा। तब ही जाकर हम आशा कर सकते हैं कि थोड़े समय के लिये मूल्य स्थिर होंगे और कमजोर वर्ग इस बढ़ते हुए भार को सहन कर सकेंगे।

आज हमारी अर्थव्यवस्था पर चार बातों का प्रभाव हैं। सबसे पहली बात मूल्य-वृद्धि है। मूल्य-वृद्धि का प्रमुख कारण मुद्रा की सप्लाई में वृद्धि है। यह वृद्धि 1969-70 में 632 करोड़ रुपये थी जो गत वर्ष बढ़ कर 1800 करोड़ रुपये हो गई। दूसरी प्रति व्यक्ति माल की सप्लाई कम हो रही है। वर्ष 1971 में प्रति व्यक्ति 469.1 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध था जबकि 1972 में 417.8 ग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति उपलब्ध था। निर्मित्त माल तथा खाद्यान्न की सप्लाई कम हो रही है और मुद्रा की सप्लाई बढ़ती जा रही है ।

दूसरी समस्या तेल और कच्चे माल की है जिसका हम सामना कर रहे हैं। इस समस्या का विकासशील देशों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के साथ ही विदेशी-मुद्रा संबंधी समस्या है।

जब तक सही अर्थों में निर्यात बढ़ाने के लिये प्रयास नहीं किये जायेंगे तब तक हम विश्व के बाजार में अपनी स्थिति सुधार नहीं सकते ।

अगली समस्या सरकारी क्षेत्र की है। मैंने आरंभ में ही कहा था कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के रूप में हमें उन अधिकाधिक संसाधनों पर विश्वास करना चाहिये जो हमारे स्वयं के पूंजी-निवेश से जुटाये जायेंगे। आज करों का और जो संसाधन हम जुटाते हैं उनका अनुपात 5:1 है। गत वर्ष के अन्त तक हमने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 3000 करोड़ रुपये लगाये थे परन्तु गत वर्ष हमारी आय 14 करोड़ रुपये थी और इस वर्ष 16 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। मैं महसूस करता हूं कि इस दिशा में कुछ किया जाना चाहिए ।

मैं इस बात पर बल दूंगा कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो अशोधित तेल हम आयात करते हैं तथा जो देश में उत्पादित करते हैं उसके मूल्य में इतना अधिक अन्तर क्यों है। पूरे वर्ष भर में 72 लाख टन अशोधित तेल का हम उत्पादने करते हैं, हमारी उत्पादन लागत और विश्व के मूल्यों में इस समय 350 करोड़ रुपये का अन्तर है।

मेरा वित्त मंत्री से सुझाव है कि यह राशि राजस्व के रूप में होनी चाहिये। यदि उत्पादन-शुल्क से 350 करोड़ रुपये वसूल किये जाते हैं तो वित्त मंत्री, विभिन्न तेल उत्पादों पर लगाये गये, 22 करोड़ रुपये को कम कर सकते हैं ताकि परिवहन लागत कम की जा सके।

जब तक काले धन और इसके परिणामस्वरूप होने वाले भ्रष्टाचार को नहीं रोका जाता तब तक देश में स्वस्थ अर्थ-व्यवस्था स्थापित करना कठिन है। इस समस्या से निपटने के लिये विमुद्रीकरण करने के भी सुझाव आये हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि विमुद्रीकरण से इसका समाधान हो जायेगा।

इसका दूसरा गंभीर आशय यह है कि इससे सुरक्षा का गंभीर खतरा है। यदि इस काले धन से लोग देश में 'रेफ्रिजिरेटरों' की तस्करी कर सकते हैं तो वे बन्दूकें, राइफलें, मशीन-गनें या बमों की भी तस्करी कर सकते हैं।

अतः मेरे दो सुझाव हैं। परिवहन लागत को कम किया जाना चाहिये क्योंकि इसका समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ता है और दूसरे, आयकर की छूट सीमा को 6,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दिया जाना चाहिये।

Shri M. C. Daga (Pali) : This Government gives assurances to the poor people how long it will continue to give than mere assurances? The poor have become more poor and on the other hand Rs. 52 crores as over-time allowance is being paid to the Government employees.

There are Government Advocates but the Government has paid about Rs. two lakhs to the lawyers who pleaded the constitutional Amendment case.

Similarly, the Government employees are given House-Building advances to the tune of Rs. 50 thousands. After all, there should be an end to wasteful expenditure.

In 1947, India's resevers were of the order of Rs. 1546 crores whereas to-day India is under debt of Rs. 248.18 crores.

Almost all the Public Sector undertakings are going in loss. The Railways is running in loss. But no man in public sector responsible for such losses has been punished.

Regional imbalances are there. The dams which are being constructed are running in loss and electricity boards are also running in loss.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : यह बजट लोकतंत्रीय समाजवाद के अनुरूप है परन्तु विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने समाज-विरोधी बजट कहा है। मैं तो इसे प्रगतिशील बजट कहूंगा।

मैं मानता हूं कि कर लगाये बिना देश का विकास नहीं हो सकता है परन्तु मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह टुथ-पेस्ट और स्कूटर पर लगाय गए कर वापस ले लें।

यदि सरकार व्हिस्की, ब्रांडी जैसी विदेशी शराब पर उत्पादन-शुल्क लगाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना उचित नहीं है। वहां शराब की दुकानें खोल कर उत्पादन-शुल्क के नाम पर सरकार आदिवासियों का खून चूस रही है। आदिवासी विकास खंडों में खोली गई शराब की दुकानों को मंत्री महोदय वहां से हटा दें।

विरोधी पक्ष तथा शासक दल के सदस्यों की ओर से आलोचना की गई है कि हमने कुछ नहीं किया है। इसका कारण यह है राष्ट्रीय चरित्र की कमी है। जब मैं राष्ट्रीय चरित्र की बात करता हूं तो मैं उसमें विधायकों, संसद सदस्यों और मंत्रियों को भी शामिल करता हूं। सुदृढ़ राष्ट्रीय चरित्र के बिना हम विकास नहीं कर सकते हैं।

विरोधी दलों ने लोगों को हड़ताल करने, आन्दोलन करने और धीरे-धीरे काम करने आदि के लिये उकसाया है। इसीलिये हम रेलवे तथा अन्य विभागों में हड़तालें देखते हैं।

गत 26 वर्षों में हमारे देश में काफी विकास हुआ है। मैं आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता हूं। अंग्रेजों के शासन में गांवों में बैलगाड़ी या हाथी की पीठ पर बैठ कर जाना पड़ता था, वहां सड़कें नहीं थीं। इस बात का श्रेय सरकार को दिया जाना चाहिये कि वहां सड़कें बनाई गई हैं।

आदिवासी समुदाय को स्वाधीनता के समय से ही कठिन स्थिति में रखा गया है। उनका अन्य समुदायों के समान राजनीतिक विकास नहीं हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवाओं में प्रतिनिधित्व के मार्ग में अनुच्छेद 335 बाधक हैं? अतः मेरा कहना है कि इस अनुच्छेद में 'योग्य' (सूटेबल) शब्द हटा दिया जाना चाहिये और अनुच्छेद 335 का संशोधन किया जाना चाहिये या उसका लोप कर दिया जाना चाहिए।

शिक्षा के विकास के स्तर के बारे में मैं निवेदन करता हूं कि जहां यह विकास सब के लिये 29.46 प्रतिशत है वहां अनुसूचित जातियों के लिये 14.71 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों के लिये 11.29 प्रतिशत है।

आसाम की पहाड़ियों के आदिवासी (अब छठी अनुसूची में) ही मूल आदिवासी हैं। आसाम की पहाड़ियों के अलावा अन्य जगहों के आदिवासी जबरदस्ती बनाये गये आदिवासी हैं। उनकी जमीनें साहूकारों द्वारा छीन ली गयी हैं और उन्हें दबाब में आकर पहाड़ियों की शरण लेनी पड़ी हैं।

ये आदिवासी अपने जीवनोपार्जन हेतु वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं बेचा करते थे परन्तु स्वतन्त्रता के बाद राज्य सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है और उसके परिणामस्वरूप वनों पर उनका अधिकार समाप्त हो गया है। आदिवासियों का यह अधिकार उन्हें फिर से दिया जाये, मेरा यही निवेदन है।

बिहार में स्थिति के बारे में

Re : SITUATION IN BIHAR

श्री समर गुह (कन्टाई) : बिहार विधान-सभा में गोली चली है और उन्होंने कर्मचारियों पर गोली चलाई है। अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय को बिहार की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने के लिये निदेश दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि वक्तव्य कब दिया जायेगा ?

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्होंने माननीय सदस्य की बात सुन ली है। यदि गृह मंत्री के लिये संभव हुआ तो वह आ जायेंगे।

सामान्य बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET, 1974-75—GENERAL DISCUSSION

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : शायद पहली बार इस बजट का सभी वर्गों ने स्वागत किया है।

यहां तक कि भारत के व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि श्री चरत राम ने कहा कि सरकार ने वांचू समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। उन्होंने वित्त मंत्री का इस बात के लिये आभार प्रकट किया कि उन्होंने सभी स्तरों पर आयकर की दर में कमी करने की वांचू समिति की प्रमुख सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। कर-अपवंचकों और तस्करों, जो काला धन रखते हैं, को पहली बार आगे आकर पूंजी निवेश करने का अवसर दिया गया है। कर की दर 77 प्रतिशत करके उन लोगों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया गया है कि वे उद्यमों में धन लगायें।

मुद्रा स्फीति के बारे में एक अर्थ शास्त्री का मत है कि यह गरीबों से अमीरों को संसाधनों के अन्तरण का एक तरीका मात्र है। पिछले 12 वर्षों में मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मुद्रा उपलब्धी में 270 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जबकि उत्पादों के थोक मूल्य सूचकांक में 150 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य सूचकांक में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अतः जब तक विमुद्रीकरण नहीं किया जाता तब तक देश में काले धन पर नियन्त्रण बहुत कठिन है। पिछले अगस्त से मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस से बहुत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं परन्तु उन परिस्थितियों में आज का बजट स्वागत योग्य है।

जहां तक देश के आर्थिक विकास की बात है देश के विभिन्न राज्यों में बहुत अन्तर है। विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता में अन्तर के कारण देश में असमानता उत्पन्न हुई है। पहली योजना में पंजाब राज्य को 141 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मिली जबकि उड़ीसा को केवल 77 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। दूसरी योजना में उड़ीसा को 65.69 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि पंजाब को 88.29 करोड़ रु० प्राप्त हुए। तीसरी तथा चौथी योजना में उड़ीसा को क्रमशः 136.74 करोड़ एवं 160 करोड़ रु० प्राप्त हुए जबकि पंजाब को क्रमशः 134.39 एवं 179.5 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार की आर्थिक असमानता नहीं रहनी चाहिये।

उड़ीसा में बहुत बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध हैं । परन्तु इसके बावजूद राज्य में इस दिशा में इतनी प्रगति नहीं हुई जितनी की महाराष्ट्र की हुई है जबकि उस राज्य में इतने खनिज संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं । अतः इस असमानता को भी दूर किया जाना चाहिये ।

Shri Achal Singh: It is very painful that for the last 22 years we have been having a deficit Budget. We have invested an amount of more than Rs. 7,000 crores on Public Sector yet we are not getting even 10% return on this investment. Privte Sector Industries each 20-30% profits on their investment whereas Public Sector Industries are rather running continuously on loss. It appears that Chairmen, Director, etc. of our Public Sector Undertakings are not efficient enough to run there undertakings on profit, hence they should be removed from these posts.

Investment in Railways also amounts to 7-8 thousands crores of rupees. Railways are also running on loss. I feel this is due to mis-management. We have to think the reasons for this state of affairs. Railways used to earn lot of profits during British period. If we want to put an end to deficit financing we have to see that there losses are eliminated.

We have completed four plans and are on the verge of launching the fifth Plan. Being an agricultural country our economy depends on Agriculture. But we have not paid proper attention towards its development, with the result that we had to continuously import food-grains. There was a time when our country used to export food grains and oilseeds. etc. But today we have to increase these items. We should make such plans which could take care of our increasing population, so that we have not to depend on imports of food-grains.

Side by side the Government should also pay attention towards the development of animal husbandry. There was a time when milk was in plenty in this country but to-day it is in short supply. Efforts should be made to increase the production in this regard also.

Our economy is at a very critical stage. Strikes , Bunds, etc. are effecting severe jolt to the economy. This can not be tolerated for all times. If the Government wants to improve the economy it should ban strikes for some time.

Shri Amar Nath Vidyalankar (Chandigarh): This Budget has satisfied only capitalists and vasted interests. An editor of an economic Journal has observed that they have won over the Government . But this is a view point held by one section only. I feel that the Finance Minister has made utmost efforts which could be made in the present circumstances.

We are passing through economic crisis and we have to think over the Budget from this point of view.

As has been rightly said by many members that we want to reduce economic disparity. We want to incourage producers. One Section of these producers are capitalists. This category appears to be satisfied while the other category consists of those people who work with their own hands. This-category has got more importance.

Some members have complained against giving increased pay to Government employees. I feel that where possible pay of higher officers should be reduced. But those who actually work for producing money, need morale-boosting. Hence they should be given increased pay. We want to remove poverty. But it can be done by those who produce money. If this category is not respected and encouraged it may not be possible to remove poverty from the country.

We want to usher Socialism, so that we could change the present set up. We have see that our efforts should help in changing society and bring in Socialism.

I do not blame the Government or the Finance Minister for the present economic crisis. Unless we are able to change our present set up we would have to face these crisis. I, therefore view the budget from this point of view.

Last year the Government had taken over the wholesale trade in wheat. But now the Government is again thinking to give this trade to private sector. This would be a retreat of Government Policy. This may satisfy vested interests but we should see that a step towards Socialism has not be to retreated. If State Government are not able to implement successfully these policies we should help and encourage them.

To-day the greatest problem is Price rise. When we go in rural areas people want to know the efforts being made to control price rise. They want to know Government policies and plans in this regard. I feel that we have not been able to control the situation. Government should make efforts to control it effectively. Price rise is not a new phenomenon. We witnessed 14% and 26% price rise in 1972 and 1973 respectively but there has been 20% increase during few weeks of this year. If this stituation continues people will not only lose faith in us but in democratic set up also. If we fail to change this situation people will rise in violence bring this change themselves.

We always talk of fixing priorities for production and increasing the production of items of daily needs and restricting the production of luxury items. But the fact remains that production of cement and mines increased 5.6 fold and 2.5 fold during the recent past whereas production of Refrigerators has increased 174 times and Air-conditioners has increased 10 times.

We are importing cotton worth Rs. 250 crores and manufacture fine cloth. If this fine cloth is exported if can mean something. But if production of coarse cloth is restricted and this more and more fine cloth is produced for use by richer sections it is not fair. This should be checked.

According to Government figures 60% capacity of the luxury Hotels is used by richer sections of our own country and only 40% is utilized by Foreigners. But even then we are going to construct 75 luxurious Hotels which means that 60% amount to be spent on construction of Hotels would be spent on rich people of our own country. We should think over it

---

राज्य विधान सभा भंग करने के गुजरात के गर्वनर के आदेश के बारे वक्तव्य

STATEMENT RE. ORDER OF GUJARAT GOVERNOR DISSOLVING THE ASSEMBLY

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : राष्ट्रपति जी ने जब 9 फरवरी 1974 को गुजरात के बारे में उद्घोषणा की तो उन्होंने गर्वनर को अपनी सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का आदेश भी दिया। इस उद्घोषणा एवं आदेश की प्रति सभा पटल पर रख दी गई थी। राष्ट्रपति जी के आदेश से स्पष्ट है कि गुजरात के गवर्नर द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, जिन्हें राष्ट्रपति जी ने धारण किया है, गवर्नर द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

राष्ट्रपति जी के आदेश को देखते हुए विधान सभा भंग करने के बारे में गवर्नर के आदेश में कोई संवैधानिक एवं कानूनी कमी नहीं है। राष्ट्रपति गुजरात की स्थिति को देख रहे थे और प्रधान मंत्री ने इस के बारे में राष्ट्रपति की मंत्रणा मांगी थी।

बिहार की स्थिति के बारे में

RE: SITUATION IN BIHAR

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमने आज सुबह अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि गृह मंत्री को बिहार की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देने को कहा जाये।

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : मुझे कोई ऐसा अनुदेश नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : आप इस पर कल अध्यक्ष महोदय से बात कर सकते हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : विधान सभा की लाबी में गोली चली है।

सभापति महोदय : यह मामला कुछ समय पहले भी उठाया गया था यदि मंत्री महोदय चाहें तो वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं राज्य सभा से अभी अभी आ रहा हूं। मुझे ऐसा कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब हम यह जानना चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री श्री रघुरामैया ने गृह मंत्री को यह सब प्रेषित क्यों नहीं किया। आज सुबह बिहार की स्थिति के बारे में सारा सदन चिंतित था। सरकार ने सेना की 6 टुकड़ियां तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 12 कम्पनियां वहां पर नियुक्त की हैं। गोली तक चली है और यहां तक की विधान सभा भवन तक में गोली चलीं है। सरकार सदन से यह सब छुपाना क्यों चाहती है ?

सभापति महोदय : इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। जब गृह मंत्री को यह सूचना नहीं दी गई तो वह वक्तव्य किस प्रकार दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संसदीय कार्य मंत्री को गृह मंत्री को यह सब प्रेषित करना चाहिये था।

श्री समर गुह (कन्टाई) : संसदीय कार्य मंत्री का यह कर्त्तव्य था कि वह गृह मंत्री को सूचना देते कि उन्होंने सदन में वक्तव्य देना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : याद गृह मंत्री के पास पर्याप्त जानकारी है तो वह सदन को विश्वास में लेकर जानकारी उपलब्ध करें।

श्री उमा शंकर दीक्षित : मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya: Is it not imperative for him to give statement about the situation in Bihar.

सभापति महोदय : जब वह कहते हैं कि पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं तो हमें उनका विश्वास करना चाहिये। इस स्थिति में उन्हें बाध्य भी नहीं किया जा सकता।

श्री समर गुह : संसदीय कार्य मंत्री का यह कर्त्तव्य था कि उन्हें सूचित करते कि अध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किये हैं। स्थिति बहुत बिगड़ रही है। पटना में सचिवालय के चारों ओर कंटीले तार बिछाये गये थे। इन स्थितियों से गृह मंत्री से इस प्रकार की उपेक्षा अपेक्षित नहीं की जा सकती।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : मेरे नाम का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मुझे अध्यक्ष महोदय के अनुदेश का पता नहीं था। मैं रिकार्ड देखूंगा यदि कोई अनुदेश है तो मैं उसे प्रेषित अवश्य करूंगा।

उर्वरकों का उत्पादन एवं आयात*

PRODUCTION AND IMPORT OF FERTILIZERS**

श्री समर गुह (कन्टाई) : पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है उसका सामना करना है। तेल और उर्वरक की समस्याएं आपस में पूर्णतया सम्बद्ध हैं। उर्वरकों के मूल्यों में 2-3 गुणा वृद्धि हो गई है। स्थिति यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह उपलब्ध नहीं है। यदि मंत्रालय द्वारा चुनौती का पर्याप्त सामना नहीं किया गया तो निकट भविष्य में देश में भुखमरी फैलेगी और परिणामस्वरूप देश में राजनैतिक संकट उत्पन्न होगा।

यह मंत्रालय एक बहुत ही प्रवर मंत्री के अधीन है परन्तु वे उड़ीसा के चुनाव जीतने में संलग्न थे। मंत्रालय के दोनों मंत्रियों को अन्य काम छोड़ कर अपना पूरा ध्यान तेल तथा उर्वरक संकट को टालने की ओर देना चाहिये।

भारत की तुलना में पश्चिम जर्मनी, जापान, फ्रांस बहुत छोटे देश हैं। परन्तु 1969-70 में पश्चिम जर्मनी में 31 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन हुआ, फ्रांस में 42 लाख मीट्रिक टन एवं जापान में 23 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। अमरीका तथा रूस का उत्पादन क्रमशः 145 लाख मीट्रिक टन तथा 80 लाख मीट्रिक टन था जबकि भारत का उत्पादन केवल 20 लाख मीट्रिक टन ही था।

वर्ष 1972-73 में देश में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक की स्थापित क्षमता में से केवल 55.9 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो सका और गैर-सरकारी क्षेत्र में 61.2 प्रतिशत का उपयोग हो सका। स्वदेशी उत्पादन और आयात में बहुत अधिक अन्तर है। 1972-73 वर्ष में स्वदेशी उत्पादन 13.20 लाख मीट्रिक टन था और आयात 33.4 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 1973-74 में स्वदेशी उत्पादन 17 लाख मीट्रिक टन था और आयात 22.30 लाख मी० टन था। वर्ष 1974-75 में 22.85 लाख मी० टन स्वदेशी उत्पादन का अनुमान है और 22 लाख मी० टन के आयात का। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में मूल्यों में अत्याधिक चढ़ाव और उर्वरक की अनुपलब्धता के कारण हमें अपेक्षित मात्रा प्राप्त नहीं हो सकेगी।

प्राक्कलन समिति ने पेट्रोलियम मंत्रालय संबंधी अपने चौथे प्रतिवेदन में कहा है कि सरकार ने उर्वरक संयंत्रों द्वारा लक्षित क्षमता प्राप्त करने की दिशा में अधिक प्रयास नहीं किये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 40 वें प्रतिवेदन की सभी सिफारिशों, विश्लेषण आदि का अध्ययन कर लिया

---

*आधे घंटे की चर्चा

**Half an hour Discussion

है और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं। मेरे विचार से उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में मंत्रालय की असफलता का कारण यह है कि मंत्रालय ने उर्वरक उत्पादन की समस्या की ओर बहुत उपेक्षा का रवैया अपनाया, नीति एवं उत्पादन लक्ष्यों में बारम्बार संशोधन किये गये। स्वीकृत परियोजनाओं के लिये लाइसेंस देने एवं विदेशी मुद्रा देने में विलम्ब किया गया। मंत्रालय उर्वरक उपलब्धता तथा विश्व में खाद्य की कमी का निर्धारण करने में असफल रहा है। इस बात के महत्व को नहीं समझा गया कि पूंजी-प्रधान इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना सरकारी क्षेत्र में ही हों। राजस्थान फास्फेट संसाधनों के उपयोग को गति देने में भी मंत्रालय असफल रहा है। परिचालनाधीन संयंत्रों की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये प्रभावी उपाय नहीं किये गये। उर्वरक उत्पादन के लिये समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं किये गये। अलग से पेट्रो-केमिकल्स मंत्रालय की स्थापना में भी विलम्ब किया गया। नये संयंत्रों के निर्माण की प्रगति और वर्तमान संयंत्रों के उत्पादन कार्य के समन्वय अधीक्षण और मूल्यांकन के लिये उच्च शक्ति प्राप्त कर्मी दल की नियुक्ति में करने में भी मंत्रालय असफल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संकट का सामना किस प्रकार किया जायेगा। नये संयंत्रों के निर्माण को गति प्रदान करने और वर्तमान स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये दीर्घावधि उपाय किये जायें।

बांगला देश में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है। जापान उसके लिये रुचि प्रदर्शित कर रहा है और बंगला देश में उर्वरक उत्पादन के लिये संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम स्थापित किया जा रहा है। सरकार को भी बंगला देश सरकार के साथ गंभीरता से बातचीत करके बंगला देश में उर्वरक उत्पादन के लिये संयुक्त उपक्रम की स्थापना के उपाय करने चाहियें।

बरौनी तथा नामरूप संयंत्रों के निर्माण को गति प्रदान की जाये। यदि उनका निर्माण शीघ्रता से पूरा किया जा सके तो हमारी आवश्यकता के लिये कुछ मात्रा वहां से उपलब्ध हो सकेगी।

प्राक्कलन समिति ने एक बहुत ही गंभीर और ठोस सुझाव दिया है। उसने कहा है कि सरकार को यह विश्लेषण करना चाहिये कि प्रत्येक संयंत्र पूर्ण उत्पादन क्यों नहीं प्राप्त कर सका और निर्दिष्ट तिथि तक उसे प्राप्त करने के लिये समुचित उपाय किये जायें। इस विश्लेषण के लिये देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी का प्रयोग किया जाये। सरकार को प्रत्येक तिमाही के पश्चात् प्रत्येक संयंत्र के कार्यकरण का पुनरीक्षण भी करना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रतिवेदन की यह सब बातें तो सरकार को ज्ञात हैं। आप उसके आधार पर प्रश्न पूछें।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। पूर्ण स्थापित क्षमता को प्राप्त करने के लिये क्या प्रोत्साहन बोनस, उत्पादन शुल्क से छूट आदि कोई प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की जा रही है? आर्गेनिक खाद की लागत कम आती है सरकार ने उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। गांधी जी ने भी कम्पोस्ट खाद के महत्व पर बल दिया था। परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह ठीक है कि नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटी उर्वरक व पोटाश उर्वरक की तुलना में यह कम प्रभावी है परन्तु उसके आयात और मांग में बहुत अधिक अन्तर को देखते हुए सरकार को आर्गेनिक खाद के उत्पादन के लिये गंभीर प्रयास करने चाहियें। लोगों को भी आर्गेनिक खाद के प्रयोग के लिये प्रशिक्षित किया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व भर में सब से कम है।

उर्वरक के मामले में भी हम दुनिया भर में सब से गरीब हैं और दुनिया भर में सबसे अधिक दाम हमारे किसानों को उर्वरक के लिये देने पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है। यह इसलिये है कि . . . . .

सभापति महोदय : क्या आप प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका कारण यह नहीं है कि सरकार ने एकाधिकारियों तथा पूंजीपतियों के सामने हथियार डाल दिये हैं? सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा है कि तीन चौथाई उर्वरक का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होगा। सरकार ने क्या किया ? टाटा और बिड़ला की इस बारे में क्या स्थिति है ? मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य दे कि किसानों को उर्वरक सस्ते दामों पर क्यों नहीं मिलता और किसानों की कीमत पर उर्वरक कारखानों को अत्यधिक लाभ कमाने की कम्पनी की अनुमति क्यों दी जाती है। किसानों का शोषण क्यों हो रहा है ?

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : वर्ष 1974-75 की आवश्यकता के आधार पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 221.30 लाख टन उर्वरक की आवश्यकता होगी। वास्तव में कृषि पैदावार में अधिक वृद्धि करने के लिये इससे अधिक उर्वरक की आवश्यकता होगी। लेकिन पांचवीं योजना के दस्तावेज़ में यह आवश्यकता 200 लाख टन रखी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह आवश्यकता किस आधार पर रखी गयी है। वर्ष 1974-75 की कुल 39.10 लाख टन उर्वरक की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार को 23.98 लाख टन उर्वरक का आयात करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में उर्वरक का आयात सरकार किन किन देशों तथा किस दर पर करने जा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में साउर्थन पैट्रो-कैमिकल्स काम्पलेक्स का स्थापना कार्य पूरा होने ही जा रहा है। यह कार्य जापानी फर्म के सहयोग से हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस एकक को नेफ्था जैसे कच्चे माल की सप्लाई नियमित रूप से की जायेगी ताकि उर्वरक के उत्पादन में कोई बाधा न पड़े। कुड्डालौर में भी उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसकी स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

Shri Chandrika Prasad (Ballia): May I know the number of fertilizer plants to be set up in the country particularly in the backward areas? Is the Government contemplating to set up any plant in Ballia, Azamgarh and Gazipur of Eastern U.P.? Distribution system is most defective. Will the Government of India take the distribution of fertilizer in its own hands so that farmers could get the fertilizers at reasonable rates.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : कुछ समय पहले होल्डिंग कम्पनी के रूप में उर्वरक प्राधिकरण स्थापित करने की बात चली थी। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या हुआ ? सरकार उर्वरक

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**

***Summarised translated version released on English translation of the speech delivered in Tamil.**

कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये क्या कदम उठा रही है? सरकार को उर्वरक के वितरण हेतु उचित व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त क्या सरकार कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने जा रही है क्यों कि आज देश में तेल की बहुत कमी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं इस बात से सहमत हूं कि उर्वरक के बारे में हम गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। आज की स्थिति में जबकि हमारे सामने खाद्यान्न की गंभीर समस्या है, उर्वरक का देश में अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन करना अनिवार्य है। मैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में यह कहना अनिवार्य समझता हूं कि दो अथवा तीन उर्वरक कारखानों को छोड़कर शेष सभी कारखानों की उत्पादन क्षमता के 80 प्रतिशत भाग का उपयोग किया जा रहा है।

श्री समर गुह (कंटाई) : मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिये कि अधिष्ठापित क्षमता के 80 प्रतिशत भाग का उपयोग किया जा रहा है।

सभापति महोदय: हमें इस मामले में चर्चा में नहीं पड़ना चाहिये।

श्री शाहनवाज खां: मैं इस बात को मानता हूं कि देश की आवश्यकता तथा देश के उत्पादन के बीच अंतर है। लेकिन हम उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हमें कोयले पर आधारित कारखाने चलाने चाहियें क्योंकि हमारे देश में कोयला बहुत मात्रा में मिलता है। इस प्रकार के 3 कारखानों को स्थापित करने का काम चल रहा है और मुझे आशा है कि इनमें दो कारखाने अगले वर्ष तक काम शुरु कर देंगे ।

मंत्रालय ने प्राक्कलन समिति की सारी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। उनमें से अनेक कार्यान्वित भी की जा चुकी हैं।

बंगला देश में उर्वरक कारखाना स्थापित करने संबंधी सुझाव बहुत ही लाभदायक है।

कार्यदल का गठन करने का भी सुझाव आया है। इस कार्य के लिये पहले ही एक स्थायी समिति है जो विभिन्न कारखानों की कमियों तथा खराबियों की छानबीन कर रही है।

श्री समर गुह : उर्वरक तथा कार्बनिक खाद एक दूसरे से जुड़ी हैं। क्या खाद का विकास करने हेतु पैट्रोलियम और कृषि मंत्रालयों में कोई तालमेल समिति है?

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह आधे घंटे की चर्चा है और आधे घंटे तक ही रहनी चाहिये।

सभापति महोदय: हम इसे समय के अंदर समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु: हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश में उर्वरक के मूल्य सबसे अधिक क्यों हैं ।

श्री शाहनवाज खां: उर्वरक के मूल्य विश्व भर में बढ़ गये हैं। इस मूल्य पर क्रय करना हमारे लिये संभव नहीं है। हमारे देश में मूल्य इतने अधिक नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने विभिन्न देशों की दरों संबंधी आंकड़े दिये थे। फिर भी वे उत्तर नहीं दे रहे हैं। हमें वे कारण बताये जाने चाहियें जिनसे विश्व भर में हमारे देश के दर सब से अधिक हैं।

सभापति महोदय : आपको ऐसी धमकी नहीं देनी चाहिये कि मैं यह करुंगा या वह करुंगा।

श्री शाहनवाज़ खां : मैंने कहा कि दर दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। यह निश्चित है कि हमारे मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा कम हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा अर्जित लाभ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं इस बात को मानता हूं कि वितरण प्रणाली में कुछ खराबी रही है उर्वरक काले बाजार में भी बिक रहा है जिसे नियंत्रित करना राज्य सरकार का काम है. . . . . (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपको यह बताना चाहिये कि इसे नियंत्रित करने के लिये राज्य सरकारें क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमने राज्य सरकारों को कहा है कि हम उर्वरक अधिकाधिक मात्रा में देने को तैयार है जिसका वितरण सहकारी संस्थाओं के द्वारा किया जाय। महाराष्ट्र और आंध्र सरकारें इसके लिये सहमत हो गयी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने मुझे पत्र दिया। जो कुछ इसमें लिखा गया है और जो कुछ ये यहां कह रहे हैं, वह परस्पर विरोधी है। इस सदन के साथ मज़ाक किया जा रहा है। मुझे खेद है कि मंत्री महोदय कुछ नहीं जानते। मैं यह पत्र आपको भेज दूंगा।

श्री शाहनवाज़ खां : होल्डिंग कम्पनी के बारे में कुछ सिफारिशें की गयीं। इस बारे में इतने जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 19 मार्च, 1974 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 19th March, 1974.

MGIPRRND—14 LSS/74—Sec. III Day—18-6-74—490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]